लोक-सभा

वाद-विवाद

(द्वितीय माला)

खण्ड २८, १९५९/१८८०-८१ (शक)

[२० मार्च से ४ अप्रैल, १९५९/२९ फाल्गुन १८८० से १४ चैत्र, १८८१ (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

सातवां सत्र १९५९/१८८०-८१(शक)
(खण्ड २८ में अंक ३१ से ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खण्ड २८, अंक ३१ से ४०—२० मार्च से ४ अप्रैल, १९५९/२९ फाल्गुन १८८० से [१४ चैत्र १८८१ (शक)]

पृष्ठ

अंक ३१—शुक्रवार, २० मार्च, १९५९/२९ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४०५ से १४११, १४१४ से १४१६, १४१८, १४२०, १४२१, १४२५, १४२७ से १४२९ और १४३१ . ३६६९—९३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० . . . . ३६९३—९५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४१२, १४१३, १४१७, १४१९, १४२२ से १४२४, १४२६, १४३० और १४३२ से १४४४ . ३६९५—३७०४

अतारांकित प्रश्न संख्या २१८० से २२५५ . . . ३७०४—३७

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ३७३८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३७३८

विधेयक पर राय ३७३९

तारांकित प्रश्न संख्या ११४७ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि . ३७३९

सभा का कार्य ३७३९

अनुदानों की मांगें . . . . . ३७३९—६५

गृह-कार्य मंत्रालय . . . . . ३७३९—६५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

अड़तीसवां प्रतिवेदन ३७६५

विधेयक पुरःस्थापित: ३७६६–६७

(१) श्री हेम राज का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, १९५९ (धारा ७३ का संशोधन) ३७६६

(२) श्री राम शंकर लाल का वस्तु मूल्य उल्लेखन विधेयक, १९५९ . ३७६६

(३) श्री राम कृष्ण गुप्त का पूर्त तथा धार्मिक न्यास (संशोधन) विधेयक, १९५९ (धारा ३ और ४ का संशोधन और नई धारा ७ क और ७ ख का रखा जाना) . . . ३७६६

(४) श्री झूलन सिंह का खाद्यान्नों का मूल्य निर्धारण विधेयक, १९५९ ३७६६–६७

सिक्ख गुरुद्वारा विधेयक—

राय जानने की अवधि का बढ़ाया जाना . . ३७६७

भारतीय आग्नेयास्त्र विधेयक (वाद-विवाद स्थगित) . . ३७६७—६९

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—अस्वीकृत . ३७६९—८७

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . ३७८७—८८

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३७८९—९५

अंक २३—सोमवार, २३ मार्च, १९५९/२ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४४५ से १४५०, १४५२ से १४५५, १४५७ से १४५९, १४६१ और १४६४ से १४६९ . . ३७९७—३८२१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ . ३८२१—२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४५१, १४५६, १४६०, १४६२, १४६३ और १४७० से १४८३ . . . . ३८२२—३०

अतारांकित प्रश्न संख्या २२५६ से २३२० . . . ३८३०—५५

स्थगन प्रस्ताव—

तिब्बत की स्थिति . . . . . ३८५६—५८

सभा पटल पर रखे गये पत्र— . . . . ३८५९—६०

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . ३८६०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

भारत और पाकिस्तान के बीच सीमावर्ती व्यापार का पुनः आरम्भ किया जाना . . . ३८६०—६१

अनुदानों की मांगें . . . . ३८६१—३९०६

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय . . . . ३८६१—३९०६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३९०७—१२

अंक ३३—गुरुवार, २६ मार्च, १९५९/५ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८५ से १४९१, १४९४, १४९६ से १५००, १५०२, १५०३, १५०५ और १५०६ . . . ३९१३—३७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ और १३ . . . ३९३७—४१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८४, १४९२, १४९३, १४९५, १५०१, १५०४ और १५०७ से १५१२ . . ३९४१—४५

अतारांकित प्रश्न संख्या २३२१ से २३८५ और २३८७ . . ३९४५—७५

विशेषाधिकार प्रश्न के संबंध में . . . . ३९७५—७६

सदस्य की रिहाई ३९७७

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३९७७

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

उन्तालीसवां प्रतिवेदन ३९७७

प्राक्कलन समिति

चवालीसवां प्रतिवेदन ३९७७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

कलकत्ता–बम्बई मेल की दुर्घटना . . . ३९७८

कोयला श्रेणीकरण बोर्ड (निरसन) विधेयक—पुरःस्थापित . . ३९७९

अनुदानों की मांगें . . . . ३९७९—४०१३, ४०१४—२९

स्वास्थ्य मंत्रालय . . . ३९७९—४०१३, ४०१४—२९

घरेलू कर्मचारियों के बारे में वक्तव्य . . . . ४०१३—१४

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३४३०—३५

अंक ३४—शनिवार, २८ मार्च, १९५९/७ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५१३, १५१७, १५१९ से १५२१, १५२५, १५२६, १५२८ से १५३०, १५३२ से १५३६, १०३१ और १५३१ ४०३७—६१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ . . . . ४०६१—६३

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १५१४ से १५१६, १५१८, १५२२ से १५२४ और १५२७ . . . . . ४०६३—६७

अतारांकित प्रश्न संख्या २३८८ से २४६४ . . . ४०६७—९६

श्री कला वेंकट राव का निधन ४०९६-९७

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ४०९७-९८

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४०९८

प्राक्कलन समिति--

चालीसवां और इकतालीसवां प्रतिवेदन . ४०९९

सभा का कार्य ४०९९

अनुदानों की मांगें . . . . . ४०९९—४१३२

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय . . . ४०९९—४१३२

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति--

उन्तालीसवां प्रतिवेदन ४१३३

सहकारी कृषि के बारे में संकल्प . . . . . ४१३३—५३

विदेशी मुद्रा संबंधी कदाचार को जांच करने के लिए संसद सदस्यों की एक समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प ४१५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४१५४—५८

अंक ३५--सोमवार, ३० मार्च, १९५९/९ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १५३८ से १५४६, १५४८, १५४९, १५५२, १५५६, १५५७ और १५५९ . . . . ४१५९—८४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १५ . ४१८४—८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १५३७, १५४७, १५५०, १५५१, १५५३ से १५५५, १५५६ और १५६० से १५६४. . . . ४१८८—९४

अतारांकित प्रश्न संख्या २४६५ से २५२३ . . ४१९४—४२१७

पृष्ठ

स्थगन प्रस्तावों के बारे में ४२१७—२३

स्थगन प्रस्ताव ४२२३—२५

(१) इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के विमान की दुर्घटना ; और ४२२३—२५

(२) दिल्ली में आंधी व तूफान आने से बेघरबार हुए परिवारों को सहायता ४२२५

प्राक्कलन समिति—

उन्तालीसवां प्रतिवेदन . . ४२२५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

पुर्तगालियों द्वारा भारतीय राज्य-क्षेत्र पर गोली वर्षा ४२२६–२७

बंगाल वित्त (बिक्री-कर) (दिल्ली संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित ४२२७

अनुदानों की मांगें ४२२७—६२

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ४२२७—३५

इस्पात, खान और इंधन मंत्रालय ४२३६—६२

दैनिक संक्षेपिका ४२६३—६७

अंक ३६—मंगलवार, ३१ मार्च, १९५९/१० चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५६५ से १५७०, १५७२ से १५७४, १५७६ और १५७८ से १५८५ . . ४२६९—९३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १६ ४२९३—९५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५७१, १५७५, १५७७ और १५८६ से १५९१ ४२९५—९८

अतारांकित प्रश्न संख्या २५२४ से २५६५ ४३९८—४३१६

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४३१६

प्राक्कलन समिति—

पैंतालीसवां प्रतिवेदन ४३१७

अनुदानों की मांगें . . . . . ४३१७—५७

इस्पात, खान और इंधन मंत्रालय . ४३१७—५२

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय . . . . ४३५३—५७

महेन्द्र घाट और पहलेजा घाट के बीच घाट से घाट तक बुकिंग के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . . ४३५७—६३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४३७४—६७

पृष्ठ

अंक ३७—बुधवार, १ अप्रैल, १९५९/११ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५९२ से १५९४, १५९६ से १५९९, १६०१, १६०२, १६०४, १६०६, १६०७ और १६०९ से १६१३ ४३६९—८९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५९५, १६००, १६०३, १६०५ और १६०८ . ४३८९—९१

अतारांकित प्रश्न संख्या २५६६ से २५६९, २५७१ से २६३० और २६३२ से २६३६ . . .४३९१—४४१९

स्थगन प्रस्ताव—

चीनी दूतावास द्वारा 'पीपुल्स डेली' में एक लेख का प्रकाशित करवाया जाना ४४१९—२६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४४२७–२८

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

चालीसवां प्रतिवेदन . ४४२८

प्राक्कलन समिति

तैंतालीसवां प्रतिवेदन . . . ४४२८

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति—

तेरहवां प्रतिवेदन ४४२८

तारांकित प्रश्न संख्या ११६१ के उत्तर की शुद्धि . . . ४४२८

सदस्य को सदन से बाहर चले जाने के लिये दिये गये आदेश का रद्द किया जाना ४४२९

अनुदानों की मांगें . . . . . ४४२९—८६

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय . . ४४२९—७८

वैज्ञानिक, गवेषणा तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय . ४४७९—८६

दैनिक संक्षेपिका . . . ४४८७—९२

अंक ३८—गुरुवार, २ अप्रैल, १९५९/१२ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६१४, १६१५, १६१७ से १६२७, १६२९ और १६३१ से १६३७ . . . .४४९३—४५१८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७ . . . ४५१८—२०

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६१६, १६२८, १६३० और १६३८ से १६४० ४५२०—२२

अतारांकित प्रश्न संख्या २६३७ से २६७७ ४५२२—३८

स्थगन प्रस्ताव—

चीनी दूतावास द्वारा 'पीपुल्स डेली' में लेख का प्रकाशित करवाया जाना ४५३८—४९

पाकिस्तान से बेरुबाड़ी यूनियन और कूच-बिहार बस्तियों की अदला-बदली के बारे में वक्तव्य ४५४९

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४५४९—५०

खाद्यान्नों में राज्य व्यापार की योजना के बारे में वक्तव्य ४५५०—५२

अनुदानों की मांगें . . . . ४५५३—८५

वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय ४५५३—७५

परिवहन तथा संचार मंत्रालय ४५७५—८५

चिनाकुरी कोयला-खान दुर्घटना के बारे में प्रस्ताव ४५८६—४६०१

दैदिक संक्षेपिका ४६०२—०६

अंक ३९—शुक्रवार, ३ अप्रैल, १९५९/१३ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६४१ से १६४५, १६४८ से १६५०, १६५२, १६५४, १६५५, १६५७, १६५८ और १६६१ से १६६४ ४६०७—३२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १८ ४६३२—३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६४६, १६४७, १६५१, १६५३, १६५६, १६५९ और १६६० ४६३४—३७

अतारांकित प्रश्न संख्या २६७८ से २७०७ ४६३७—४९

नियम ३७७ के अधीन सूचनायें ४६४९

नियम २२२ के अधीन सूचना ४६५०

दलाई लामा के बारे में वक्तव्य . ४६५०—५२

सभा पटल पर रखा गया पत्र ४६५२

अनुदानों की मांगें . . ४६५२—४७००

परिवहन तथा संचार मंत्रालय ४६५२—४७००

पृष्ठ

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
चालीसवां प्रतिवेदन . . ४७००

पत्तन हज समितियां (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित-- ४७०१

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव–वापस लिया गया ४७०१—०८

बाल सन्यास दीक्षा रोक विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत ४७०८—२०

मध्यस्थता (संशोधन) विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव ४७२१

दैनिक संक्षेपिका ४७२२—२५

अंक ४०—शनिवार, ४ अप्रैल, १९५९/१४ चैत्र, १८८१ (शक)

सभा पटल पर रखा गया पत्र ४७२७

लकड़ी के कोल्हू से निकाले गये तेल पर उत्पादन शुल्क के बारे में याचिका ४७२७

अनुपस्थिति की अनुमति ४७२७–२८

सभा का कार्य . ४७२८

अनुदानों की मांगें ४७२८—८९
परिवहन तथा संचार मंत्रालय ४७२८—८३
श्रम और रोज़गार मंत्रालय ४७८४—८९

दैनिक संक्षेपिका ४७९०—९१

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

सोमवार, २३ मार्च, १९५९
२ चैत्र, १८८१ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बज कर दो मिनट पर समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भूतपूर्व सैनिकों की मंत्रणा समिति

+

†*१४४५. { श्री भक्त दर्शन :
श्री राजेन्द्र सिंह :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूत पूर्व सैनिकों को शामिल कर एक भूतपूर्व सैनिकों की मंत्रणा समिति नियुक्त करने के प्रस्ताव को अंतिम रूप प्रदान कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) इस प्रस्ताव पर विचार किया गया था और अब उस प्रस्ताव को समाप्त कर दिया गया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री भक्त दर्शन** : इतना विचार करने के पश्चात् अब इस प्रस्ताव को समाप्त कर देने का क्या कारण है ?

†**सरदार मजीठिया** : इसकी वजह सिर्फ यही है कि विचार करने के बाद हमने देखा कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : भूतपूर्व सैनिकों के लिये किसी न किसी प्रकार के रोजगार की व्यवस्था करने के लिये क्या निश्चित कार्यवाही की जा रही है, और क्या इसकी संभावनाओं का पता लगाने के लिये कोई समिति नियुक्त की जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†सरदार मजीठिया : मेरा ख्याल है कि मुख्य प्रश्न से यह सवाल नहीं पैदा होता ।

†श्री भक्त दर्शन : यदि मंत्रणा समिति नहीं नियुक्त की जा रही है तो इन भूतपूर्व सैनिकों को सहायता प्रदान करने के लिये क्या व्यवस्था है ?

†अध्यक्ष महोदय : फिर वही सवाल पूछा गया । माननीय सदस्य अपने प्रश्नों को केवल मंत्रणा बोर्ड तक ही सीमित रखें कि वह बनेगा या नहीं ।

राज्यों में अस्पृश्यता

†*१४४६. श्री रा० च० माझी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने यह दावा किया है कि उनके राज्यों में अधिक अस्पृश्यता नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो क्य इसकी जांच की गयी है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने १९५७–५८ के अपने प्रतिवेदन में यह कहा है कि आसाम, केरल और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों और मनीपुर तथा त्रिपुरा के संघ प्रशासनों ने यह दावा किया है कि उन के राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में अधिक अस्पृश्यता नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†श्री रा० च० माझी : क्या इन राज्यों में अस्पृश्यता थी ही नहीं या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के रिपोर्ट करने पर उसका निवारण किया गया है ?

†श्री दातार : आयुक्त अपने पिछले प्रतिवेदनों में इनके निवारण का सुझाव देता रहा है । यही वजह है कि उन्होंने इस बात की ओर राज्य सरकारों का ध्यान दिलाया । हमने उन से यह पूछताछ करने का अनुरोध किया था कि अस्पृश्यता दूर हो रही है या नहीं । जहां तक इन तीन राज्यों और दो संघ राज्य-क्षेत्रों का संबंध है, उनका ख्याल है कि समस्या अब इतनी गम्भीर नहीं है जितनी पहले थी ।

†श्री रा० च० माझी : क्या अस्पृश्यता-निवारण के लिये राज्यों को कुछ अनुदान दिये गये हैं ?

†श्री दातार : हम अनुदान दे रहे हैं ।

†श्री वे० ईयाचरण : केरल में कितने मामले दर्ज किये गये हैं, कितने मामलों में अपराध सिद्ध हो गया है और कितने मामलों में अभियुक्त बरी कर दिये गये हैं ?

†श्री दातार : मेरे पास ये आंकड़े नहीं हैं ।

†श्री बै० च० मलिक : क्या आसाम और केरल में भंगियों को होटलों और मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति है और क्या धोबी और नाई उनका काम करते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार :** इस बात का उत्तर देने के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

†**श्री सोनावने :** क्या यह अध्ययन दल सभी राज्यों में गया था और क्या उसने कोई प्रतिवेदन दिया है ?

†**श्री दातार :** मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का तात्पर्य सामान्य अध्ययन दल से है । मेरा ख्याल है कि वह कुछ राज्यों में गया था और कुछ राज्यों में उसका जाना अभी बाकी है ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** क्या यह सच है कि बम्बई और अन्य राज्यों के हजारों सार्वजनिक कुओं से अब भी अनुसूचित जातियों के लोगों को पानी नहीं लेने दिया जाता और इन सार्वजनिक कुओं पर उन्हें अस्पृश्य माना जाता है ?

†**श्री दातार :** माननीय सदस्य बात को कुछ बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** सामान्य प्रश्न का उत्तर सामान्य ही होता है । यदि कोई विशिष्ट मामला सरकार की निगाह में लाया जाये तो वह पता लगा सकती है । माननीय सदस्य मंत्रालय को लिख सकते हैं या माननीय मंत्री से पूछ सकते हैं ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** क्या आयुक्त के प्रतिवेदन में स्पष्ट शब्दों में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में कई ऐसे कए हैं जिन से तथाकथित अनुसूचित जातियों को पानी नहीं लेने दिया जाता और अब भी यह बात जारी है ? क्या यह सच नहीं है ?

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** हर गांव में ऐसा होता है ।

†**श्री दातार :** मेरे ख्याल से माननीय सदस्य ने मेरे उत्तर पर गौर नहीं किया है । यह उत्तर, आसाम, केरल और पश्चिम बंगाल तथा दो संघ-राज्य-क्षेत्रों—त्रिपुरा और मनीपुर के संबंध में था । अन्य राज्यों के विभिन्न भागों में कमोबेश अस्पृश्यता अभी मौजूद है । राज्य सरकार अस्पृश्यता को तत्काल दूर करने के लिये कार्यवाही कर रही है ।

लन्दन के वेस्टमिंस्टर बैंक में हैदराबाद का धन

†***१४४७. श्री विद्या चरण शुक्ल :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लन्दन के वेस्टमिंस्टर बैंक में पड़े भूतपूर्व हैदराबाद राज्य के १० लाख स्टर्लिंग से भी ऊपर राशि की वसूली में कोई प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या इस मामले का शीघ्र निबटारा कराने के लिये कोई कार्यवाही की गयी है या की जाने वाली है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) उपयुक्त अवसर होने पर इस राशि को वसूल करने के लिये समुचित कार्यवाही की जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री विद्या चरण शुक्ल :** क्या वेस्टमिंस्टर बैंक से इस राशि को वसूल करने में कुछ वैधानिक कठिनाई है, और यदि हां, तो क्या इन कठिनाइयों को दूर करने के लये सरकार ने भारतीय संसद् से उपयुक्त विधि पारित कराने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** मैं कह नहीं सकता कि इस मसले पर भारत-संसद् का क्षेत्राधिकार भी होगा या नहीं ।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल :** क्या यह सच है कि इस मसले पर हाउस ऑफ लार्ड्स में वाद-विवाद के समय लार्ड डेनिंग ने यह विचार व्यक्त किया था कि यह विधि असंतोषप्रद है और ब्रिटिश सरकार को इस विधि में संशोधन के लिये समुचित कार्यवाही करनी चाहिये, और क्या भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार से यह प्रश्न उठाया है ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** यदि हाउस आंफ़ लार्ड्स में किसी लार्ड ने यह सुझाव दिया हो तो संभवतः ब्रिटिश सरकार ने उस प्रस्ताव पर विचार किया होगा ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** यह उपयुक्त अवसर कब आयेगा क्योंकि यह मसला पिछले दस वर्षों से चल रहा है, और क्या इस बात की कोई उचित आशा है कि यह धन मिल जायेगा ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** दुर्भाग्यवश हमें अभी यह राशि नहीं मिल पाई है । इसलिये हमें अभी ऐसी किसी चीज की प्रतीक्षा करनी होगी जो हमें यह राशि दिला सके। हम भी इसे पाने के लिये उतने ही उत्सुक हैं जितना कोई हो सकता है ।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल :** 'उपयुक्त अवसर' से माननीय मंत्री का क्या प्रयोजन है ? क्या वह हमें इसकी परिभाषा बता सकते हैं ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** ऐसा अवसर जिसमें हमें यह राशि प्राप्त करने में सफलता मिल जाय ।

तेल शोधन उद्योग के लिये प्रशिक्षण स्कूल

+

†*१४४८. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १८ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०३३ के उत्तर के संबंध में यह बतानें की कृपा करेंगे कि तेल शोधन उद्योग के लिये बम्बई में एक प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना का प्रस्ताव इस समय किस अवस्था में है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) :** इस तरह का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है ?

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** इस उद्योग के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये सरकार क्या अन्य कार्यवाही करने वाली हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** जहां तक गैर–सरकारी तेल-शोधक कारखानों का संबंध है, कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये उनकी पृथक व्यवस्था है। सरकारी क्षेत्र में भविष्य में स्थापित होने वाले तेल-शोधक कारखानों के लिये उन देशों के साथ मिलकर प्रबन्ध किया जायेगा जो हमारे साथ इस कार्य के लिये सहयोग करेंगे।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या सरकार ने इस बात का कोई अनुमान लगाया है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंत तक इस उद्योग के लिये कितने प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में अभी से कुछ बता सकना कठिन है।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बरौनी और आसाम में अभी तेल-शोधक कारखानों की स्थापना होनी है, इन कारखानों के लिये प्रशिक्षित कर्मचारी हासिल करने के लिये सरकार ने क्या अतिरिक्त कार्यवाही की है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** मैं कह चुका हूं कि जहां तक सरकारी क्षेत्र के तेल शोधक कारखानों का प्रश्न है, हमारे साथ सहयोग करने वाले देश ही लोगों को प्रशिक्षण दे लेंगे।

तेल छिद्रण-कार्य

†*१४४६. **श्री पांगरकर :** क्या **इस्पात खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय भारत में कितने स्थानों पर तेल छिद्रण-कार्य हो रहा है; और

(ख) अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) :** (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है।

ववरण

भारत में तेल के लिये छिद्रण कार्य तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा, इण्डो–स्टैनबैंक पैट्रोलियम परियोजना की ओर से स्टैण्डर्ड वैकूम आयल कम्पनी द्वारा और आसाम ऑयल कम्पनी लिमिटेड तथा ऑयल इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। आयोग ने ज्वालामुखी, होशियारपुर और कैम्बे में परीक्षण के लिये गहराई तक छिद्रण किये हैं और वह शीघ्र ही शिवसागर में भी यह कार्य आरम्भ करने वाला है। स्टैण्डर्ड वैकूम ऑयल कम्पनी ने पश्चिम बंगाल में छिद्रण किये हैं और आसाम ऑयल कम्पनी तथा ऑयल इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड ने आसाम के क्षेत्रों में छिद्रण कार्य किये हैं। आयोग ज्वालामुखी क्षेत्र में स्ट्रक्चरल छिद्रण और बड़ौदा क्षेत्र में छिछला छिद्रण भी कर रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को ज्वालामुखी के गहरे परीक्षण कूप संख्या १ में दो स्थानों पर गैस प्राप्त हुई। कैम्बे के कूप संख्या १ में से तेल निकला जिससे वाणिज्यिक पैमाने पर उपयोग की संभावनाओं का संकेत मिला है। बड़ौदा के निकट वेदसर में जो छिछले छिद्र किये गये हैं उनमें से एक में से गैस काफी दबाव के साथ बाहर निकली जिससे यह अनुमान होता है कि वहां गैस और तेल का एक छोटा सा भंडार है।

पश्चिम बंगाल में स्टैण्डर्ड वैकूम आयल कम्पनी ने जो ६ कुएं खोदे हैं उनमें से ५ सूखे निकले। रानाघाट वाले छठे कूएं के परिणाम अभी उपलब्ध नहीं हैं।

आसाम में ऑयल इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड के क्षेत्रों में दिसम्बर, १९५८ के अन्त तक ४७ कूपों का छिद्रण हो चुका है। इनमें से आठ असफल रहे और सात की अभी और जाँच करनी है।

†**श्री पांगरकर :** क्या चालू वर्ष में कार्य के लिये बम्बई राज्य के कोई अन्य नये स्थान चुने गये हैं?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** सरकार की वर्तमान नीति सारा ध्यान उन स्थानों पर केन्द्रित करने की है जिनमें तेल मिलने के संकेत मिले हैं।

†**श्री हेम बरुआ :** नहरकटिया, हुगरीजन, मोरन, कैम्बे और ज्वालामुखी के तेल क्षेत्रों से अधिक से अधिक और कम से कम कितना तेल निकलने या उसका पता चलने की संभावना है?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** जहां तक माननीय सदस्य के राज्य—आसाम—का सम्बन्ध है, ४७ कूपों का छिद्रण किया गया है और उनमें से अभी तक १५ के संबंध में कोई फल नहीं निकला है। कुछ असफल सिद्ध हुए हैं। और कुछ में और आगे जाँच की जा रही है। हमारा अनुमान है कि ३५० लाख से ४५० लाख टन तक का रक्षित भंडार है। हमें आशा है कि हम आसाम में नहरकटिया, हुगरीजन और मोरन के तेल-क्षेत्रों से लगभग २५ लाख टन तेल का उत्पादन कर सकेंगे।

†**श्री जयपाल सिंह :** इस चतुर्मुखी कार्यक्रम में, अर्थात् भूतत्ववेत्ताओं के दलों, ग्रैविटी कम-लौगिंग पार्टीज, सीस्मिक पार्टीज और इलैक्ट्रोलौगिंग पार्टीज में केवल एक ही इलैक्ट्रोलौगिंग टीम है। यह एक ही क्यों हैं क्योंकि जिस क्षेत्र में इसे काम करना है वह तो बहुत बड़ा है?

†**श्री के० दे० मालवीय :** जहां तक तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का संबंध है, यह सच है कि हमारे पास केवल एक इलैक्ट्रोलौगिंग पार्टी है। अधिक इलैक्ट्रोलौगिंग स्टेशनों को प्राप्त करने में हमें कुछ कठिनाई पड़ी थी। इन जटिल यंत्रों को प्राप्त करना कठिन है। रूस सरकार ने कुछ यंत्र बेचकर हम पर बड़ी कृपा की है और हमें आशा है कि हमें उनसे दो और यंत्र मिल सकेंगे। अब हम इन दोनों इलैक्ट्रोलौगिंग स्टेशनों को चलाने के लिये कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। हमें यह यंत्र शीघ्र ही मिल जाने की संभावना है। और तब हमारे पास तीन इलैक्ट्रोलौगिंग केन्द्र हो जायेंगे और एक छोटा इलैक्ट्रोलौगिंग केन्द्र हो जायेगा। हमारा ख्याल है कि उस पूरे क्षेत्र में काम करने के लिये कुछ समय के लिये इतने केन्द्र काफी होंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शिवनंजप्पा :** क्या दक्षिण भारत के राज्यों में तेल वाले कुयें मिलने के संकेत मिले हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** हमने दक्षिण में भी कुछ क्षेत्रों की जांच की है। हमें यह आशा रखनी चाहिये कि वहां से और भी उत्साहप्रद परिणाम प्राप्त होंगे।

†**श्री गोरे :** हमारे छिद्रण कार्य की गति कितनी है और आसाम ऑयल कम्पनी की गति की तुलना में यह कैसी बैठती है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अधीन होने वाले छिद्रण कार्य की गति उतनी तेज नहीं है जितनी विदेशी कम्पनियों के ठेकेदारों की है। इसके दो कारण हैं। उन्हें छिद्रण कार्य का हमसे अधिक अनुभव प्राप्त है। हम भी इसका ढंग सीखते जा रहे हैं दूसरा कारण अधिक महत्वपूर्ण है और वह यह है कि अछूते क्षेत्रों में इसमें अधिक समय लगता है। आसाम ऑयल कम्पनी जहां छिद्रण कर रही है वह क्षेत्र उसे पहले से ज्ञात थे और इसीलिये उनकी गति अपेक्षाकृत रूप से तेज है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** विवरण में कहा गया है कि एक स्थान पर स्ट्रक्चरल छिद्रण और बड़ौदा में छिछला छिद्रण किया जा रहा है। इन दो प्रकार के छिद्रणों से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** छिद्रण चाहे स्ट्रक्चरल हो या छिछला उसका प्रयोजन सब-स्ट्रैटम के बारे में भूतत्वीय जानकारी प्राप्त करने से होता है। विभिन्न क्षेत्रों के सब-स्ट्रैटम के बारे में एक बार जानकारी मिल जाने के बाद हम यह निश्चय करते हैं कि हमें और गहराई तक छिद्रण करना चाहिये या नहीं। बड़ौदा में हम भूतत्वीय जानकारी प्राप्त करने के लिये छिद्रण कर रहे थे कि आनुषंगिक तौर पर हमें दबावपूर्ण गैस और कुछ तेल मिल गया।

†**श्री गोरे :** लग भग एक महीने पहले यह खबर आयी थी कि आसाम आंयल कम्पनी ने इतनी तेजी से छिद्रण किया कि छः दिन में १०,००० फुट छिद्रण कर प्रायः विश्व का रिकार्ड तोड़ दिया। अपने कर्मचारियों को आसाम आयल कम्पनी में प्रशिक्षण दिलाने के लिये हम क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** अपने क्षेत्रों में अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिये हम सभी उचित कार्यवाही कर रहे हैं। यह सच है कि आसाम आयल कम्पनी के कुछ विशेषज्ञों ने कुछ बहुत अच्छे रेकार्ड कायम किये हैं।

†**श्री प्र० चं० बोस :** क्या पश्चिम बंगाल में आरम्भ किये गये सभी छिद्रण कार्य पूरे हो गये हैं ; और उनका क्या परिणाम निकला है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** वहां जो भी छिद्रण किये जाने वाले थे वे सभी पूरे नहीं हुए हैं। अब तक हम ने छः छिद्रण किये हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उन में से पांच असफल रहे हैं और छठे की जांच की जा रही है। वहां कुछ और छिद्र किये जाने वाले हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

युद्ध-सामग्री कारखानों के महानिदेशक

†*१४५०. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि युद्ध सामग्री कारखानों के नये महानिदेशक को उस पद के लिये विहित वेतन-क्रम से ऊंचा वेतन-क्रम दिया गया है ; और

(ख) वेतन क्रम में यह परिवर्तन करने के क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) जी हां। १९४७ में विहित वेतन-क्रम से अधिक ।

(ख) इस पद का विहित वेतन-क्रम १९३१ के बाद के असैनिक पदाधिकारी के लिये है। लेकिन १९३१ के बाद आने वाला कोई भी व्यक्ति इस पद पर नियुक्त नहीं हुआ है। पिछले असैनिक पदधारी एक इंडियन सर्विस आफ इंजीनियर्स के पदाधिकारी थे और उन्हें २,५००–१००–३,००० रुपये का वेतन क्रम दिया गया था। युद्ध सामग्री कारखानों के वर्तमान महानिदेशक भारतीय नौ सेना के १९३६ के पहले के कमीशन प्राप्त पदाधिकारी हैं और इंडियन सर्विस आफ इंजीनियर्स के पदाधिकारियों की तरह ये भी वेतन दरों के सुरक्षण प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इसलिये, उन्हें भी वही वेतन-क्रम दिया गया जो इनके पूर्वाधिकारी को दिया गया था।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** नये महानिदेशक की प्रविधिक अर्हतायें क्या हैं ?

†**सरदार मजीठिया :** वह भारतीय नौसेना में वरिष्ठतम इंजीनियरिंग पदाधिकारी थे और इस लिये इस पद के लिये विशिष्ट रूप से उपयुक्त थे।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल :** युद्ध-सामग्री कारखानों के इस नये महानिदेशक को २५० रुपये प्रति-मास का एक विशेष अतिथि-सत्कार का भत्ता मिलता है और केवल ५० रुपये के भुगतान पर स्टाफ-कार का निजी कामों में इस्तेमाल करने की अनुमति दी गयी है। इस पदाधिकारी को यह सुविधायें देने का क्या कारण है जब कि इस के पूर्वाधिकारी को ये सुविधायें नहीं दी गयीं थीं।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं ऐसे छोटे-छोटे मसलों को यहां उठाने की अनुमति नहीं दे सकता। जब आप एक महानिदेशक नियुक्त करते हैं तो २५० रुपये कुछ अधिक नहीं मालूम पड़ते। मैं प्रशासन संबंधी ब्यौरे की इस प्रकार जांच की अनुमति नहीं दे सकता ।

वयस्क बहरों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र

+

*१४५२. { **श्री सरजू पांडे :**
श्री झूलन सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री २४ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १७३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरीदाबाद के अतिरिक्त अन्य किन स्थानों पर वयस्क बहरों के लिए अस्थायी तौर से प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायेंगे ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) फरीदाबाद में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) फिलहाल विचार यह है कि प्रौढ़ बहरों के लिये केवल एक ही सिखलाई केन्द्र खोला जाए । इसे अस्थायी रूप से खोलने के लिए अभी अन्तिम रूप से कोई स्थान नहीं चुना गया है ।

(ख) जिस इमारत को बनाने की बात चल रही है उस की लागत को कम करने के लिये दोबारा नक्शे और तखमीने बनाये गये हैं और उन की जांच की जा रही है ।

[इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

श्री सरजू पांडे : पूरी योजना को पूरी तरह से तैयार करने में अभी कितना समय लगेगा ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जितनी जल्दी हो सके इस योजना को कार्यान्वित करने की कोशिश की जा रही है ।

श्री सरजू पांडे : देश के और किन किन भागों में इस तरह के स्कूल खोले जा रहे हैं ?

डा० का० ला० श्रीमाली : यहां यह खुल जाये तो और भी इस तरह के केन्द्र खुल सकेंगे और इस तरीक़े को प्रोत्साहन दिया जायगा ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** इस विषय में वयस्क बहरों की सहायता के लिये क्या कुछ व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** यह कुछ कठिन प्रश्न है । इस प्रकार के केन्द्र आरम्भ होने पर यथा समय कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित किया जायेगा । अभी तो केवल दिल्ली के आस पास एक केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव है और मुझे आशा है कि इस केन्द्र के लिये हमें प्रशिक्षित कर्मचारी मिल जायेंगे । विस्तार की योजना होने पर कर्मचारियों के प्रशिक्षण के प्रश्न पर भी विचार कर लिया जायगा ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** इस भवन की लागत कितनी कूती गयी है ? क्या लागत कम कराने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** केन्द्रीय लोक-निर्माण ने जो प्राक्कलन दिये हैं वह कुछ अधिक हैं । इसलिये हम ने उन से प्राक्कलनों का पुनरीक्षण करने के लिये कहा था । पुनरीक्षित प्राक्कलनों के अनुसार प्लाट की कीमत ९२,००० रुपये के लगभग होगी और निर्माण कार्यक्रम में, जिस में जमीन की कीमत भी शामिल है, लगभग ६,५९,९२४ रुपये लगेंगे । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुल व्यय ११,९६,०३६ से अधिक होने की संभावना नहीं है । १९५९–६० के राजस्व बजट में १ लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है ।

†**श्री जयपाल सिंह :** क्या प्रत्येक व्यक्ति के प्रशिक्षण के औसत खर्च का हिसाब लगाया गया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** जी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मिलावटी घी

+

†*१४५३. { श्री विभूति मिश्र :
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २१ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर की केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिक की अनुसंधानशाला ने मिलावटी घी की परीक्षा के लिए जो सूत्र निकाला है उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) इस परीक्षा को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) इस परीक्षा के लिये नमूने के ज़रा से घी में थोड़ी सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फुरफुरल नाम का एक केमिकल मिलाया जाता है। यदि घी में वनस्पति मिला होगा तो घी का रंग गुलाबी हो जायेगा।

(ख) (१) इस परीक्षा का अखबारों और जर्नलों के जरिये और 'भारत—१९५८' जैसी नुमाइशों में प्रदर्शन द्वारा काफी प्रचार किया गया है।

(२) राज्य सरकारों को इसका ब्यौरा बता दिया गया है।

(३) अब दिल्ली की एक फर्म इस परीक्षा के लिये कुछ एक ठोस किट बना रही है और उसे जनता को बेच रही है।

[इसके पश्चात् उत्तर हिन्दी में भी पढ़ा गया]

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि गांवों में रहने वाले आदमियों को इसका ज्ञान हो इसके लिये सरकार ने क्या किया है ?

श्री हुमायून् कबिर : हम ने तो अभी प्रचार शुरू किया है और जो शहर में प्रचार होता है वह बहुत जल्दी गांवों में पहुंच जाता है।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि शहर में आपने क्या प्रचार किया है ?

श्री हुमायून् कबिर : शहर में तो जैसा हमने बताया इस के बारे में नुमाइश में बताया गया, अखबारों में बताया गया, जरनलों में भी बताया गया, और जब हमारी कोई टीम देहात में जायेगी तो वहां भी हम यह बात बतायेंगे।

श्री वाजपेयी : मंत्री जी ने कहा है कि यदि शुद्ध घी में बनस्पति मिलाया जाये तो उसका रंग गुलाबी हो जायेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि बनस्पति के अतिरिक्त अन्य पदार्थ जैसे चरबी आदि मिलाये जायेंगे तो उसका रंग क्या होगा।

श्री हुमायून् कबिर : यह जो टैस्ट है उसका नाम बुडाइन टैस्ट है। यह बनस्पति के लिए है। जिस सामान में सीसेम आइल होता है उस के लिए यह काफी है। लेकिन चरबी के लिए अभी तक कोई टैस्ट नहीं बना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

इंजीनियरिंग कालेजों में दाखिला

+

†*१४५४. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री नरसिंहन् :
श्री वाजपेयी :
श्री विभूति मिश्र :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री सुबिमन घोष :
श्री हेम राज :

क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन द्वारा इंस्टीट्यूट आफ़ टेलीकम्यूनिकेशन इंजीनियर्स की दिसम्बर, १९५८ की पांचवीं अखिल भारतीय सामान्य बैठक के उद्घाटन के समय प्रविधिक संस्थाओं में दाखिले के सम्बन्ध में कही गई बातों की ओर आकृष्ट हुआ है ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में राजनीतिक दबाव के कारण घटिया योग्यताओं वाले छात्र प्रविधिक संस्थाओं में दाखिल कर लिये जाते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जाने वाली है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). भारत सरकार को तो ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं दी गई है लेकिन श्री देशमुख के वक्तव्यों को ध्यान में रखते हुये इस मंत्रालय के प्रादेशिक कार्यालयों की मार्फत जानकारी हासिल की जा रही है ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करने वाली है ताकि इन संस्थाओं में होशियार विद्यार्थी प्रवेश पा सकें ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : मैं कह चुका हूं कि कोई शिकायत नहीं मिली है और इस मामले में प्रत्येक संभव कार्यवाही की जा रही है । मैं माननीय सदस्य को यह बता दूं कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में जिन गैर-सरकारी संस्थाओं के विकास का अनुमोदन किया गया है इस वर्ष से उनके लिये यह शर्त लगा दी गई है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये सुरक्षित स्थानों को छोड़ कर शेष सभी स्थानों के लिये भर्ती केवल योग्यता के आधार पर ही की जायेगी ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या गैर-सरकारी संस्थाओं में प्रवेश के बारे में सरकार की बात चलती है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : सामान्य शर्तें निर्धारित करने के अलावा हमारी और कोई बात नहीं चलती और न हम चलाना चाहते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**राजा महेन्द्र प्रताप :** मुझे इस सम्बन्ध में एक बड़ा जरूरी सवाल पूछना है। माननीय बाबू जगजीवन राम जी ने मुझसे अपनी संस्था में एक विद्यार्थी को भर्ती करने के लिये कहा। हमारे प्रिंसिपल उसे और १० अन्य विद्यार्थियों को भर्ती करने के लिये राजी हो गये। लेकिन, मंत्री महोदय, आपने मेरा अनुरोध नहीं माना और न बाबू जगजीवन राम जी का अनुरोध स्वीकार किया। क्या यही न्याय है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** मैं कह चुका हूं कि हम सामान्य सिद्धांत निर्धारित करते हैं—अलग-अलग मामलों का निबटारा नहीं करते।

†**श्री हेडा :** क्या सरकार ऐसे लड़कों की संख्या एकत्र कर रही है जिन्हें आवश्यक न्यूनतम अंक पाये बिना भर्ती कर लिया गया हो ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** मेरे पास एक विवरण तैयार है जिससे पता चलता है कि प्रायः ६० प्रतिशत या अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थी ही अधिक संख्या में हैं और ५० प्रतिशत या उससे कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों का अनुपात बहुत कम है।

†**श्री वाजपेयी :** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभापति ने १९५८ के दिसम्बर में यह बात कही थी। क्या उनसे इस आरोप को पुष्ट करने के लिये आवश्यक जानकारी देने को कहा गया था, और यदि नहीं, तो क्यों ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** यह उनका काम है कि यदि उनके पास कोई जानकारी है तो वे उसे हमारे पास भेजें। हम अपने प्रादेशिक कार्यालयों से और सम्बन्धित राज्य सरकारों से पूछताछ कर रहे हैं।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड :** अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिये इन इंजीनियरिंग कालेजों के कितने प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहते हैं ? क्या सरकार को पता है कि इस बात की कई शिकायतें हैं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग कालेजों में भर्ती नहीं किया जाता ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** साधारणतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये प्रायः २० प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहते हैं। यह हो सकता है कि प्रवेश चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भर्ती न किया जाता हो, क्योंकि मांग बहुत है और स्थानों की संख्या सीमित है।

†**श्री जयपाल सिंह :** इसी बैठक में सभापति महोदय ने इस बात की ओर संकेत करते हुये खेद प्रकट किया कि अप्रेन्टिस इंजीनियरों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देने में उद्योग ने भी अपनी भूमिका अदा नहीं की है। मंत्री महोदय ने अभी कहा कि हस्तक्षेप करने या हिदायत देने तक की उनकी कोई मंशा नहीं है। सरकार उनके कार्य के बारे में यह कैसे जानेगी कि वह ठीक से कार्य कर भी रहे हैं या नहीं ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** माननीय सदस्य मेरे उत्तर को गलत समझे हैं। मैंने कहा है कि हम सामान्य सिद्धान्त निर्धारित कर देते हैं, अलग-अलग मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री विभूति मिश्र : यूनीवरसिटी ग्रांट्स कमीशन के चेयरमैन बड़े जवाबदेह आदमी हैं और उन्होंने स्टेट सरकार के विपक्ष में यह रिमार्क पास किया है। क्या हमारी सरकार ने दरियाफ्त किया है कि इसके लिये उनके पास क्या सबूत है ?

श्री हुमायून् कबिर : उन्होंने एक तकरीर की है और तकरीर की बिना पर अगर हम हमेशा इन्क्वायरी करना शुरू कर देंगे तो सिर्फ इन्क्वायरी ही करते रहेंगे और दूसरा काम करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि वह एक जिम्मेदार आदमी हैं इसलिये हम अपने रीजनल आफिसर के जरिये यह खबर जमा कर रहे हैं।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या कोई परीक्षा विहित है और क्या विश्वविद्यालय भर्त्ती के लिये कोई परीक्षा लेते हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : अखिल भारतीय संस्थाओं के लिये हम अखिल भारतीय परीक्षायें लेते हैं। हाल ही में प्रविधिक शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद् ने यह सिफारिश की थी कि सम्पूर्ण भारत के लिये एक प्रतियोगिता परीक्षा होनी चाहिये। लेकिन, दुर्भाग्यवश, राज्य सरकार सदैव ही इस प्रकार के प्रस्तावों के लिये राजी नहीं होती और कुछ विश्वविद्यालयों और कालेजों के अपने स्वतंत्र विचार होते हैं।

इस्पात बेलन मिलें

†*१४५५. **श्री मुरारका** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १९ नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न १४३ के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेलन मिलों का मूल्य २४ करोड़ रुपये बढ़ जाने से मैसर्ज़ क्रुप देमग को भी कोई लाभ होगा ;

(ख) यदि हां, तो कितना ; और

(ग) यह किन आधारों पर उचित है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). बेलन मिलों के विभिन्न भागों के आदेश कई फर्मों को दिये गये थे। नौतल पर्यन्त निःशुल्क मूल्यों के बढ़ने के कारण उल्लिखित प्रश्न के उत्तर में बताये जा चुके हैं। क्रुप एण्ड देमग से जो मिलों के भाग खरीदने के आदेश दिये गये थे उनके नौतल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की सामग्री के मूल्य और मजूरी बढ़ जाने के कारण बढ़ गये थे। इन फर्मों को कोई अतिरिक्त लाभ नहीं हुआ है।

†**श्री मुरारका :** पहले उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा था कि हमारे परामर्शदाताओं मैसर्ज़ क्रुप देमग ने इस प्रश्न की जांच की थी। यदि स्वयं क्रुप देमग को इससे लाभ हो रहा था तो सरकार ने इस वृद्धि की भारत में किसी अन्य संस्था द्वारा जांच कराने के लिये क्या कार्यवाही की थी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** पहले प्रश्न के उत्तर में मैंने बहुत विस्तृत जानकारी दी थी। माननीय सदस्य की मूल धारणा ही सही नहीं है। डिज़ाइन में परिवर्तन होने से अथवा अधिक पूर्ण मशीन खरीदी जाय तो मूल्य अवश्य बढ़ जायेगा। परन्तु यह कहना सही नहीं कि उस फर्म को अतिरिक्त लाभ हो रहा है। हम दूसरी मशीन खरीद रहे हैं जो कि बहतर है। इसकी जांच क्रुप एण्ड देमग

†मूल अंग्रेजी में

के अतिरिक्त अन्य परामर्शदाताओं ने भी की थी और बिजली की मोटरों और अन्य उपकरणों में जो परिवर्तन किया गया उसे इंडीन जमीनशैफ्ट के अतिरिक्त इंटरनैशनल कंस्ट्रक्शन कम्पनी ने अनुमोदित किया था। उस फर्म का क्रुप देमग से कोई सम्बन्ध नहीं था।

†**श्री मुरारका** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।

†**अध्यक्ष महोदय** : उत्तर दे दिया गया है। वह जानना चाहते थे कि क्या खर्च में वृद्धि की कोई जांच की गई थी। माननीय मंत्री ने बताया कि दो फर्मों ने जिनमें से एक भारतीय है इस मामले की जांच की थी।

†**श्री मुरारका** : खर्च में २४ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है इसलिये मैं उस फर्म का नाम जानना चाहता हूं जिससे परामर्श किया गया था क्योंकि किसी भारतीय फर्म से कभी परामर्श नहीं किया गया। संभव है कि हमें न बताया गया हो। इसलिये हम उनके नाम जानना चाहते हैं।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैंने यूनिवर्सल कंस्ट्रक्शन कम्पनी का नाम बताया है जो ब्रिटिश कम्पनी है, भारतीय नहीं?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने एक भारतीय फर्म का नाम भी बताया था।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इंडीन जेमीनशैफ्ट भारतीय फर्म नहीं है।

†**श्री मुरारका** : २४ करोड़ रुपये की इस वृद्धि में क्रुप देमग का कितना अंश है?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं बता चुका हूँ कि यह वास्तव में मूल्य वृद्धि नहीं है। नमूना बदलने से और अन्य कारणों से यह अन्तर पड़ गया है। यदि सभा चाहे तो मैं इसका ब्योरा और वृद्धि के कारण बता सकता हूँ। पहले उत्तर में यह सब बताया जा चुका है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं इसे दोहरा सकता हूँ।

†**अध्यक्ष महोदय** : दोहराने की जरूरत नहीं। माननीय सदस्य शायद यही जानना चाहते थे कि मूल्य बढ़ जाने के अतिरिक्त इस कम्पनी को कोई और फायदा भी पहुंचा है।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : नमूना बदलने और उपकरण बदलने से लागत बढ़ गई है। इसके अतिरिक्त किसी संभरण कर्ता फर्म को कोई लाभ नहीं पहुंचा है।

†**श्री मुरारका** : स्वाभाविक वृद्धि अथवा अतिरिक्त मुनाफे के रूप में इस फर्म को २४ करोड़ रुपये में से कितना अंश मिला है?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : एक बात तो यह है कि यह फर्म संभरण नहीं कर रही है क्योंकि क्रुप और देमग दो अलग-अलग फर्में हैं। बेलन मिलों का संभरण कई फर्में कर रही हैं। उदाहरणतः बेलन मिलों में ब्लूमिंग और स्लैबिंग मिलें होती हैं जिनका संभरण मैसर्ज सेंक ने, हौट स्ट्रिप मिलों का संभरण मैसर्ज देमग ने, प्लेट मिल का संभरण मैसर्ज फ्राइड क्रुप और कोल्ड बेलन मिलों का संभरण मैसर्ज सीमग ने किया है। इसके अतिरिक्त और भी सामान है जिसका संभरण कई फर्मों ने किया है। इसमें से इस फर्म ने कुल कितना संभरण किया है यह पता लगाने के लिये पूर्व सूचना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

सिंगरेनी कोयला खानें

+

†*१४५७. **श्री दे० वें० राव :**
श्री नागी रेड्डी :
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में योजना के लक्ष्य को पूरा करने के लिये सिंगरेनी कोयला खानों के लिये कौन सी मशीनें अत्यन्त आवश्यक हैं;

(ख) उन पर कितनी लागत का अनुमान है;

(ग) उनके लिये कितनी विदेशी मुद्रा की जरूरत है।

(घ) क्या वह स्वीकृत की जा चुकी है;

(ङ) ये मशीनें अनुमानतः किन तिथियों को लगा दी जायेंगी; और

(च) यदि भाग (घ) का उत्तर नकारात्मक है, तो इसकी मंजूरी कब दी जायेगी?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : (क) इस प्रकार की मशीनों की जरूरत है :

कोयला काटने वाली मशीनें
हालर
पम्प
वैंटीलेशन फैंन
स्विचगीयर
लदान करने वाले यंत्र
शटल कारें
मोटर जैनरेटर
कनवेयर
कोल ड्रिल्ज
कोल हैंड़लिंग प्लांट्स
पावर प्लांट इक्विपमैंट

(ख) ३४६ लाख रुपये।

(ग) २६५ लाख रुपये।

(घ) अभी तक सिंगरेनी कोयला कम्पनी को १६१ लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की मंजूरी दी गई है। इसमें से केवल ९४ लाख रुपये की विदेशी मुद्रा ही गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) उपकरण जब पहुंचता है उसे लगा दिया जाता है। लगभग १०९ लाख रुपये का उपकरण जिसमें देशीय उपकरण भी शामिल है प्राप्त हो चुकी है जो लगाई जा चुकी है अथवा लगाई जा रही है।

†**श्री दे० वें० राव :** इस मशीनरी का आयात किन देशों से किया जा रहा है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** हम कई समवायों से आयात कर रहे हैं। उदाहरणतः बिजली के सामान का आयात इंगलैंड से किया जाता है।

†**श्री दे० वें० राव :** यह मूल परियोजनाओं में से एक है। मशीनों के संभरण में विलम्ब हो रहा है। क्या योजना के लक्ष्यों की पूर्त्ति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** मैं माननीय सदस्य से सहमत नहीं हूँ कि इसमें विलम्ब हुआ है। जब कमी कोई मांग की जाती है तब केन्द्रीय सरकार उसकी मंजूरी दे देती है और शीघ्र कार्यवाही की जाती है।

†**श्री प्र० चं० बोस :** क्या सिंगरेनी कोयला कम्पनी स्वयं सामान खरीद रही है या सरकार उसकी व्यवस्था कर रही है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** कम्पनी खरीदती है परन्तु उसे आयात करने की अनुमति केन्द्रीय सरकार से लेनी पड़ती है।

†**श्री हेडा :** विभिन्न मशीनों के अधिष्ठापन के लिये कौन सी लक्ष्य तिथियां निर्धारित की गई हैं और क्या ये लक्ष्य पूरे किये गये हैं ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** जब कभी मशीनों की जरूरत होती है उन्हें आयात करके लगा दिया जाता है। मैंने बताया कि इसमें कोई विलम्ब नहीं हुआ है। १९५७–५८ के लिये २० लाख टन उत्पादन का लक्ष्य था जो शायद पूरा हो चुका है।

दिल्ली में भिखारी समस्या

†*१४५८. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८–५९ में अब तक दिल्ली में भिखारी समस्या को हल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृहकार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** दिल्ली नगर निगम, १९५७ की धारा ३९७ (१) (क) (२), जिसके अन्तर्गत आवारा घूमने और भीख मांगने की मनाही की गई है, लागू कर दिया गया है और दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली निगम और नई दिल्ली नगर पालिका समिति को दिल्ली निर्धन आश्रम के लिये ४७,५०० रुपये सहायता अनुदान के तौर पर दिये हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** दिल्ली नगर निगम तथा अन्य संस्थायें जिन्हें यह काम सौंपा गया है माननीय मंत्री द्वारा उल्लिखित धारा को किस प्रकार कार्यान्वित कर रही है ?

†**श्री दातार :** एक संस्था यह कार्य करती है और निर्धन आश्रम चला रही है। विभिन्न निकाय इस संस्था को सहायता अनुदान देते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दी० चं० शर्मा :** इन भिखारियों के पुनर्वास के लिये और उन्हें निर्धन आश्रम में रखने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ? निर्धन आश्रम में कितने लोग रह रहे हैं ?

†**श्री दातार :** उन्हें रहने के स्थान, भोजन और कपड़े के अतिरिक्त व्यवसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् :** क्या इन सब भिखारियों को पकड़ने के बारे में विचार किया जा रहा है और क्या उन बालकों को भी पकड़ा जायेगा जो कारों और पर्यटकों को घेर लेते हैं ?

†**श्री दातार :** जो भिखारी इस अधिनियम के लपेट में आ जाते हैं उन्हें कई बार पकड़ लिया जाता है।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो भिखारी बेगर हाउस में ले जाये जाते हैं उनसे क्या काम लिया जाता है और क्या खाने को दिया जाता है ?

†**श्री दातार :** मैंने बताया कि उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड :** क्या यह सच है कि कुछ प्रतिशत भिखारी बेकार हैं इसीलिये वे भीख मांगते हैं ?

†**श्री दातार :** दिल्ली नगरपालिका क्षेत्र में एक अधिनियम लागू होता है और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में दूसरा। वे जब कभी इन अधिनियमों के अन्तर्गत कोई अपराध करते है तब उन्हें निरुद्ध किया जाता है। कुछ व्यक्ति वहां जा कर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

ऋण सेवा योजना

†*१४५९. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत में कोई बैंक, ब्रिटेन की तरह, कुटीर, औद्योगिक तथा अत्यावश्यक वस्तुओं के प्रभोक्ताओं को कोई ऋण सेवा प्रदान करने की योजना पर विचार कर रही है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब०रा० भगत) :** इंडियन ओवरसीज़ बैंक और देवकरण नानजी बैंकिंग समवाय ने हाल ही में उपभोक्ता वस्तुऐं खरीदने के लिये व्यक्तिगत ऋण देने की योजनायें चालू की हैं। पता चला है कि इंडियन बैंक भी १९५३ से ऐसे ऋण दे रहा है। अन्य बैंकों द्वारा इसी प्रकार की योजनायें आरम्भ करने की यदि कोई योजना हो भी तो सरकार को उस बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या कुछ इस का भी अध्ययन आप के द्वारा हुआ है कि इस स्कीम से क्या फायदा होगा ?

श्री ब० र० भगत : मामूली ढंग से तो कुछ फायदा हुआ है लेकिन विस्तृत रूप से इस का व्यवहार किया जाय और फायदा उठाया जाय, इस पर बहुत सोच विचार नहीं किया ।

निर्वाचनों में अमान्य मतदान पत्रों की संख्या

†*१४६१. **श्री गोरे :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जब से निर्वाचन आयोग ने निशान लगाने का नया तरीका अपनाया है तब से कितने प्रतिशत मतदान पत्र अमान्य हुए हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)**: उन उपनिर्वाचनों में जहां मतदान पत्रों पर निशान लगाने का तरीका अपनाया गया है, अमान्य मतदान पत्रों की संख्या ०.७ प्रतिशत से १४.८ प्रतिशत है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले जनरल एलेक्शन में जब कि बैलेट बाक्सेज की प्रथा थी और अब के मार्किंग सिस्टम के एलेक्शन में इन्वैलिड वोट्स का क्या अनुपात है।

†**श्री अ० कु० सेन** : इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये।

भारतीय वायु सेना का मरम्मत डिपो, चकेरी

+

†*१४६४. { **श्रीमती इलापाल चौधरी** :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वायु सेना 'बेस' मरम्मत डिपो, चकेरी (कानपुर) ने बेकार पड़े सामान और कबाड़ से एक विमान तैयार किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके नमूने, उड़ान योग्य होने और उपयोगी होने सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या इसी तरह और विमान बनाये जायेंगे ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)**: (क) जी हां। वायु सेना के पास उपलब्ध सामग्री से एक विमान तैयार किया गया था।

(ख) वह विमान संचार कार्य और भारत की फ्लाइंग क्लबों में काम आयेगा। इसे अभी आवश्यक प्रमाण पत्र दिये जाने हैं।

(ग) इसे प्रयोग करने के बाद यह निश्चय किया जायेगा कि प्रतिरक्षा विभाग अथवा असैनिक उड्डयन अथवा गैर-सरकारी प्रयोग के लिये इनकी कितनी मांग है।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : समाचार पत्रों के प्रतिवेदनों से पता चलता है कि यह विमान घायल व्यक्तियों को ले जाने के काम में आ सकता है। यदि हां, तो क्या इसे रोगियों के लिये अधिक आरामदेह बनाने के लिये इस में कुछ परिवर्तन किये गये हैं ?

†**सरदार मजीठिया**: यह इस प्रकार बनाया गया है कि इस से वह काम भी लिया जा सकता है।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या इसी स्थान पर वही फर्म अन्य विमानों के लिये किसी अन्य प्रकार के 'प्रोपेलर' बना रही है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन्)** : जी नहीं।

†**श्री त्यागी** : समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ था कि यह विमान इसी संगठन ने तैयार किया है। माननीय मंत्री का कहना है कि यह उपलब्ध सामग्री से तैयार किया गया था। यह सामग्री किस प्रकार की थी ? क्या उसके सभी पुर्जे उपलब्ध थे और उन्हें जोड़ कर यह विमान तैयार कर लिया गया है या कि डिज़ाइन और सब कुछ यहीं तैयार किया गया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार मजीठिया :** इसका नमूना एयर कमोडोर हरजिन्द्र सिह और मेनटेनेंस कमांड के अन्य पदाधिकारियों ने तैयार किया था और यह डिपो में उपलब्ध सामग्री से तैयार किया गया था।

†**श्री त्यागी :** सामग्री क्या है ? क्या वहां पुर्जे पड़े हुए थे जिन्हें जोड़ कर विमान तैयार किया गया था या कि सामग्री भी कारखाने में तैयार की गई थी ?

†**श्री च० द० पांडे :** इस्पात की चादरें।

†**श्री कृष्ण मेनन :** इस विमान में स्टाक इंजन लगाया गया है। इसके लिये केवल एक इंजन बनाना सम्भव नहीं है। विमान का नमूना कारखाने में मेनटेनेंस कमांड द्वारा तैयार किया गया था और वहीं इसका निर्माण किया गया था। इसके लिये धातु देश में उपलब्ध नहीं है। यह भी स्टाक में उपलब्ध सामग्री से ली गई है।

†**श्री त्यागी :** यह आश्चर्य की बात है। माननीय मंत्री ने कहा है कि विमान उपलब्ध सामग्री से तैयार किया गया था। क्या वह इंजन भी कारखाने में तैयार किया गया था ?

†**अध्यक्ष महोदय :** नहीं। माननीय मंत्री इसका उत्तर दे चुके हैं।

†**श्री त्यागी :** मैं नहीं चाहता कि इस प्रकार का गलत प्रचार किया जाये। पुर्जे जोड़ कर विमान तैयार किया गया है। इसके बारे में व्यर्थ यह प्रचार नहीं करना चाहिये कि उसका निर्माण यहां किया गया था।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य को कटाक्ष नहीं करना चाहिये।

†**श्री त्यागी :** इसमें कटाक्ष का सवाल नहीं है। हमें इसका उत्तर मिलना चाहिये। इसका निर्माण यहां नहीं किया गया था।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री की राय में यहां पुर्जे जोड़ कर विमान तैयार करने को ही निर्माण करना कहा जा सकता है ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** इसे पुर्जे जोड़ कर तैयार नहीं किया गया है। इसका डिज़ाइन हमारे इंजिनियरों ने तैयार किया है। इस नमूने का विमान और कहीं नहीं है। शायद माननीय सदस्य किसी अन्य विमान के बारे में पूछ रहे होंगे ?

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, मैं यह जानना चाहता हूं कि वायु सेना के इस अधिकारी ने जो वायुयान निर्मित किया है उस में आगे कितनी प्रगति हुई है और क्या प्रोत्साहन के तौर पर उसे कुछ इनाम दिया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह तो वही प्रश्न दूसरी तरह से पूछा गया है।

†**सरदार मजीठिया :** दैनिक काम करते समय उन्हीं ने इसे तैयार किया है। यह कार्य प्रशंसनीय है। एयर कमोडोर को कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं दिया गया है।

†**श्री जयपाल सिंह :** मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय मंत्री ने कहा कि उड़ान योग्य होने का प्रमाण पत्र मिल जाने के बाद यह देखा जायेगा कि इसकी मांग प्रतिरक्षा मंत्रालय में अधिक है या कि असैनिक उड्डयन के लिये। मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि क्या कानपुर में इतना अधिक कबाड़ पड़ा हुआ है कि उस से कई विमान तैयार किये जा सकते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कृष्ण मेनन :** यदि उत्पादन किया जाता है तो वह कबाड से नहीं किया जायेगा। मैं ने यह तो नहीं कहा कि यह कबाड़ से बनाया गया था। मैंने यह कहा था कि यह विमान सेना डिपो में उपलब्ध सामग्री से, जिस में कबाड़ भी हो सकता है, तैयार किया गया था।

†**श्री त्यागी :** किस प्रकार का इंजन प्रयोग किया गया है ?

†**श्री स० म० बनर्जी :** क्या यह सच है कि इस विमान पर लगभग ३०,००० रुपये लागत आती है और यदि हां, तो क्या सरकार वाणिज्यिक प्रयोग के लिये ऐसे कुछ और विमान तैयार करने का विचार कर रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री बता चुके हैं कि यदि यह उड़ान के योग्य हुआ तो इस मामले पर विचार किया जायेगा।

†**श्री स० म० बनर्जी:** यह कानपुर में श्रमिकों और एयर कमोडोर द्वारा तैयार किया गया था और इसकी लागत ३०,००० रुपये है जो कि बाद के मूल्य से थोड़ी अधिक है। क्या वाणिज्यिक प्रयोग के लिये इसका निर्माण किया जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य सभा को जानकारी दे रहे हैं।

†**श्री त्यागी :** इंजन का 'थ्रस्ट' (**thrust**) क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं यह प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा।

माननीय सदस्य जिरह कर रहे हैं। वे विश्वास नहीं करते कि यहां नया डिजाइन है और केवल पुर्जों को जोड़ कर तैयार नहीं किया गया है। इस महान कार्य को प्रशंसा करने के बजाये माननीय सदस्य यह पूछ रहे हैं कि इंजन किस प्रकार का है और यह किस प्रकार शक्ति का है।

†**श्री जयपाल सिंह :** मुझे इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना है कि माननीय सदस्य का प्रश्न उचित है। हमने "पुष्पक ७" का निर्माण किया है और हम उसका मूल्य जानते हैं। यदि यह अंक सही है तो इसका बड़ा महत्व है और यह पूछने की अनुमति दी जानी चाहिये।

†**श्री कृष्ण मेनन :** अभी मैं इसके मूल्य के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता क्योंकि श्रमिकों और पदाधिकारियों ने अपने कामके समय में इसे तैयार किया है और यह काम उन परिस्थितियों में नहीं किया गया जिनमें उत्पादन किया जाता है। यह तो केवल इस कारण तैयार हो गया कि इन लोगों में यह इच्छा थी कि हमारे देश में विमान तैयार किये जायें।

चम्बा का लक्ष्मीनारायण मन्दिर

*१४६५. **श्री पद्म देव :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चम्बा (हिमाचल प्रदेश) में जो लक्ष्मीनारायण मन्दिर १९५७ में जल गया था क्या इस बीच उसकी मरम्मत कर दी गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) और (ख). जो मरम्मतें करनी हैं उसमें से कुछ जटिल हैं इसलिये अभी तक मरम्मत नहीं हुई है लेकिन तख्मीने तैयार कर लिये गये हैं और उनकी मौके पर जांच करने के लिये 'आर्किलाजीकल इंजीनियर' वहां जा रहा है।

मैं यह भी बता दूं कि वह अप्रैल के प्रथम सप्ताह में वहां होंगे।

श्री पद्म देव : मैं जानना चाहता हूं कि मन्दिर के चारों तरफ जो दुकानें जल गई थीं, और जो एक तरफ से उसकी रक्षा का साधन भी थीं तो क्या मन्दिर के साथ वे भी बनायी जायेंगी ?

श्री हुमायून् कबिर : जो हमारा आर्किलाजिकल मोन्यूमेंट है उसको रिपेयर करने की तो हमारी जिम्मेदारी है। अब जहां तक दुकानों का ताल्लुक है उनको बनाने की हमारी जिम्मेदारी नहीं है।

श्री पदम् देव : मेरे कहने का मतलब यह है कि मन्दिर की रक्षा के साथ साथ जो दुकानें बनी हुई थीं, उनकी रिपेयर अगर नहीं होती तो फिर मन्दिर खुला सा हो जाता है और इस तरीक़े से जैसे आज तक उसकी रक्षा थी वह नहीं हो पायेगी और क्या उसके लिये दुकानों की रिपेयर कराने का या कोई और इस किसम का ढंग अख्तयार किया जायेगा और क्या योजना में उसका भी कोई समावेश है ?

श्री हुमायून् कबिर : हमारी जिम्मेदारी तो मोन्यूमेंट को रिपेयर कराने की है लेकिन जैसा कि आपने कहा अगर दुकानें बनानी ज़रूरी हों और वे उनको अपनी खर्चों से बनाना चाहेंगे तो हम उसमें उनको दूसरी मदद देंगे लेकिन खर्चे की जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है।

युद्ध सामग्री कारखाने

\+

†*१४६६. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :
श्री वारियर :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष प्रकार का इस्पात तैयार करने की युद्ध सामग्री कारखानों की वर्तमान क्षमता बढ़ाने का कोई विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो किस हद तक ?

†**प्रतिरक्षा उप मंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) जी हां। १२ टन की इलैक्ट्रिक आर्क फर्नेस लगाई जा रही है और वह अक्तूबर, १९५९ में चालू हो जायेगी। इसके अतिरिक्त ३० टन की बेसिक ओपन हार्थ फर्नेस की मंजूरी दी गई है।

(ख) इन भट्टियों के चालू हो जाने से इस्पात का वार्षिक उत्पादन २२,००० से २५,००० टन और बढ़ जायेगा।

†**श्री स० म० बनर्जी :** यह देखते हुए कि अब युद्ध सामग्री डिपोज़ में ट्रक और ट्रैक्टर बनाने का निश्चय किया गया है क्या यह वृद्धि इसके लिये पर्याप्त होगी ?

---

†अंग्रेजी में

†**सरदार मजीठिया :** मैंने इस्पात का अतिरिक्त उत्पादन बता दिया है और आशा है कि इससे प्रतिरक्षा सेवाओं की आवश्यकतायें पूरी हो जायेंगी ।

स्क्रैप का निर्यात

+

†*१४६७. { **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री परमार :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि घटिया किस्म के ग्रेड २ और ३ के हल्के स्क्रैप के निर्यात की आवंटन पद्धति के कारण इस बेकार स्क्रैप के निर्यात को प्रोत्साहन नहीं मिलता है ; और

(ख) क्या हल्के स्क्रेप के निर्यात के लिये सरकार इस आवंटन को हटाने के बारे में विचार कर रही है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) और (ख). जो कोई व्यक्ति ग्रेड २ और ३ के हल्के स्क्रेप का निर्यात करना चाहता है उसे लाइसेंस देते समय मात्रा का प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता है । परन्तु शर्त यह है कि ग्रेड २ और ३ के चादरों की कतरनों का १० टन का निर्यात करने से पूर्व ग्रेड १ की चादरों की एक टन कतरनें इस्पात नियंत्रक द्वारा नाम निर्देशित इलैक्ट्रिक फर्नेस मालिकों को देनी पड़ेगी । यदि फर्नेस के मालिक उपयुक्त समय में ग्रेड १ चादरों की कतरनें स्वीकार नहीं करेंगे तो इस्पात नियंत्रक बिना इस शर्त के ग्रेड २ और ३ की चादरों की कतरनों का निर्यात करने की स्वीकृति दे देगा ।

भट्टी के मालिकों को ग्रेड १ की चादरों की कतरनें देने की व्यवस्था हुये चार वर्ष का समय हो गया है परन्तु इससे स्क्रैप के अल्प ग्रेडों के निर्यात में कमी नहीं हुई है । इस पद्धति को हटाने का कोई विचार नहीं है ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इस साल कितना स्क्रैप एक्सपोर्ट (निर्यात) किया गया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** इसमें काफी प्रगति हुई है क्योंकि २८ फरवरी, १९५९ तक अर्थात् दो मास में, लोहा तथा इस्पात नियंत्रक ने वस्तु विनिमय के २३ सौदे किये हैं जिनमें १३२, २१० टन कबाड़ है और उसमें ग्रेड २ और ३ की चादरों की कतरनें भी शामिल हैं ।

बोस जांच बोर्ड

†*१४६८. **श्री त० ब० विट्ठल राव** क्या **गृह-कार्य** मंत्री २ मार्च, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ७६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम के विनियोजन से संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध कारण बताने की कार्यवाही कब की गई थी ;

(ख) क्या उन्हों ने स्पष्टीकरण प्रस्तुत के लिये कुछ और समय मांगा था

(ग) यदि हां, तो क्या वह स्वीकार कर लिया गया है; और

(घ) उन्हों ने स्पष्टीकरण वास्तव में कब भेजा था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) कारण बताने वाले नोटिस पदाधिकारियों के पास २८ नवम्बर, १९५८ को भेजे गये थे ।

(ख) श्री एच० एम० पटेल ने एक सप्ताह का और समय अर्थात ७ जनवरी, १९५९ तक समय मांगा था ।

(ग) श्री एच० एम० पटेल ने जो और समय मांगा था वह स्वीकार कर लिया गया है ।

(घ) श्री जी० आर० कामत ने अपना स्पष्टीकरण ३१ दिसम्बर, १९५८ को और श्री एच० एम० पटेल ने ७ जनवरी, १९५९ को अपना स्पष्टीकरण भेज दिया था ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : इन नोटिसों के प्राप्त होने और उन्हें संबंधित व्यक्तियों के न भेजने में मंत्रालय को लगभग दो मास लगे । इस विलम्ब के क्या कारण थे ?

†श्री गो० ब० पन्त : इन नोटिसों को जारी करने से पहले इनका अध्ययन और उसकी जांच करना आवश्यक था यह प्रतिवेदन भी बहुत बड़ा था ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : इन पदाधिकारियों पर नोटिस जारी करने से पहले क्या विधि मंत्रालय से परामर्श किया गया था ?

†श्री गो० ब० पन्त : सामान्य प्रक्रिया अपनाई गई थी ।

†श्री हेम बरूआ : क्या यह सच है कि विविन बोस समिति के निर्णयानुसार जिन पदाधिकारियों के विरुद्ध कारण बताने की कार्यवाही की गई थी उन्होंने आरोप-पत्र में उठाई गई कुछ बातों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा था, यदि ऐसा है, तो और आगे स्पष्टीकरणों को देखते हुए वह स्पष्टीकरण क्या था ?

†श्री गो० ब० पंत : मैं प्रश्न को भली भांति नहीं समझ सका किन्तु मैंने इसका जो निर्वचन लगाया है उसके आधार पर मैं उत्तर दूंगा । स्पष्टीकरण बोस जांच समिति की उपपत्तियों के आधार पर मांगा गया था ।

†अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति, वह केवल यह जानना चाहते हैं कि क्या यह स्पष्टीकरण अन्तिम है अथवा उन्हें किसी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है जिसके प्राप्त होने के पश्चात् वे और आगे अपना स्पष्टीकरण दे सकें ।

†श्री हेम बरूआ : उन्होंने अपना-अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर दिया है तथा इस मामले का निर्देश अपने स्पष्टीकरण सहित पहले ही संघ लोक सेवा आयोग को कर दिया गया है ।

†अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार यह मामला यहीं पर समाप्त हो जाता है । मध्यवर्ती दशा में वार्ता करने से कोई लाभ नहीं । मैं सभा का समय इन बातों में नष्ट नहीं होने देना चाहता ।

†श्री स० म० बनर्जी : पिछले प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा है कि इसका निर्देश संघ लोक सेवा आयोग को जनवरी मास में कर दिया गया था । अब उसकी क्या स्थिति है और क्या प्रतिवेदन पर अन्तिम निर्णय इस मास अथवा अगले मास के अन्त तक होने जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गो० ब० पन्त** : हम आशा करते हैं कि वे अपने प्रस्ताव अथवा अन्तिम निर्णय अगले मास तक भेज सकेंगे ।

हिन्दी को सरल बनाना

†*१४६९. **श्री हेम बरूआ** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार हिन्दी भाषा को सरल बनाने का है जिससे अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के लोग उसे आसानी से समझ सकें और देश की राष्ट्र भाषा का स्थान ग्रहण करने के लिये उसकी प्रगति में शीघ्रता की जा सके ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : भारत के संविधान के अनुच्छेद ३५१ के उपबन्धों के अनुसार हिन्दी का विकास और उसकी अभिवृद्धि हो रही है ।

मंत्रालय द्वारा हिन्दी को यथासम्भव सरल बनाने के लिये संकेन्द्रित प्रयत्न किये जा रहे हैं जिससे वह सरलता से समझी जा सके ।

†**श्री हेम बरूआ** : क्या सरकार का विचार अंग्रेजी भाषा की भांति हिन्दी भाषा को भी लचीला बनाने का है जिससे हिन्दी में भी अन्य प्रादेशिक भाषाओं के शब्द लिये जा सकें । यदि ऐसा है, तो क्या सरकार द्वारा इस दिशा में कोई योजना तैयार की जा रही है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं पहले ही बता चुका हूं कि नये शब्दों को बनाने के बारे में संविधान में यह उपबन्ध है कि भारत की मिली जुली संस्कृति के तत्वों की अभिव्यक्ति की यह भाषा माध्यम होगी, इस कारण इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है । अतः इस भाषा के विकास को माननीय सदस्य द्वारा दिये गये सुझाव को पहले से ही ध्यान में रखा गया है ।

†**श्री हेम बरूआ** : हिन्दी में क्रिया और लिंग के बारे में जो अवैज्ञानिक भेद है वह मानवीय बुद्धि की समझ से परे है, क्या सरकार का विचार इन्हें कुछ सरल बनाने का है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह पहले ही यह बात कह चुके हैं ।

†**श्री हेम बरूआ** : जी, नहीं, वह तो मैंने शब्दों के बारे में कहा था । अब मैं क्रिया और लिंग की बात कर रहा हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह विशेष रूप से यह जानना चाहते हैं कि क्या लिंग में कोई रूप-भेद किया गया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं इस विषय में विशेषज्ञ नहीं हूं ।

श्री वाजपेयी : हिन्दी को सरल करने का क्या अर्थ है ? क्या इसका अर्थ यह है कि उसमें से संस्कृत के शब्द बीन बीन कर निकाल दिये जायें और अरबी और फ़ारसी के शब्द ढूंढ ढूंढ कर भर दिये जायें ?

श्री नाथ पाई : अरबी, फ़ारसी के तो नहीं मगर बंगाली, मराठी और आसामीज़ के ज़रूर लिये जायें ।

डा० का० ला० श्रीमाली । इसका आपने यह अर्थ कैसे निकाला लिया । कोशिश यह की जाती है कि ऐसी हिन्दी हो जिसको कि आम लोग समझ सकें और उसमें मुहावरे के शब्द इस्तैमाल

---

†मूल अंग्रेजी में

किये जाते हैं और इस दिशा में बराबर कोशिश की जा रही है। जहां कहीं और आसान शब्द नहीं मिलते वहां संस्कृत के शब्द भी इस्तैमाल किये जाते हैं।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

स्कूली बच्चों को जहर देने के बारे में भय

+

†अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११.

श्री सै० अ० मेहदी :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री संगण्णा :
श्री भक्त दर्शन :
श्री खुशवक्त राय :
श्री राम कृष्ण रेड्डी :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क). क्या यह सच है कि दिल्ली के कुछ स्कूल स्कूली बच्चों को जहर देने की अफवाह के कारण बन्द हो गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) अफवाह को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की; और

(घ) मृत्यु संख्या यदि कोई हुई हों तो ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) और (ख). स्कूल कोई भी बन्द नहीं हुआ किन्तु १४ और १६ मार्च, १९५९ को इस अफवाह के कारण स्कूलों में उपस्थिति कम रही कि बच्चों को जहर के टीके लगाये जा रहे हैं। यह अफवाह कहां से फैली इसका पता नहीं लग सका है।

अफवाहों को बन्द करने के लिये दिल्ली नगर निगम द्वारा तात्कालिक कार्यवाही की गई थी। १४ मार्च, को नगरपालिका शिक्षा पदाधिकारी शाहदरा क्षेत्र गये, जहां से कि अफवाह फैलना शुरू हुआ था और जनता को इस बात का आश्वासन बंधाने का प्रयत्न किया था कि ये अफवाहें सर्वथा निराधार हैं। इसके बाद दिन में स्वास्थ्य पदाधिकारी और शिक्षा पदाधिकारी ने इस मामले में गलतफहमी को दूर करने के बारे में समाचार पत्रों में अपना वक्तव्य दिया। १६ मार्च, को निम्न कार्यवाही की गई :

(१) दो गाड़ियां जिनमें लाउडस्पीकर लगे थे सारे नगर में घूमीं और जनता को इस बात का फिर से आश्वासन दिलाने का प्रयत्न किया कि यह सनसनी सर्वथा निराधार है।

(२) छपे हुये पर्चे बांटे गये।

(३) एक प्रेस टिप्पण जारी किया गया जो १६ और १७ मार्च, के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था।

(४) १६ और १७ मार्च, के स्थानीय समाचारों में आकाशवाणी द्वारा इस समाचार को प्रसारित किया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र के सारे स्कूलों में सिपाहियों को इसलिये तैनात कर दिया कि वे ऐसी अफवाहों को फैलाने वाले लोगों का पता लगा सकें और जनता को यह आश्वासन दे सकें कि यह अफवाह निराधार है ।

१७ को स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति में काफी सुधार हो गया और १८ मार्च, १९५९ से वह सामान्य हो गई ।

(घ) स्कूली बच्चों के टीके लगने के परिणामस्वरूप किसी बच्चे की मृत्यु हो जाने का कोई समाचार नहीं मिला है ।

†**श्री सैं० अ० मेहदी** : क्या यह सच है कि यह अफवाह बच्चों के साधारणत: अप्रैल, के महीने में लगने वाले टीकों के कारण फैली थी क्योंकि इस बार प्रमुख चिकित्सा पदाधिकारी ने ये इन्जेक्शन लगाने के लिये समय से पहले इन्सपेक्टर भेजे थे ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : जिन लोगों ने यह अफवाह फैलाई उसका क्या प्रयोजन था, यह मैं वास्तव में नहीं जानता तथा किन कारणों से उन्होंने ऐसा किया, यह भी मैं नहीं बता सकता ।

श्री वाजपेयी : दिल्ली नगर निगम के मेयर ने यह सुझाव रखा है कि सरकार इस प्रकार की अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाई करे, कोई नियम बनाये । मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री गो० ब० पन्त : मैं समझता हूं कि वह पकड़े जायें तो उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिये ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान, माननीय मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट है कि इतने दिन बीतने पर भी अभी तक इस बात का पता नहीं लगाया जा सका है कि वह अफवाह कहां से फैली और किन लोगों के द्वारा फैलाई गई । अत: मैं यह जानना चाहता हूं कि राजधानी का गुप्तचर विभाग क्या करता रहा है और क्या करने वाला है ?

श्री गो० ब० पन्त : राजधानी का गुप्तचर विभाग बहुत से कामों को कर सकता है । लेकिन अफवाहों की क्या बुनियाद है इसको पकड़ना बहुत आसान नहीं है । हम सब लोग भी तो सुनते आये हैं पर किसी को पता नहीं लगा कि किसने फैलाई है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि ज़हर देने की अफवाह फैलाने के बारे में शंका किये गये कुछ लोगों को मारा-पीटा गया था ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : मैंने इस बारे में कुछ नहीं सुना है किन्तु यदि इसमें उनका हाथ था और उनकी मारा-पीटी की गई तो मुझे अधिक खेद नहीं होगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

प्रतिलिप्याधिकार का उल्लंघन

†***१४५१. श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री धवन के इस कथन की ओर आकर्षित किया गया है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिलिप्याधिकार के कथित उल्लंघन

---

†मूल अंग्रेजी में

के आरोप पर जारी किये गये नोटिस का एक भाग "एक नादिरशाही फ़रमान" के समान है यद्यपि उस नोटिस को केवल कानूनी जामा पहनाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि न्यायाधीश धवन ने यह भी कहा है कि इसमें मुकदमा चलाने की बात कहीं नहीं कही गई है और इसके लिये मंजूरी नहीं दी जानी चाहिये ; और

(ग) क्या मामले की जांच कर ली गई है ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस)**: (क) और (ख). जी हां ।

(ग) अपील दायर करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

छात्रवृत्तियां

†*१४५६. **श्री झूलन सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को केन्द्रीय सरकार की छात्रवृत्तिया किस आधार पर दी जाती हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

भारत सरकार की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को मैट्रिक से आगे के लिये अन्तर्देशीय छात्रवृत्ति योजना के अधीन सारे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के उपयुक्त आवेदकों को भारत की किसी मान्यताप्राप्त संस्था में मैट्रिक से आगे अध्ययन करने के लिये वे जितने अंक अथवा जिस श्रेणी में वे अपनी अन्तिम वार्षिक परीक्षा में उतीर्ण होते हैं उस पर ध्यान दिये बिना केवल उत्तीर्ण हो कर अगली कक्षा में पहुंच जाने पर तथा निर्धारित फार्म पर समय के भीतर छात्रवृत्ति के लिये आवेदन करने पर छात्रवृत्ति दी जाती है ।

२. "अन्य पिछड़े वर्गों" के लिये छात्रवृत्तियां प्रत्येक राज्य/संघ प्रशासन के लिये आवंटित कोटे के अन्तर्गत योग्यता के आधार पर शिक्षा के प्रत्येक प्रक्रम के लिये उस राज्य/संघ प्रशासन में अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों की संख्या कितनी है इसके आधार पर ही दी जाती हैं। प्रत्येक प्रक्रम पर छात्रवृतियां छात्रों के केवल उत्तीर्ण होने पर अगले वर्ष के लिये स्वीकृत कर दी जाती हैं ।

कच्चे लोहे का उत्पादन

†*१४६०. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला और भिलाई में अलग -अलग बिक्री के योग्य कितना कच्चा लोहा तैयार किया जा रहा है ;

(ख) वे देश कौन-कौन से हैं जिन्होंने यह कच्चा लोहा खरीदने के लिये पूछ-ताछ की हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उन्होंने क्या दर उद्धृत की है,; और

(घ) क्या सरकार का विचार उसे बेचने का है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) रूरकेला में दमन भट्टी की उत्पादन क्षमता १,००० टन कच्चा लोहा प्रतिदिन और भिलाई की क्षमता, १,१०० टन प्रतिदिन है। भट्टियों की अभी शुरुआत की हालत है इस कारण उत्पादन पूर्ण उत्पादन क्षमता से कम ही होता है ।

(ख) से (घ). इस समय सरकार लोहा तथा इस्पात नियंत्रक द्वारा जारी किये गये टेण्डर पर कच्चे लोहे के निर्यात के लिये विभिन्न पक्षों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार कर रही है इस मामले में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है। विभिन्न पक्षों द्वारा उद्धृत भाव बताना लोक-हित में नहीं होगा ?

निदादावोलू में खुदाई

†*१४६२. **कुमारी मो० वेद कुमारी** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के ज़िला पश्चिमी गोदावरी के निदादावोलू नामक स्थान में हुई खुदाई में एक बैल (नन्दी) की मूर्ति मिली थी ;

(ख) वह किस शताब्दी की है; और

(ग) क्या केन्द्रीय पुरातत्व विभाग उस स्थान की और खुदाई करने का काम करेगा ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** : (क) पुरातत्व संघ विभाग ने निदादावोलू में कोई खुदाई का काम नहीं किया है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

तेल सर्वेक्षण

*१४६३. **श्री रा० स० तिवारी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल की खोज के कार्य को तेज करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति का कार्यालय कहां पर होगा ?

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत–रूस करार

†*१४७०. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इंजीनियरों को इस्पात बनाने में प्रशिक्षण देने के लिये सहायता देने के बारे में भारत और रूस के बीच कोई करार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और कितनी राशि की सहायता की गई है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

सोवियत रूस ने, जो भिलाई इस्पात संयंत्र के निर्माण में सहयोग दे रहा है, मई, १९५६ में ६८६ भारतीय इंजीनियरों और अन्य टैक्नीशियनों को सोवियत रूस में प्रशिक्षण देना मंजूर किया है । इस करार की शर्तों के अनुसार अब तक ४९२ भारतीय व्यक्ति भेजे जा चुके हैं । इनमें से ३९९ अब तक भारत वापस आ चुके हैं । शेष भारतीय व्यक्तियों को रूस भेजने का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

उपर्युक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत रूस भेजे गये १३८ इंजीनियरों का प्रशिक्षण व्यय प्रति प्रशिक्षार्थी १,२०० रूबल प्रतिमास के हिसाब से संयुक्त राष्ट्र टेक्निकल सहायता प्रशासन द्वारा किया जाता है । अन्य लोगों पर जो व्यय होगा वह हिन्दुस्तान इस्पात लिमिटेड द्वारा किया जायेगा । सोवियत रूस की सरकार ने यह मान लिया है कि जनवरी, १९५८ के आरम्भ से प्रशिक्षण व्यय में मुख्य करार के अन्तर्गत लिया गया व्यय भी शामिल किया जायेगा । ।दूसरे शब्दों में प्रशिक्षण व्यय का भुगतान १२ बराबर वार्षिक किश्तों में किया जायेगा जिस पर २।। प्रतिशत व्याज लगेगा ।

भारतीय क्रिकेट टीम

†*१४७१. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में क्रिकेट के केन्द्रीय बोर्ड ने भारतीय क्रिकेट टीम को इंग्लैंड भेजने के लिये वित्तीय सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला०श्रीमाली)** : (क) कोई वित्तीय सहायता नहीं मांगी गई है । बोर्ड ने ३,००० पौ० तक की विदेशी मुद्रा संबंधी सुविधा के लिये आवेदन किया है ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिये मैट्रिक से आगे अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां

†*१४७२. **श्री राम शरण** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जाति के छात्रों को मैट्रिक से आगे अध्ययन के लिये १९५८–५९ में सभी संबंधित छात्रों को अभी तक छात्रवृत्तियों का भुगतान नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) उनका भुगतान कब तक करने की संभावना है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला०श्रीमाली)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी, हां ।

(ख) विलम्ब के निम्न कारण हैं :—

(१) २५ लाख रुपये की अतिरिक्त निधि के नवम्बर के उतरार्द्ध में देर से मंजूरी (जिसमें सभी उपयुक्त अनुसूचित जाति के उम्मीदवार आ जाते हैं) ।

(२) स्मरण-पत्रों के बावजूद भी पुरस्कार के लिये उनकी उपयुक्तता निर्धारित करने के संबंध में मांगी गई जानकारी छात्रों द्वारा न भेजना ; और

(३) मार्च, १९५९ के प्रथम सप्ताह तक प्राप्त आवेदन पत्रों पर छात्रवृत्तियों की मंजूरी में विलम्ब ।

(ग) अप्रैल, १९५९ के प्रथमार्द्ध तक ।

आदिम जाति के कल्याण के लिये केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड

†*१४७३. **श्री रा० च० माझी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिम जाति कल्याण के केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड द्वारा राज्य आदिम जाति मंत्रणा बोर्ड अथवा समिति में इस केन्द्रीय बोर्ड के सदस्यों का नामांकन करने के बारे में दिया गया सुझाव सभी राज्यों ने स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या राज्यों ने इसके कोई कारण बताये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

द्वारका में दिल्ली के दो छात्रों की मृत्यु

†*१४७४. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या शिक्षा मंत्री ५ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६३४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने उन परिस्थितियों की जांच की है जिनसे द्वारका में दिल्ली के दो छात्रों की मृत्यु हो गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां।

(ख) जांच समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

इण्डियन स्टील वर्क्स कान्स्ट्रक्शन कम्पनी

†*१४७५. **श्री मुरारका** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १९ नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४५ के उत्तर के संबंध में एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्न बातें दिखाई गई हों :

(क) इण्डियन स्टील वर्क्स कान्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड द्वारा मूल्यांतर संबंधी खंड के अधीन २० लाख पौंड की जो मांग की गई है उसका ब्योरा क्या है;

(ख) क्या वृद्धि के लिये सरकार सहमत हो गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो सहमति किस आधार पर दी गई थी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) से (ग). जैसा कि मैं अपने १९ नवम्बर, १९५८ के उत्तर में ही बता चुका था, इंडियन स्टील वर्क्स कान्सट्रक्शन कम्पनी द्वारा अनेक दावे प्राप्त हुये थे। किस आधार पर मूल्य बढ़ाये जा सकते हैं यह संविदा में स्पष्ट दिया हुआ है। सामान के दाम बढ़ जाने अथवा श्रम के लिये मूल काल की तुलना में अधिक व्यय करने पर ही मूल्य बढ़ाये जा सकते हैं जो प्रगति संबंधी भुगतान अथवा लदान के लिये नियमित बिलों के मद में शामिल किये जाते हैं। मूल्य बढ़ाने के दावों को निबटाना कम्पनी के आये दिन के व्यापार पर निर्भर करता है।

बिहार तथा पश्चिमी बंगाल में सहकारी ऋण का ढांचा

†१४७६. **श्री झूलन सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार और पश्चिमी बंगाल में सहकारी ऋण के ढांचे के पुनर्संगठन के बारे में भारत के रिजर्व बैंक की टेक्निकल समिति द्वारा की गई सिफारिशों के बारे में क्या स्थिति है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : भारत के रिजर्व बैंक ने बिहार और पश्चिमी बंगाल के सहकारी ऋण ढांचे के पुनर्संगठन के संबंध में सिफ़ारिश करने के लिये कोई टेक्निकल समिति की नियुक्ति नहीं की थी। राज्य सरकारों ने इन दोनों राज्यों में केन्द्रीय बैंकों की संख्या घटाने तथा भारत के रिजर्व बैंक के परामर्श से सहकारिता आंदोलन को सुदृढ़ बनाने के लिये कुछ कदम उठाने के बारे में भी निश्चय किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीनी उद्योग

†*१४७७. **श्री पांगरकर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उद्योग को बैंकों से पेशगियां दिलवाने की सुविधाओं में कुछ छूट देना मंजूर कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उद्योग को उससे कहां तक लाभ पहुंचा है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत):** (क) हाल में कोई छूट देने का अधिकार नहीं दिया गया है, किन्तु उद्योग के उत्पादन सेक्शन को जुलाई, १९५७ से चीनी पर रिजर्व बैंक के निदेशों से जो प्रतिबन्ध लगे थे उनसे मुक्त कर दिया गया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

शिक्षा का विकास

†*१४७८. **श्री दी० चं० शर्मा:** क्या **शिक्षा** मंत्री १५ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४७५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा के सुयोजित विकास में जैसा कि मद्रास सरकार द्वारा सुझाव दिया गया है, अब तक क्या प्रगति की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** मैसूर के अतिरिक्त अन्य सारी राज्य सरकारों से टीकायें प्राप्त हो गई हैं । तृतीय पंच वर्षीय योजना में इस प्रकार की योजनायें बनाने के लिये योजना आयोग द्वारा विचार करने के लिये ये टीकायें उसके पास भेज दी गई हैं ।

दुर्गापुर के लिये रेलवे इंजन

†*१४७९. **श्रीमती इलापाल चौधरी :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री २० फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ४७९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात संयंत्र की भांति दुर्गापुर के लिये भी कुछ रेलवे इंजनों का आर्डर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है तथा संभरण की शर्तें क्या हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) जी, हां ।

(ख) मैसर्स इंडियन स्टीलवर्क्स कांसट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड से किये गये संविदा के अन्तर्गत वह २३ डीजेल-विद्युत रेलवे इंजनों का संभरण करेगी जिससे कारखाने के अन्दर तथा जहां निर्माण होता है वहां से सामान लाने ले जाने की मांग पूरी की जा सके । इसमें से दो डीजेल के रेलवे इंजन खुली भट्टी संयंत्र के लिये होंगे और एक कोक ओवेन संयंत्र के लिये होगा । ये इंजन इस्पात संयंत्र तथा सामान का एक भाग हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भिलाई को चूने के पत्थर का संभरण

†*१४८०. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई को चूने के पत्थर का संभरण करने के लिये चूने के पत्थर की खानों का विकास करने के लिये कुल कितनी राशि व्यय की जायेगी ; और

(ख) भिलाई के लिये कुल कितने चूने के पत्थर की आवश्यकता होगी और अब तक कितना उत्पादन होता है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) नन्दिनी चूने के पत्थर की खान के लिये लगभग ३८७ लाख रूपये और बस्ती के लिये लगभग १०४ लाख रुपये के व्यय का अनुमान लगाया गया है ।

(ख) वार्षिक आवश्यकता ५,५१,००० टन है। अब तक लगभग १,०४,००० टन चूने का पत्थर तैयार किया गया है ।

पंजाब में सीमेंट कारखानों पर बकाया आय-कर

†*१४८१. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के सीमेंट कारखानों पर बकाया आय-कर वसूल करने के लिये कोई कार्य-वाही की गई है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी राशि वसूल की गई है ; और

(ग) अभी कितनी राशि और वसूल की जानी है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). चूंकि इस जानकारी को बताने से आय-कर अधिनियम की धारा ५४ के उपबन्धों का उल्लंघन होने की संभावना है, इस कारण यह जानकारी देना संभव नहीं है।

नया बिलासपुर नगर

†*१४८२. **श्री दी० चं० शर्मा**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री १५ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ९३८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर का नया नगर बनाने के संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) परियोजना पर कुल कितनी लागत आयेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: (क) पात्र व्यक्तियों को नये नगर में प्लाट एलाट करने का काम पूरा हो गया है, एक बाजार बनाने के लिये भूमि प्राप्त कर ली गयी है, जमीन समतल कर ली गयी है और बाजार बनाने के लिये तैयार कर ली गई है। नयी बस्ती में जल संभरण कार्य तथा उसमें सड़कों, जल निस्सारण तथा गन्दे पानी को निकालने के संबंध में काम चल रहा है। एलाटी लोगों ने अपने मकान बनाने भी प्रारम्भ कर दिये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दफ्तरों के लिये तीन इमारतें और कर्मचारियों के लिये २० क्वार्टर बना दिये गये हैं। एक सिविल अस्पताल, एक सर्किट हाउस, एक विश्राम-गृह, एक लड़कों का कालेज, कर्मचारियों के लिये १२४ क्वार्टर और एक एक कमरे के ५० क्वार्टर तैयार किये जा रहे हैं।

(ख) परियोजना के लिये अभी तक लगभग ९२.६ लाख रुपये मंजूर किये गये हैं।

नागा

†*१४८३. **श्रीमती इलापाल चौधरी :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान मनीपुर (आसाम) के इंस्पेक्टर जनरल के इस कथित बयान की ओर आकृष्ट किया गया है कि हाल ही में नागा विद्रोहियों से जो कागजात पकड़े गये हैं, उनसे यह ज्ञात होता है कि उन्होंने सहायता के लिये पाकिस्तान से सम्पर्क स्थापित किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्योरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

शक संवत्

†२२५६. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सभी राज्यों में 'शक संवत्' लागू करने के संबंध में क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)**: सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

लगभग सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में निम्नलिखित विषयों में वर्तमान ग्रिगोरियन तिथियों के साथ-साथ राष्ट्रीय कैलेण्डर की तिथियां भी दी जाती हैं :—

(क) राज्य गजट ;

(ख) राज्यों द्वारा प्रकाशित किये जाने वाले कैलेण्डर, डायरियां, आदि ;

(ग) सरकारी पत्रादि जिनमें जनता को लिखे जाने वाले पत्रादि भी सम्मिलित हैं।

कुछ-एक राज्यों तथा संघ राज्य-क्षेत्रों में निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये भी वर्तमान ग्रिगोरियन तिथियों के साथ साथ राष्ट्रीय कैलेण्डर की तिथियों का प्रयोग किया जा रहा है :—

(क) सरकारी कागजातों पर जैसे कि उन कानूनी दस्तावेजों पर जहां सरकार एक पार्टी हो, और संविदाओं तथा करारों पर तिथियां लिखते समय।

(ख) कुछ एक रजिस्टर, जैसे कि जन्म रजिस्टर आदि रखने में।

टिप्पण :—उक्त जानकारी में मद्रास के संबंध में जानकारी सम्मिलित नहीं है, क्योंकि अभी तक वहां से उत्तर नहीं आया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा सम्बन्धी परीक्षा

†२२५७. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री पांगरकर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में संघ-लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय प्रतिष्ठा सेवा संबंधी परीक्षा में कुल कितने आदमी बैठे थे ; और

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को नियुक्ति के लिये चुना गया था ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) १९५८ की संयुक्त परीक्षा में भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के लिये क्रमश: ३८२२ और ३९६७ उम्मीदवार बैठे थे । उनमें से २६८८ अभ्यर्थी दोनों के लिये परीक्षा में बैठे थे ।

(ख) (१) संघ लोक सेवा आयोग ने भारतीय प्रशासन सेवा के लिये ६३ व्यक्तियों के संबंध में सिफारिश की थी जिनमें से ४८ को नियुक्त करने का विचार है ।

(२) भारतीय पुलिस सेवा के संबंध में परिणाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है ।

अल्प बचत योजना

†२२५८. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री नि० वि० माईती :
श्री रा० स० तिवारी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८–५९ में अल्प बचत योजना के संबंध में राज्य वार कितनी राशि एकत्रित हुई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १८]**

पाकिस्तान को कोयला भेजा जाना

†२२५९. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान को अगस्त से दिसम्बर, १९५७ में भेजे गये कोयले की तुलना में अगस्त से दिसम्बर, १९५८ में वहां कितना कोयला भेजा गया था ;

(ख) १९५८ के पहले ६ मासों में पाकिस्तान के दोनों भागों को कोयला भेजने के लिये प्रतिमास कुल कितने माल डिब्बे निर्धारित किये गये थे ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उक्त अवधि में वास्तव में कुल कितने डिब्बे भेजे गये थे ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १९]**

राजनीतिक पीड़ित

†२२६०. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री पांगरकर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ और १९५८–५९ में अभी तक राजनीतिक पीड़ितों से राज्यवार कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं ; और

(ख) उनमें से कितनों को राज्यवार सहायता दी गई है और कितनों के आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २०]**

अस्पृश्यता निवारण सम्बन्धी प्रचार

†२२६१. **श्री दी० चं० शर्मा**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा १९५८–५९ में भारत में अस्पृश्यता निवारण के प्रचार के लिये राज्यवार कितनी राशि आवंटित की है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २१]**

निर्वाचन याचिकायें

†२२६२. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा ८५ के अधीन निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं के संबंध में प्राप्त कितनी निर्वाचन याचिकाओं को अस्वीकृत कर दिया गया है ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस)** : निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा ८५ के अधीन गत सामान्य निर्वाचन के संबंध में लोक सभा के बारे में एक

---

†मूल अंग्रेजी में

निर्वाचन याचिका और राज्य विधान सभाओं के बारे में १५ निर्वाचन याचिकायें अस्वीकृत की गयी हैं। उनका राज्यवार ब्योरा यह है :—

क्रम संख्या	राज्य	अस्वीकृत याचिकाओं की संख्या	
		लोक-सभा	राज्य विधान सभा
१	आंध्र प्रदेश	—	१
२	आसाम	—	२
३	बिहार	१	४
४	बम्बई	—	२
५	मध्य प्रदेश	—	१
६	मद्रास .	—	१
७	मैसूर .	—	१
८	राजस्थान .	—	२
९	उत्तर प्रदेश .	—	१
		१	१५

लौह-अयस्क

†२२६३. **श्री पाणिग्रही :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७, १९५७–५८ और १९५८–५९ में उड़ीसा और बिहार में कुल कितने टन निर्यात योग्य लौह अयस्क का उत्पादन हुआ ; और

(ख) १९५६–५७, १९५७–५८ और १९५८–५९ में कितना निर्यात योग्य लौह अयस्क बर्ड एंड को के द्वारा प्राप्त किया गया था ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) और (ख). निर्यात योग्य लौह अयस्क ग्रेडनामक कोई अलग स्टैंडर्ड नहीं है। खरीदार द्वारा मांगा जाने वाले किसी भी लौह अयस्क का निर्यात किया जा सकता है। इस समय जो लौह अयस्क निर्यात किया जा रहा है, उसमें लौह का अंश ५५ से ६७ प्रतिशत तक है।

राजकोषीय वर्ष के हिसाब से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। खनिज परिरक्षण तथा विकास नियम, १९५८ के अधीन मिल मालिकों से केवल पत्री वर्ष के आधार आंकड़े मांगे जाते हैं। सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें बताया गया है कि १९५६ से १९५८ तक बिहार और उड़ीसा में अलग अलग ग्रेड के लौह अयस्क के आंकड़े दिये गये हैं और यह भी बताया गया है है कि मैसर्ज बर्ड एंड को के द्वारा कितना सामान भेजा गया था। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २२]**

†मूल अंग्रेजी में

छौ नृत्य

†२२६४. **श्री न० म० देब :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा के मयूरभंज और सरायकला के "छौ नृत्य" का प्रचार करने के संबंध में क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास):** संगीत अकादमी ने मयूरभंज ,तथा सरायकला के "छौ नृत्य" के विकास के लिये विभिन्न संस्थाओं को अनुदान दिये हैं। अकादमी "छौ नृत्य" पर एक पुस्तक छपवाने की योजना पर भी विचार कर रही है ।

लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप

†२२६५. **श्री नल्लाकोया :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपों के लिये १९५८–५९ में एक लेडी मेडिकल अफसर का स्थान मंजूर किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उस स्थान के उस वर्ष में भरे जाने के क्या कारण थे ; और

(ग) उक्त द्वीपों के लिये लेडी डाक्टर रखने के संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) जी, हां ।

(ख) काम दिलाऊ दफ्तरों के द्वारा तथा अन्य निकट के राज्यों से एक लेडी डाक्टर नियुक्त करने के बारे में प्रयत्न किये गये थे, परन्तु कोई सफलता नहीं मिली थी ।

(ग) अब संघ लोक सेवा आयोग की मार्फ़त एक उपयुक्त लेडी डाक्टर नियुक्त करने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है ।

लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप

†२२६६. **श्री नल्लाकोया :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपों में कितने मेडिकल अफसर नियुक्त किये गये थे ;

(ख) कितने डाक्टरों ने वर्षा ऋतु से पहले काम प्रारम्भ कर दिया था ; और

(ग) सरकार इस संबंध में क्या क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है कि भविष्य में सभी नियुक्त डाक्टर शीघ्र ही काम प्रारम्भ कर दिया करें ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) ७ ।

(ख) ५,

(ग) भविष्य में इस संबंध में कार्य को गति देने के लिये डाक्टरों को ठेके पर 'ओपन मार्केट' से भर्ती करने का विचार है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सहकारिता

†२२६७. **श्री नल्लाकोया :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री १९ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३८७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपों को १९५८–५९ के लिये सहकारिता योजना के अधीन आवंटित राशि ३१ अगस्त, १९५८ के उपरान्त खर्च की गयी है ; और यदि हां, तो कितनी ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार):** (क) १९५८–५९ के लिये जितनी राशि निर्धारित की गयी थी, वह उस वर्ष खर्च नहीं की जा सकी है।

(ख) १९५८–५९ में इन द्वीपों में सहकारी संस्था अधिनियम लागू नहीं किया जा सका है। १९५८–५९ के लिये जो राशि निर्धारित की गयी थी, वह अब १९५९–६० के लिये निर्धारित कर दी गयी है। और इन द्वीपों में इस अधिनियम के लागू होते ही इस राशि का उपयोग प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

लक्कादीव द्वीप के लिये प्रकाश स्तम्भ

†२२६८. **श्री नल्लाकोया :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री ११ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न ल्संख्या १८३९ के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेरीन आफ़िसर ने लक्कादीव द्वीप में प्रकाश स्तम्भ बनवाने के लिये वहां का दौरा किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) मैरीन आफ़िसर ने लक्कादीव का दौरा किया है और प्रकाश स्तम्भों के लये स्थान चुन लिये हैं। परन्तु अभी तक प्रकाश स्तम्भों के लिये योजना नहीं तैयार की गयी है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

लक्कादीव द्वीप

†२२६९. **श्री नल्लाकोया :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री ११ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एडीशनल चीफ़ इंजीनियर ने लक्काद्वीप का दौरा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो चट्टानों को हटाने के लिये क्या-क्या उपाय किये हैं ; और

(ग) यदि नहीं तो वे कब उसका दौरा करेंगे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) सभा राज्य-क्षेत्रों के एडीशनल चीफ़ इंजीनियर स्वयं तो दौरा न कर सके, परन्तु उनके 'सर्वेयर आंफ वर्क्स' ने दौरा किया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) समस्या का पूरी तरह से अन्दाज़ा लगा लिया गया है और उन चट्टानों को उड़ाने के लिये आवश्यक व्यक्तियों, मशीनों, विदेशी मुद्रा तथा सामग्री के प्राक्कलन तैयार करने के बारे में कार्यवाही की जा रही है ।

(ग) अब उस काम के लिये एडीशनल चीफ़ इंजीनियर का दौरा आवश्यक नहीं है ।

नागा विद्रोही

†२२७०. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम के मनीपुर और उत्तर कछार पहाड़ियों की सीमाओं पर नागा विद्रोहियों को गतिविधि बढ़ गयी हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन लोगों की गतिविधि पर नियंत्रण रखने के सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** (क) और (ख) . मनीपुर-आसाम क्षेत्रों पर नागा विद्रोहियों की कुछ गतिविधि हुई थी । उन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की गई है ।

सेवाओं में स्त्रियों का प्रवेश

†२२७१. **श्री चुनी लाल :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी सेवाओं में विवाहित स्त्रियों के प्रवेश करने पर कोई प्रतिबन्ध है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं है, परन्तु नियमों के अधीन सरकार को इस बात का अधिकार है कि यदि वह चाहे तो कुछ एक सेवाओं (भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय विदेश सेवा) में विवाहित स्त्रियों को लेने से इनकार कर सकती है । इस प्रकार के मामलों पर सरकार उनके गुणावगुणों के आधार पर निर्णय करती है ।

(ख) सरकार द्वारा ऐसा करना आवश्यक है, क्योंकि इस प्रकार के कई मामले हो चुके हैं जिनमें विवाहित स्त्रियों का कार्यपालन-पदों पर और विशेष कर उन पदों पर जिनके सामान्य रूप से या आकस्मिक सेवाओं में शीघ्रता या पर्याप्त समय तक बाहर रहना पड़ता है, अच्छी प्रकार से काम नहीं निभा सकी हैं ।

नयी दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय

†२२७२. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री ५ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९६९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या राष्ट्रीय संग्रहालय की इमारत बन कर तैयार हो गई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं, तो उसके कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, नहीं।

(ख) आशा है कि भवन के निर्माण का प्रथम चरण ३१ अगस्त, १९५९ तक पूरा हो जायेगा ।

काश्मीर का भूतत्वीय सर्वेक्षण

†२२७३. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री १० दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५७–५८ में काश्मीर में किये गये भूतत्वीय सर्वेक्षण की रिपोर्टें आगयी गयी हैं; और

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट कब प्रकाशित की जायेंगी ?

†**इस्पात और खान मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) १९५७–५८ के कुछ एक के अतिरिक्त अन्य सभी सर्वेक्षणों की रिपोर्टें तैयार हो गई हैं। शेष रिपोर्टें रसायनिक विश्लेषण के अभाव के कारण तैयार नहीं की जा सकी हैं ।

(ख) सभी रिपोर्टें प्रकाशित नहीं की जाती; परन्तु उन सभी रिपोर्टों का संक्षिप्त सार यथा समय भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के वार्षिक "रिकार्डों' में प्रकाशित किया जायेगा। भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा काश्मीर में किये गये क्षेत्रीय अनुसंधानों की समीक्षा १९५७–५८ में 'इण्डियन मिनिरल्स,' खण्ड १२ संख्या ४' में प्रकाशित की गई थी ।

भारतीय विवरणिकाओं[1] का पुनरीक्षण

†२२७४. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री ५ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने भारतीय विवरणिकाओं के पुनरीक्षण की प्रारूप योजना पर विचार किया है और उसे मंजूर कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख) भारतीय विवरणिकाओं के पुनरीक्षण की प्रारूप योजना भारत सरकार के विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Gazeteers.

राष्ट्रीय शिशु शिक्षा समिति[1]

†२२७५. **श्री श्री नारायण दास :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारें तथा केन्द्र-प्रशासित राज्य क्षेत्रों द्वारा शिशु शिक्षा और शिशुओं के कल्याण के सम्बन्ध में राष्ट्रीय शिशु शिक्षा समिति द्वारा किये गये सुझाओं को कार्यान्वित करना कहां तक सम्भव हो सका है ;

(ख) केन्द्रीय हरकार ने इस सम्बन्ध में किस प्रकार से सहायता दी है ;

(ग) क्या उक्त समिति ने इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया है कि इस सम्बन्ध में देश की सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थायें क्या-क्या काम कर रही हैं ;

(घ) क्या औद्योगिक श्रम क्षेत्रों में उसे लागू करना सम्भव है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक कितना काम पूरा हो गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) से (ङ) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) मंत्रालय के पास कोई ब्योरेवार जानकारी नहीं है ।

(ख) इसके अधीन एक योजना के अन्तर्गत शिशु क्षेत्र में काम करने वाली कुछ संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी गयी थी और इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों और अन्य सम्बन्ध अभिकरणों का ध्यान विभिन्न सिफ़ारिशों की ओर आकृष्ट किया गया है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) शिक्षा मंत्रालय के पास पूरी जानकारी नहीं है; परन्तु इन क्षेत्रों में कुछ एक स्वयं सेवी संस्थायें काम कर रही हैं ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उप-सचिव तथा अवर-सचिव

२२७६. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में कितने पदाधिकारी उप-सचिव व अवर-सचिव के पदों पर स्थायी व अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं;

(ख) इस सम्बन्ध में १ जनवरी, १९४८ को क्या स्थिति थी ; और

(ग) उप-सचिवों और अवर-सचिवों के कर्त्तव्यों और वेतन-क्रमों में क्या अन्तर है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]National Committee on Early Childhood Education.

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख) उप-सचिव और अवर-सचिव के स्थान आई० ए० एस० और केन्द्रीय सेवा की प्रथम श्रेणी के अफसरों द्वारा निश्चित अवधि के लिये भरे जाते हैं। इन पदों पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के प्रवर (सैलेक्शन) ग्रेड और उस सेवा के प्रथम ग्रेड के अफसरों को भी नियुक्त किया जाता है। उप-सचिव या अवर-सचिव के रूप में किसी को भी स्थायी नहीं किया जाता है। उप-सचिव और अवर-सचिव के रूप में काम करने वाले अफसरों की संख्या का एक विवरण संलग्न है।

(ग) आमतौर से एक अवर-सचिव के मातहत दो अनुभाग (सेक्शन) होते हैं जब कि एक उप-सचिव दो अवर-सचिवों के काम की देख-भाल करता है। इन पदों पर काम करने वालों के वेतन का एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २३]**

हिमाचल प्रदेश का चीनी व्यापारी संघ

२२७७. श्री भक्त दर्शन : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १५ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के चीनी व्यापारी संघ ने तिब्बत से व्यापार करने के लिये ऋण के लिये जो प्रार्थना की थी, उसके बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त): इन व्यापारियों को वित्तीय सहायता देने की योजना पर अन्तिम फसला नहीं हुआ है।

युद्ध सामग्री कारखानों में असैनिक डाक्टर

†**२२७८. श्री स० म० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युद्ध सामग्री कारखानों के अस्पतालों में नियुक्त असैनिक डाक्टरों को स्थायी बना दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने डाक्टरों को स्थायी बनाया गया है ;

(ग) कितने डाक्टरों को अभी तक स्थायी नहीं बनाया गया है; और

(घ) उनके स्थायी न बनाये जाने के क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** (क) जी, हां। जहां तक स्थान खाली थे।

(ख) २५।

(ग) २० ;

(घ) केवल एक मामले को छोड़ कर जिसका निर्देश संघ लोक सेवा आयोग को किया गया है, उनके स्थायी न बनाये जाने का कारण स्थायी पदों का अभाव है।

---

†मूल अंग्रेजी में

युद्ध सामग्री डिपो में असैनिक डाक्टर

†२२७९. **श्री स० म० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युद्ध सामग्री डिपो में काम करने वाले असैनिक डाक्टरों को स्थायी या अर्ध-स्थायी नहीं बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के कितने डाक्टर हैं; और

(ग) उन्हें स्थायी या अर्ध-स्थाई न बनाये जाने के क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया):** विभिन्न युद्ध सामग्री डिपुओं में १९ असैनिक डाक्टर अस्थायी स्थानों पर काम कर र हैं। नये स्थायी पर बनाने का प्रश्न विचाराधीन है। १९ डाक्टरों में से ४ को आर्ध-स्थाई घोषित कर दिया गया है और शेष १५ को अर्ष स्थाई घोषित करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

युद्ध सामग्री कारखानों में अस्पताल

†२२८०. **श्री स० म० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युद्ध सामग्री कारखानों के विभिन्न अस्पतालों में होने वाले कार्यों की जांच करने वाली समिति ने अपनी रिपोटे प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या रिपोर्ट सभा-पटल पर रखी जायेगी ;

(ग) समिति की मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) जी, हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २४]**

उड़ीसा में 'साहित्यक कर्मशालायें'[1]

†२२८१. **श्री पाणिग्रही :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की सहायता से १९५६–५७ और १९५७–५८ में नवसाक्षरों और बच्चों की कितनी 'साहित्यिक कर्मशालायें' स्थापित की गईं; और

(ख) १९५८–५९ में उड़ीस में कितनी 'साहित्यितक कर्मशालायें' खोली गईं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :**

(क) १९५६–५७ नवसाक्षरों की (जिनमें एक उड़ीसा के लिये भी सम्मिलित है)

	बच्चों की	४
१९५७–५८	नव साक्षरों की	४
	बच्चों की	२
	(जिनमें एक उड़ीसा के लिये भी सम्मिलित है)	

(ख) एक भी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Literary Workshops.

रूसी विशेषज्ञों पर किया गया खर्च

†२२८२. **श्री मुरारका :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १९ नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूसी मुख्य इंजीनियर तथा अन्य रूसी विशेषज्ञों पर अभी तक कितनी राशि खर्चे की जा चुकी है ;

(ख) इस में से कितनी राशि रिज़र्वे बैंक में इस विशेष लेखा में दी गई है। जो कि पौंड स्टर्लिंग में बदली जा सकती है ; और

(ग) कितनी राशि भारतीय रुपयों में दी गई थी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) जनवरी, १९५९ तक १६५.८७ लाख रुपये ।

(ख) जनवरी, १९५९ तक १६५.८७ लाख रुपये ।

(ग) रूसी विशेषज्ञों के वेतन व भत्तों के सम्बन्ध में रूसी संस्थाओं द्वारा समय-समय पर भेजे जाने वाले बिलों का भुगतान भारतीय रुपयों में किया जाता है और वह राशि रिजर्व बैंक में विशेष लेखा में जमा करा दी जाती है ।

पिछड़े हुए वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृतियां

†२२८३. **श्री झूलन सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "अग्रहरी" जाति को केन्द्रीय सरकार के पिछड़े वर्गे सम्बन्धी आयोग ने बिहार की बनिया जाति की उपजाति माना है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बिहार की बनिया जाति की उपजाति "अग्रहरी" जाति के के विद्यार्थी मैट्रिक उपरान्त अध्ययन के लिये पिछड़े वर्ग की छात्र-वृत्तियों के अधीकारी हैं; और

(ग) यदि नहीं तों क्या उस जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का सरकार का कोई विचार है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) पिछड़े वर्ग सम्बन्धी आयोग ने सिफारिश की है कि बिहार राज्य के "अग्रहरी वैश्य" उपजाति को अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में सम्मिलित किया जाये परन्तु सरकार ने इसे अब तक स्वीकार नहीं किया है ।

(ख) तथा (ग) नहीं, श्रीमान् ।

व्यय कर

†२२८४. **श्री सूपकार :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८–५९ में व्यय कर की प्राप्ति कर कितना व्यय हुआ ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** यह अस्थायी रूप से लगभग २.१९ लाख रु० था ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र में पुस्तकालय

२२८५. श्री नवल प्रभाकर : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा क रेंगे कि :

(क) दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने वाचनायल और पुस्तकालय हैं; और

(ख) गत पांच वर्षों में दिल्ली प्रशासन ने प्रति वर्ष उन पर कितना व्यय किया ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) १२४ (इनमें समाज शिक्षा केन्द्रों से सम्बन्धित पुस्तकालय भी शामिल हैं) :

(ख) वर्षें	राशि रुपये
१९५३–५४	२०,०००
१९५४–५५	१६,३००
१९५५-५६	५८,७००
१९५६–५७	३९,०००
१९५७–५८	४०,५००

हिमाचल प्रदेश में केन्द्रीय पुस्तकालय

२२८६. **श्री पद्म देव :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग के तत्वावधान में एक केन्द्रीय पुस्तकालय खोला गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह कहां खोला गया है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां ।

(ख) सोलन (ज़िला महासू) ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशों में भारतीय विद्यार्थी

†२२८७. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोलम्बो योजना देशों के अन्तर्गत कितने भारतीय विद्यार्थी विदेश गये हैं;

(ख) कितने विद्यार्थियों को सरकार ने सहायता दी है; और

(ग) १९५८–५९ में अब तक इन विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता देने में कितना विदेशी विनिमय व्यय हुआ ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) तथा (ख) एक विवरण पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २५**]

(ग) २५-२-१९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९१० के खंड (ग) के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

आदिम जातियों के सरदार

†२२८८. **श्री अरविन्द घोषाल :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने आदिम जाति के सरदार हैं ;

(ख) क्या उन्हें कोई विशेष रियायत या अनुदान दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो किसको और कितना ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) से (ग) उपलब्ध जानकारी दर्शाने वाला विवरण संलग्न है [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २६**] आन्ध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा की सरकारों तथा अन्दमान निकोबार द्वीप समूह और मनीपुर के प्रशासनों से अभी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है । प्राप्त होन पर पटल पर रख दी जायगी ।

इस्पात बेलन कारखाने[1]

†२२८९. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लोहा-कोटा लेने वाले कितने कारखाने नहीं चल रहे हैं एवं कितने कारखानों ने गत तीन वर्षों में अपना प्रबन्ध बदल दिया है या बिक गए हैं ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : अपने कोटों के प्रयोग के लिये पांच कारखानों को सरकार ने समूह प्रबन्ध व्यवस्था करने की अनुमति दी है । छः कारखानों का प्रबन्ध बदल गया है ।

बकाया आयकर

†२२९०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि उत्तर प्रदेश में कितने मामलों में आय कर छः वर्ष से भी अधिक समय से बाकी है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : ३१-१२-५८ को उत्तर प्रदेश में ऐसे मामलों की संख्या २५७४ थी जिनमें आयकर छः वर्ष से भी अधिक समय से बाकी है ।

"एम० वी० दभा"

†२२९१. **सरदार अ० सिंह० सहगल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फरवरी, व मार्च १९५८ में 'एम० वी० दभा" ने नानकोरी से कारनिकोबार तक की कितनी समुद्री यात्रायें की तथा कितना सामान ले गया ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Steel Rolling Mills.

(ख) क्या जहाज़ को अपेक्षित प्रमाण पत्र प्राप्त है तथा क्या उसे (१) नानकोरी बन्दरगाह से बाहर कार निकोबार तथा अन्य द्वीपों से जान का; और (२) सामान ले जाने का अधिकार है; और

(ग) यदि नहीं तो किस प्राधिकार के अधीन जहाज़ को ऐसी समुद्र यात्राओं के लिए बन्दरगाह विकास प्रकारण पत्र दिय गये ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) इसने दो समुद्री यात्रायें की और कोई सामान नहीं ले गया ।

(ख) जहाज़ को केवल घोंघा पकड़ने के लिये समुद्र में जाने का प्रमाणपत्र प्राप्त है क्योंकि वह मछली पकड़ने की नौका है ।

(१) हां; घोंघा पकड़ने के लिये ।

(२) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि उसके पास लदान का प्रमाणपत्र नहीं है ।

(ग) निकोबार के सह-आयुक्त उसे केवल सर्वेक्षण के मरम्मत के लिये पोर्ट विलेअर जाने के लिये बन्दर निकास प्रमाणपत्र देते हैं ।

मद्रास को कोयले का संभरण

†२२९२. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ और १९५९ में विभिन्न श्रेणियों का कितना कोयला मद्रास राज्य को दिया गया ; और

(ख) उसी काल में कुल कितना कोयला दिया गया ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) तथा (ख) एक विवरण जिसमें (१) मद्रास राज्य में राज्य सरकार के विभिन्न उद्योगों को १९५८ और १९५९ में कुल दिये गये तथा भेजे गये कोयले का उल्लेख है; और (२) एक विवरण जिसमें मद्रास राज्य में केन्द्रीय सिफारिशकर्ता प्राधिकार के उद्योगों को १९५८ और जनवरी १९५९ में भेजे गये कोयले का उल्लेख है संलग्न हैं **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २७]** केन्द्र द्वारा नियन्त्रित उद्योगों के कोटे राज्यवार नहीं अपितु उद्योगवार निर्धारित किये जाते हैं ।

मद्रास म अध्यापकों के वेतन-क्रमों का पुनरीक्षण

†२२९३. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य सरकार ने राज्य में स्थानीय निकायों के स्कूलों तथा गैर-सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-क्रमों के पुनरीक्षन की योजना द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित की है ; और

(ख) यदि हां तो केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को इस कार्य के लिए कुल कितना धन दिया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ल० श्रीमाली)** : (क) हां, श्रीमान् ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ५० प्रतिशत व्यय के आधार पर १९५६–५९ में मद्रास राज्य सरकार को प्रारम्भिक तथा सैकन्ड्री स्कूलों के अध्यापकों के वेतनक्रमों के पुनरीक्षण के लिए ४९·६८ लाख रु० मंजूर किया गया था। १९५८–५९ में इस कार्य के लिए केन्द्रीय सहायता की राशि नहीं बताई जा सकती क्योंकि अनुदान योजनाओं के समूहों के व्यय के आधार पर अनुदान मंजूर हुए हैं।

संघ राज्य-क्षेत्रों में राजनीतिक पीड़ित

†२२९४. **श्री सोनावाने :** क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि संघ द्वारा प्रशासनीय राज्य क्षेत्रों में राजनीतिक पीड़ितों तथा उनके बच्चों को सहायता देने के लिए क्या योजनायें लागू की गई हैं या की जायेंगी ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (१) उचित मामलों में गृह-कार्य मंत्री के ऐच्छिक अनुदान में अनावर्तक नकद अनुदान (२) विस्थापित राजनीतिक पीड़ितों को मकान बनाने के लिए भूमि तथा तथा वित्तीय सहायता देगा।

(३) रोजगार सुविधाओं की व्यवस्था।

(४) व्यापार या छोटे पैमाने के उद्योग स्थापित करने के लिए बिना ब्याज के ऋण देना।

(५) राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों को शिक्षा की सुविधायें।

बम्बई में राजनीतिक पीड़ितों को सहायता

†२२९५. **श्री सोनावाने :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पिछले तीन वर्षों में बम्बई राज्य को राजनीतिक पीड़ितों या उनके बच्चों को सहायता देने के लिए आरम्भ की गई किसी योजना के लिए कोई धनराशि दी है; और

(ख) यदि हां तो वह क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) राजनीतिक पीड़ितों या उनके बच्चों को सहायता देने के लिए बम्बई राज्य द्वारा आरम्भ का गई किसी योजना के लिए बम्बई सरकार को कोई अलग धन नहीं दिया गया। परन्तु पिछले तीन वर्षों में गृह-कार्य मंत्रा के ऐच्छिक अनुदान में से ९६,८५० रु० बम्बई राज्य के व्यक्तिगत राजनीतिक पीड़ितों को बांटे गये।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा फर्नीचर आदि का क्रय

†२२९६. **श्री वारियर :**
श्री कोडयान :
श्री वासुदेवन् नायर :
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में गृह-कार्य मंत्रालय में मेज़, कुर्सी आदि, लेखन सामग्री तथा अन्य विविध वस्तुओं के क्रय पर कुल कितना धन व्यय किया ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इन वस्तुओं के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत तथा अन्य ठेकेदारों से टेन्डर मांगे गये थे ; और

(ग) यदि हां तो उनकी तफसीलें क्या हैं तथा प्रत्येक ठेके का धन कितना है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) १,८६,९५२ रु० ४४ नये पैसे ।

(ख) हां, कुछ छोटी छोटी वस्तुओं जैसे कीलें, रोगन, आदि के अतिरिक्त क्योंकि थे विद्यमान बाज़ार मूल्य पर खरीदी जाती हैं ।

(ग) एक विवरण पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २८]**

निशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा

†२२९७. **श्री पाणिग्रही :**
श्री राम कृष्ण रेड्डी :

क्या **शिक्षा** मंत्री २० फरवरी १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ४७४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में देश में कितने विद्यार्थी राज्यवार मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ; और

(ख) विभिन्न राज्यों को (राज्यवार) प्रथम पंच वर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गयी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) एक विवरण पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २९]**

(ख) राज्यों को दी गई केन्द्रीय सहायता में से मुफ्त और अनानिवार्य एवं अनिवार्य क्षेत्रों के लिए कोई अलग आवंटन नहीं है ।

अपराध अन्मूलन

†२२९८. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपराधियों को फिर अपराध करने से रोकने का कोई आधुनिक ढंग निकाला गया है ; और

(ख) दिल्ली में सुधार सेवा संबंधी केन्द्रीय विभाग स्थापित करने का क्या प्रयोजन है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) कोई महत्वपूर्ण खोज नहीं हुई है परन्तु सुधार निरन्तर हो रहे हैं ।

(ख) विभाग का कार्य विभिन्न राज्यों की अपराध निवारण तथा अपराधियों के सुधार संबंधी मामलों की नीतियों को सूत्रबद्ध करना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में बन्दूकों के लाइसेंस

†२२९९. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन को १९५६, १९५७ और १९५८ (वर्ष-वार) में बन्दूकों, पिस्तौलों, भालों तथा तलवारों के लाइसेन्सों के लिए अलग अलग कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए :

(ख) प्रत्येक वर्ष कितने प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत हुए ;

(ग) प्रत्येक वर्ष प्रत्येक श्रेणी के शस्त्रों के लिए कितने लाइसेन्स दिये गये ; और

(घ) ३१ दिसम्बर, १९५८ को प्रत्येक श्रेणी के लिए कितने प्रार्थनापत्र अनिश्चित पड़े थे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३०]**

भिलाई इस्पात कारखाना

†२३००. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई इस्पात कारखाने में प्राविधिक तथा आप्राविधिक पदों पर कितने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के व्यक्ति कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या उनका कोटा पूरा हो गया है ; और

(ग) यदि नहीं तो क्यों ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : हिन्दुस्तान इस्टील लिमिटेड ने बताया है कि स्थिति निम्न है :

(क) अनुसूचित जाति के लोग	२५७
अनुसूचित आदिम जाति के लोग	२५

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

(ग) उपयुक्त व्यक्तियों के मिलने में कठिनाई ।

त्रिपुरा में अध्यापक-प्रशिक्षण संस्थायें

†२३०१. **श्री दशरथ देब** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अध्यापक प्रशिक्षण संस्थायें त्रिपुरा राज्यक्षेत्रीय परिषद् को दे दी गई हैं ; और

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) तथा (ख). राज्य क्षेत्र में अध्यापन के एकसे और उचित स्तर सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रशिक्षण संस्थायें परिषद् को नहीं दी गई हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कैम्पस कार्य परियोजनायें[1]

†२३०२. **श्री वारियर :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में अब तक किन किन राज्यों को कैम्पस कार्य परियोजना के अधीन अनुदान दिये गये तथा प्रत्येक राज्य को कितना धन दिया गया ;

(ख) किन किन संस्थाओं को अनुदान दिये गये तथा प्रत्येक संस्था को कितना धन दिया गया ; और

(ग) क्या किसी राज्य या संस्था की अनुदान के लिए प्रार्थनायें सरकार के पास अनिश्चित पड़ी हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) तथा (ख). कैम्पस कार्य परियोजना के अधीन धन राज्य-वार नहीं दिया जाता परन्तु अनुदान राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालयों के जरिये विभिन्न शिक्षा संस्थाओं को दिये जाते हैं। जानकारी बताने वाला एक विवरन संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—१३१५।५९]**

(ग) नहीं, श्रीमान् ।

भाषाओं का रचना व ध्वन्यात्मक विश्लेषण[2]

†२३०३. **श्री वारियर :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५८–५९ में उन विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं को अनुदान दिये गये हैं जिन्होंने भाषाओं के रचना व ध्वन्यात्मक विश्लेषण का कार्य आरम्भ किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके नाम ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) १. दक्षिण कालिज स्नातकोत्तर तथा गवेषणा संस्था, पूना ।

२. गोहाटी विश्वविद्यालय, गोहाटी ।

३. कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता ।

४. केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम ।

५. मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास ।

६. मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर ।

फालतू युद्धकालीन सामग्री का उपयोग

†२३०४. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री श्री तंगामणि :
श्री वारियर :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फालतू युद्धकालीन सामग्री को आयुद्ध कारखानों में प्रयोग करने का कोई विचार है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Campus Work Projects.

[2]Marpho Phonemic Analysis of Languages.

(ख) यदि हां, तो किस रूप में; और

(ग) योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग). विदेशी विनिमय के अभाव की दृष्टि से सारी वस्तुओं व सामग्री का यथासम्भव सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रयोग एवं इस प्रकार नई खरीद में यथासम्भव कमी करना योजना की महत्वपूर्ण बातें हैं । सेना प्राधिकारियों को कहा गया था कि वे विभिन्न वस्तुओं तथा सामानों के वैकल्पिक प्रयोग पर अधिक ध्यान दें तथा स्टाक में उपलब्ध सामान का यथासम्भव पूर्ण प्रयोग करें । एक अन्तर सेना प्रविधिक दल बनाया गया था कि प्रतिरक्षा उपक्रमों में पड़े अतिरेक सामान की जांच करे तथा निश्चित करे कि इस सामान का क्या वैकल्पिक प्रयोग किया जा सकता है । इस दल ने कार्य आरम्भ कर दिया है । ऐसा परीक्षण होने तथा उस पर सरकार का निर्णय होने तक अतिरेक प्रतिरक्षा सामान के उत्सर्जन पर अस्थायी प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ।

भारत को परियोजना आधार पर अमरीकी सहायता

†२३०५. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका ने भारत सरकार को सुझाव दिया है कि वह भविष्य में वर्तमान की भांति अनेकों कार्यक्रमों के लिए सहायता देने के बजाये मुख्यकर बड़े पैमाने के विशिष्टि परियोजनाओं के लिए सहायता देना पसन्द करेगा; और

(ख) यदि हां तो सरकार ने यह प्रस्ताव कहां तक स्वीकार किया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** :(क) नहीं, श्रीमान् । अमरीका सरकार से उसकी ऋण देने की नीति में किसी परिवर्तन की सूचना नहीं मिली है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सेनाओं का दूध राशन

†२३०६. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सेनाओं का दूध राशन बढ़ाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो अधिक दूध की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

छीलन तथा छिद्रन कबाड़[1]

†२३०७. **श्री परमार :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२ से १९५८ तक (१) देशीय उपभोक्ताओं ने कितना छीलन तथा छिद्रण कबाड़ प्रयोग किया, और (२) कितना विदेश भेजा गया;

(ख) १९५९ में अनुमानतः कितना छीलन तथा छिद्रण कबाड़ प्राप्त होगा; और

(ग) सरकार को देश के उपभोक्ताओं द्वारा कितने कबाड़ का प्रयोग किये जाने की आशा है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** :(क) (१) १९५४ से पहिले देश में छीलन तथा छिद्रण कबाड़ के प्रयोग सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध नहीं है। १९५४ से १९५८ तक भारत में विद्युत् भट्टी मालिकों द्वारा प्रयोग की गई मात्रायें निम्न हैं :

	टन
१९५४ .	१९,४४६
१९५५ .	२४,०७५
१९५६ .	२०,७४५
१९५७ .	३९,०७१
१९५८	३७,८५१

(२) १९५४ से पहले छीलन तथा छिद्रण कबाड़ की निर्यात सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध नहीं है। १९५४ से १९५८ तक निर्यात की गई मात्रायें निम्न हैं :

१९५४ .	४,२१५
१९५५ .	७,५०५
१९५६ .	९,९५२
१९५७ .	२,०००
१९५८	१८,९१३

(ख) १९५९ में लगभग ६६,००० टन छीलन तथा छिद्रण कबाड़ प्राप्त होने की आशा है।

(ग) १९५९ में भारत में लगभग ४०,००० टन छीलन तथा छिद्रण कबाड़ का प्रयोग होगा।

नागाओं का आक्रमण

†२३०८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उपद्रवी नागाओं ने २७ फरवरी, १९५९ को मनीपुर के सब-डिवी-जनतमेंगलांग में पुरानी कछार सड़क पर नंगवा थाने पर आक्रमण किया;

(ख) यदि हां तो कितनी मृत्युयें हुईं; और

(ग) इस सम्बन्ध में कितने नागा पकड़े गये ?

†मूल अंग्रेजी में

[1]Turning and boring scraps.

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) हां ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) एक ।

पालम पर भारतीय विमान बल के डकोटा के साथ दुर्घटना

†२३०९. { **श्री बी० चं० शर्मा :**
श्रीमती इलापाल चौधरी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २८ फरवरी, १९५९ को पालम हवाई अड्डे पर भारतीय विमान बल का एक डकोटा धावन मार्ग पर उतरते हुए टूट गया ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति मरे;

(ग) क्या दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच समिति बनाई गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसकी खोजें क्या हैं ?

†**प्रति रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) हां, श्रीमान् ।

(घ) जांच अभी हो रही है ।

पटियाला में तैरने के तालाब में पानी साफ करने का संयंत्र

†२३१०. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटियाला में सशस्त्र सेनाओं के तैरने के तालाब में एक पानी साफ करने का संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर कितना धन खर्च किये जाने की सम्भावना है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

ऋणों पर ब्याज

†२३११. **श्री रामी रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में केन्द्रीय सरकार द्वारा लिये गये विदेशी और अन्तर्देशीय ऋणों पर कुल कितना ब्याज दिया गया है या दिया जायेगा; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा १९५८-५९ में राज्य सरकारों को दिये गये ऋणों के बारे में (राज्य-वार) राज्यों से कुल कितना ब्याज प्राप्त हुआ है या प्राप्त होना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) १९५८५९ के पुनरीक्षित प्राक्कलनों के अनुसार लगभग १३६ करोड़ रुपये ।

(ख) १९५८–५९ के पुनरीक्षित प्राक्कलनों के अनुसार ४८·३६ करोड़ रुपये, जिसका राज्य-वार ब्यौरा निम्न प्रकार है :

(रुपये करोड़ों में)

राज्य	१९५८–५९ के लिये पुनरीक्षित प्राक्कलन
आन्ध्र प्रदेश	३·४१
आसाम	०·७०
बिहार	१·९२
बम्बई	४·७०
केरल	०·९०
मध्य प्रदेश	१·४६
मद्रास	२·९०
मैसूर	१·४८
उड़ीसा	४·६७
पंजाब	९·६६
राजस्थान	४·०४
उत्तर प्रदेश	३·७५
पश्चिमी बंगाल	५·२३
जम्मू तथा काश्मीर	२·२९
अनावंटिन धनराशि	१·२५
कुल	४८·३६

हिमाचल प्रदेश में समाज सेवा शिविर

†२३१२. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में १९५७-५८ और १९५८-५९ में अब तक कितने समाज सेवा शिविरों का आयोजन किया गया ; और

(ख) उस पर कुल कितना खर्च किया गया और उन में कितने लड़के और लड़कियों ने भाग लिया ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क)

१९५७-५८	१९५८-५९ (१-४-५८ से १५-३-५९ तक)
११ शिविर	१६ शिविर

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९५७-५८ के शिविर १९५८-५९ के शिविर

*खर्च किया गया धन	भाग लेने वालों की संख्या		*खर्च किया गया धन	भाग लेने वालों की संख्या	
	लड़के	लड़कियां		लड़के	लड़कियां
१८,०३१·३१ रुपये	६८१	२०१	२८,३६८.७५ रुपये	११७०	१०२

असिस्टेंट ग्रेड परीक्षा, १९५७

†२३१३. **श्री राधा रमण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, १९५७ में की गई असिस्टेंट ग्रेड परीक्षा के फलस्वरूप अब तक कितने अभ्यर्थियों को असिस्टेंट के रूप में नियुक्त किया गया है ; और

(ख) कितने और अभ्यर्थियों को और अब तक नियुक्त किया जायेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) ४६६ । इस संस्था में उन कार्यालयों में अस्थायी रूप से नियुक्त किये गये व्यक्ति भी सम्मिलित हैं जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना में नहीं आते ।

(ख) लगभग ३० । नियुक्ति शीघ्र ही किये जाने की आशा है ।

दिल्ली में चोरियां

†२३१४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली में १९५७ और १९५८ में सेंध लगाने और अन्य प्रकार की चोरियों की कितनी घटनायें हुईं ;

(ख) कितने मामलों में इन सेंध लगाने और चोरी करने के लिये उत्तरदायी अपराधियों को पकड़ा गया और दण्ड दिया गया ; और

(ग) यदि दण्ड देने की प्रतिशतता कम है तो इस सम्बन्ध में स्थिति सुधारने में क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**:(क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में अपेक्षित जानकारी दी हुई है :

विवरण

	सेंध			चोरियां		
	मामलों की रिपोर्ट की गई	मुकदमा चलाया गया	दण्ड दिया गया	मामलों की रिपोर्ट की गई	मुकदमा चलाया गया	दण्ड दिया गया
१९५७	१३२८	२५९	१८५	५५८३	१२२०	८५२
१९५८ . .	१३५०	२०९	१४८	५९९३	१०६७	८०२

*खर्च के लिये दिये गये आंकड़ों में लेखापरीक्षित लेखाओं के शोधन के बाद परिवर्तन हो सकता है ।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) रिपोर्ट किये गये ऐसे मामलों में प्राय: सभी जगह दण्ड की प्रतिशतता कम है। तथापि, मामलों का पता लगाने के लिये हर प्रयत्न किया जाता है ।

त्रिपुरा में चक्रवात[1]

†२३१५. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में चक्रवात के कारण कमालपुर, त्रिपुरा में चुलुबाड़ी गांव के लगभग १०० मकान गिर गये ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस चक्रवात के कारण गांव का एक व्यक्ति मर गया ;

(ग) यदि हां, तो दुर्घटना का क्या ब्योरा है ; और

(घ) क्या पीड़ितों को उचित प्रतिकर दे दिया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) से (ग). २४ फरवरी, १९५९ की रात्रि को कमालपुर सब-डिवीज़न में एक आंधी आई जिस का चुलुबाडी और चार अन्य गांवों पर असर हुआ इस से लगभग २४० परिवार प्रभावित हुए जिन में से ६६ बेघरबार हो गये । चोट लगने के कारण चुलुबाडी गांव की एक महिला की मृत्यु हो गई । लगभग ४७० झोंपड़ियां या तो टूट गयीं या क्षतिग्रस्त हो गयीं जिस की हानि का अनुमान ११,५०० रुपये लगाया गया है ।

(घ) घायल व्यक्तियों की प्राथमिक चिकित्सा की गई और बेघर लोगों के लिये अस्थायी शेल्टर की व्यवस्था की गई । रक्षित बनों से बिना शुल्क के मकान बनाने का सामान प्राप्त करने के लिये पर्मिट भी दिये गये । इस के अतिरिक्त, आर्त्त व्यक्तियों को निष्कारण सहायता और मकान बनाने के लिये ऋण देने का प्रश्न विचाराधीन है ।

ऐसे मामलों में प्रतिकर देने का प्रश्न नहीं उठता ।

मनीपुर में चौकियां[2]

†२३१६. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर में बार्क नदी के पीछे वाले क्षेत्रों में से आसाम राइफल्स और पूर्वी सीमांत राइफल्स की चौकियां हटा ली गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). इन बलों की स्थिति और स्थानों के बारे में जानकारी देना जनहित में नहीं है क्योंकि इस जानकारी से विद्रोही तत्वों को सहायता मिलेगी ।

पंजाब में विद्यार्थियों के लिये छात्रावास

†२३१७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षिय योजना काल में पंजाब में स्कूल और कालिज के विद्यार्थियों के लिये छात्रावासों का निर्माण करने के लिये भारत सरकार द्वारा अब तक कुल कितनी धनराशि की सहायता मंजूर की गई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Cyclone.

[2] Outposts.

(ख) अब तक कितने छात्रावास बनाये गये हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जावेगी ।

अमृतसर में श्रम और समाज सेवा शिविर

†२३१८. **श्री बलजीत सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमृतसर जिले में १९५८ में केन्द्रीय सहायता से विद्यार्थी श्रम और समाज सेवा शिविर और अन्य युवक शिविर किन स्थानों पर आयोजित किये गये ;

(ख) उन पर कितना धन खर्च किया गया है और वहां क्या कार्य किया गया है ; और

(ग) १९५९ में ऐसे शिविर किन स्थानों पर आयोजित किये जायेंगे ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है। **[देखिये** परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३१]

अन्डमान के जहाज

†२३१९. **श्री लक्ष्मण सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जो सरकारी जहाज अन्डमान प्रशासन के पास हैं, उन को कोचीन में रेलवे विभाग को देने के लिये रेलवे स्लीपर नहीं ले जाने दिया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). ये जहाज द्वीपों और कलकत्ता और मद्रास के बीच यात्रियों को ले जाने के लिये हैं। उन को विशेष अधिकार के बिना अन्य पत्तनों को सामान ले जाने की आज्ञा नहीं है। कारण यह है कि इन जहाजों से उन व्यापार क्षेत्रों में प्रवेश करने की आशा नहीं है जो तटीय जहाजों के लिये हैं।

हिन्दी की पुस्तकें

२३२०. {**श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** :
श्री प्र० ना० सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि हाल ही में भारत सरकार ने एक विशेष प्रकाशन संस्था से हजारों रुपये की हिन्दी पुस्तकें खरीदी हैं और उन्हें पश्चिमी बंगाल और मनीपुर की सरकारों को भेजा है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): जी हां : पुस्तकें दो प्रकाशन संस्थाओं से खरीद ली गई हैं और उन्हें अहिन्दी भाषी राज्यों को भेज दिया गया है। इन राज्यों में पश्चिमी बंगाल और मणिपुर भी शामिल हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्थगन प्रस्ताव

तिब्बत की स्थिति

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है जो निम्न विषय के सम्बन्ध में है :

> "तिब्बत में उपद्रव, जिस के परिणामस्वरूप लासा में पोटाला तथा हमारे वाणिज्य दूतावास के निकट चीनी सेनाओं और वहां की स्थानीय जनता के बीच खुलेआम लड़ाई होना ।"

कुछ समय पूर्व ध्यान आकृष्ट कराने वाली एक सूचना भी मिली थी । इस विषय पर प्रधान मंत्री वक्तव्य देने के लिये तैयार हैं । स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यान आकृष्ट कराने वाली सूचना को एक साथ निबटाने के लिये मैं प्रधान मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह अपना वक्तव्य दें ।

†**श्री वाजपेयी** (बलरामपुर) : स्थगन प्रस्ताव में इस विषय पर चर्चा की बात कही गयी है जब कि प्रधान मंत्री केवल एक वक्तव्य देंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय प्रधान मंत्री का भाषण सुनने के बाद ही तो मैं निर्णय करूंगा कि स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दी जायेगी या नहीं ।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : एक औचित्य प्रश्न है । मैं इस सम्बन्ध में आप का निदेश चाहता हूं कि क्या किसी बाहरी देश में होने वाली गड़बड़ी के सम्बन्ध में हम इस सभा में स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस सम्बन्ध में निर्णय करते समय मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाई गयी बात को ध्यान में रखूंगा ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री(श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं बता देना चाहता हूं कि जो वक्तव्य मैं देने जा रहा हूं उसका इस स्थगन प्रस्ताव की सूचना से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

चीन के तिब्बत भाग में होने वाली घटनाओं के सम्बन्ध में जो जानकारी मिली है, उससे देश के लोगों में काफी दिलचस्पी पैदा हो गई है । हमें ठीक पता नहीं कि ये घटनायें किस क्रम से हुई हैं । पर जहां तक उनके बारे में हमें जानकारी है, उसके सम्बन्ध में मैं एक छोटा सा वक्तव्य देना चाहता हूं । १७ मार्च को वैदेशिक कार्य मंत्रालय की मांगों सम्बन्धी चर्चा के दौरान मैं ने बताया था कि वहां की स्थिति कुछ तनावपूर्ण है । मैं ने बताया था कि वहां विचारों में कुछ संघर्ष चल रहा था पर हाल में कोई हिंसात्मक कार्यवाही नहीं हुई थी ।

लासा स्थित हमारे वाणिज्य दूत से अब हमें पूरी जानकारी प्राप्त हो चुकी है । ऐसा प्रतीत होता है कि दलाई लामा के बारे में अनेक अफवाहों से लासा में तनातनी पैदा हो गई । दो सप्ताह पूर्व तिब्बतियों की एक भारी भीड़ इन अफवाहों और आशंकाओं के बारे में भारतीय वाणिज्य दूत से पता करने हमारे वाणिज्य दूतावास में घुस आई । ३ दिन बाद बहुत-सी तिब्बती महिलाएं हमारे दूतावास में घुस आईं और हमारे वाणिज्य दूत से प्रार्थना की कि वे चीन के विदेशी ब्यूरो को एक ज्ञापन देने जा रही हैं, जिसके एक साक्षी के तौर पर वह उनके साथ चलें । वाणिज्य दूत ने कहा कि यह ठीक नहीं है और वह उनके साथ किसी प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकते । वाणिज्य दूत ने इन घटनाओं

---

†मूल अंग्रेजी में

की तरफ चीन के विदेशी ब्यूरो का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने इन आतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का ठीक ही नर्णय किया ।

२० मार्च को चीनी सेनाओं और तिब्बतियों में अचानक ही लड़ाई छिड़ गई। हमारे वाणिज्य दूतावास के निकट गोलियां चलीं और कोई-कोई गोली दूतावास की इमारत को भी आकर लगी। कुछ अरसे तक वाणिज्य दूत के लिए बाहर आना कठिन हो गया। हमारे सब कर्मचारी और उनके परिवार सुरक्षित हैं और हमारी सम्पत्ति को कोई विशेष हानि नहीं हुई है। अब ऐसा लगता है कि लासा में कुछ शान्ति हो गई है ।

वाणिज्य दूतावास में हमारे ३० कर्मचारी हैं। उनके परिवारों के लोगों के मिलाने पर उनकी संख्या १०० हो जाती है। लासा क्षेत्र में १६ भारतीय और हैं, जिन के बारे में हमें अभी पूरी जानकारी नहीं है ।

लासा में लड़ाई भड़कते ही हम ने चीन सरकार से लासा में अपने आदमियों और अपनी सम्पत्ति को पूरा संरक्षण प्रदान किये जाने का अनुरोध किया और चीन सरकार ने ऐसा करने का हमें वचन दिया।

२१ मार्च को लासा में चीन के विदेश ब्यूरो के एक प्रतिनिधि ने भारतीय वाणिज्य दूत को सुझाव दिया कि वह अपने और अपने यहां के कर्मचारियों की हिफाजत के लिए विदेश ब्यूरो में आ जायें। लेकिन हम ने अपने वाणिज्य दूत को विदेश ब्यूरो को यह सूचित कर देने के लिए कहा है कि हमारे वाणिज्य दूत के लिए अपनी जगह छोड़ देना ठीक न होगा। वहां अनेक भारतीय हैं, और दूतावास में मूल्यवान भारतीय सम्पत्ति व दस्तावेज हैं। अन्तर्राष्ट्रीय कानन और रीति-रिवाजों के मुताबिक हमारे कर्मचारीगण और सम्पत्ति को पूर्ण रक्षा प्राप्त करने का हक है और मुझे इस में शक नहीं है कि चीन सरकार हमारी प्रार्थना को युक्तियुक्त समझेगी ।

लासा में हिंसापूर्ण कार्य अपने आप में एक नई घटना है। पहिले दक्षिणी तिब्बत के विभिन्न क्षत्रों में खम्पा लोगों और चीनी सैनिकों के बीच कई बार संघर्ष हो चुका है। लेकिन लासा क्षेत्र में सदैव शान्ति रही ।

सभा इस बात को समझती ही होगी कि यह स्थिति नाजुक है। इसलिए हमें ऐसी कोई कारवाई नहीं करनी चाहिए कि जिससे हालत और बिगड़ जाये। भारत चीन के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। १९५४ में चीनी-भारतीय करार हुआ था, जिसमें पहली बार पंचशील के सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया था। भारत और तिब्बत में कई सदियों से सांस्कृतिक और धार्मिक सम्बन्ध हैं। हिन्दुओं तथा बौद्ध लोगों के अनेक तीर्थस्थान तिब्बत में हैं। हमारे यहां के हजारों तीर्थयात्री वहां जाते हैं। हम लोग दलाई लामा का आदर करते हैं। १९५६-५७ में वे भारत आ चुके हैं और हम उनका हार्दिक स्वागत कर चुके हैं। हमें आशा है कि वे सुरक्षित हैं। हमें आशा है कि वर्तमान समस्या का समाधान शांति से हो जायेगा।

लासा में भारतीय वाणिज्य-दूत और उनके यहां के कर्मचारी काफी दिक्कत में हैं। मुझे आशा है कि सभा उसके लिए सद्भावना संदेश भेजने में मेरा साथ देगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस विस्तृत वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए, मैं इस स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वाजपेयी** : मैं प्रधान मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या दलाई लामा सुरक्षित हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे ठीक ठीक पता नहीं है कि वह कहां हैं । पर मुझे आशा है कि वह सुरक्षित हैं ।

†**श्री मी० रु० मसानी** (रांची—पूर्व) : आप के विनिर्णय को स्वीकार करते हुए मेरा निवेदन है कि यदि भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सभा में इस विषय पर चर्चा हो, तो अधिक अच्छा है । मैं नहीं जानता कि प्रधान मंत्री इस पर चर्चा के लिए सहमत होंगे या नहीं ।

†**श्री जवहारलाल नेहरू** : अन्य देशों की घटनाओं पर इस सभा में चर्चा की जाये, यह एक नयी बात होगी । वैदेशिक कार्य के वादविवाद में हम इन बातों का यदाकदा जिक्र कर सकते हैं । पर इस प्रकार किसी अन्य देश में होने वाली घटनाओं पर सभा में चर्चा करना एक बुरी प्रणाली का आरम्भ करना होगा तथा उसका असर बहुत दूर तक होगा ।

†**श्री फैंक एन्थनी** (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय) : सरकार के रवैये से हमें बड़ी चिन्ता है । तिब्बत के सम्बन्ध में हमारा जो रवैया है वह बहुत अस्पष्ट है । क्या सरकार ने तिब्बत पर चीन की सार्वभौमिता स्वीकार कर ली है ? दूसरी बात यह है कि क्या भारत सरकार तिब्बत के शरणार्थियों को भारत में शरण देगी ?

†**श्री श्री० अ० डांगे** (बम्बई नगर—मध्य) : प्रधान मंत्री ने ठीक ही कहा कि किसी देश की घटनाओं पर इस सभा में चर्चा करना उसके आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करना होगा । यदि चीन सरकार मास्टर तारा सिंह की गिरफ्तारी या यहां के भूमि सुधारों की चर्चा करे तो हमें भी बुरा लगेगा ।

†**श्री अशोक मेहता** (मुजफ्फरपुर) : आप को अपना विनिर्णय देने में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए । मेरा निवेदन है कि आप इस विषय पर सभा को अपने विचार प्रकट करने की अनुमति दें ।

†**श्री गोरे** (पूना) : उस दिन आप ने कहा था कि स्थगन प्रस्ताव को सभा के विचारों को प्रकट करने का माध्यम भी माना जा सकता है और हरेक स्थगन प्रस्ताव को सरकार की निन्दा करने का प्रस्ताव नहीं माना जा सकता । साम्यवादी सदस्यों को छोड़ कर हम सभी लोग इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं । अतः मेरा निवेदन है कि आप इस स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति दें ।

चूंकि वहां अचानक लड़ाई शुरू हो गई है, अतः मेरा अनुमान है कि इसके पूर्व भी वहां अनेक बातें हुई होंगी । अब यदि कल तिब्बत में लड़ाई शुरू हो जाये, तो तिब्बत के शरणार्थी हमारी सीमा पर आयेंगे और स्थिति बड़ी गंभीर हो जायेगी । अतः मैं समझता हूं कि इस मामले पर विचार अवश्य किया जाना चाहिए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : युद्ध होने पर शरणार्थियों के आने के संकट का तर्क उपस्थित किया गया, पर जब यह समस्या पैदा होगी, तब हम इस पर विचार करेंगे । इस तरह तो मंगोलिया और उत्तरी चीन के सम्बन्ध में भी आप यही बात कह सकते हैं । हमारे पड़ोसी देश के साथ हमारे मित्रतापूर्ण सम्बन्ध हैं । हम उनके आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते । अतः मैं, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी प्रकार से इस मामले पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दे सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा पटल पर रखे गये पत्र

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**गृहकार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्न अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १४ मार्च, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २९८ की एक प्रति ।

(२) भारतीय प्रशासन सेवा (पदाली की संख्या का निर्धारण) विनियम, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १४ मार्च, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २९९ की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० १३१०/५९]

सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क वापसी (नियत दरें) नियमों में संशोधन

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: मैं समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क वापसी (नियत दरें) नियम, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ७ मार्च, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २७३ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० १३११/५९]

समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचना

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक ७ मार्च, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २७४ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० १३१२/५९]

इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के व्यय का ढांचा

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : मैं इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के व्यय के ढांचे की जांच के लिये सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० १३१३/५९]

---

†मूल अंग्रेजी में

मनीपुर स्त्रियों तथा लड़कियों के अनैतिक पण्य का दमन नियम

†**श्री दातार** : मैं स्त्रियों तथा लड़किये के अनैतिक पण्य का दमन अधिनियम, १९५६ की धारा २३ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत मनीपुर गजट में प्रकाशित दिनांक ४ दिसम्बर, १९५८ की अधि-सूचना संख्या जे०/२१/५७ की एक प्रति जिस में मनीपुर स्त्रियों तथा लड़कियों के अनैतिक पण्य का दमन नियम १९५८ दिये गये हैं तथा दिनांक २८ जनवरी, १९५९ के उस के शुद्धि-पत्र की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० १३१४/५९]

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

†**सचिव** : मैं चालू सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा १६ मार्च, १९५९ को लोक सभा में दी गयी अन्तिम सूचना के बाद राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयकों को सभा-पटल पर रखता हूं :

१. विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९५९

२. विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक, १९५९

३. विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९५९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

भारत और पाकिस्तान के बीच सीमावर्ती व्यापार का पुनः आरम्भ किया जाना

†**श्रीमती इलापाल चौधरी** (नवदीप) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाती हूं, और यह प्रार्थना करती हूं कि वह उस के संबंध में एक वक्तव्य दें :

"भारत के साथ सीमावर्ती व्यापार को पुनः आरम्भ करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक बैठक करने के बारे में पाकिस्तान द्वारा कथित इनकार ।"

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : पश्चिमी बंगाल, आसाम और त्रिपुरा तथा पूर्वी पाकिस्तान के बीच सीमावर्ती व्यापार भारत-पाकिस्तान व्यापार करार (१९५७–६०) की धारा ८ के अधीन होता है ।

विसा आदि पर प्रतिबन्ध लगा कर तथा सीमावर्ती व्यापार करने वालों को परेशान कर के पाकिस्तान ने अनेक रुकावटें पैदा कर दी थीं । दिसम्बर में कारांची में जो १९५७ व्यापार करार समीक्षा सम्मेलन हुआ था, उस में यह बात पाकिस्तानी शिष्ट मंडल के सामने रखी गयी थी । उस के बाद से यह व्यापार बिल्कुल बन्द पड़ा हुआ है क्योंकि १९५८ के आरम्भ से पूर्वी पाकिस्तान सरकार ने आना-जाना बन्द कर दिया था ।

---

† मूल अंग्रेजी में

नवम्बर १९५८ में भारत स्थित पाकिस्तान के उच्च आयुक्त ने आसाम का दौरा करते समय रेवरेन्ड निकोलस राय, सदस्य विधान सभा तथा भूतपूर्व मंत्री, को बताया था कि पाकिस्तान सरकार भारत के साथ व्यापार विशेषतया सीमावर्ती व्यापार बढ़ाने की इच्छुक है, और उन्हों ने सुझाव दिया कि आसाम तथा पूर्वी पाकिस्तान के मुख्य सचिवों को, भारत पाकिस्तान व्यापार समीक्षा सम्मेलन की प्रतीक्षा किये बिना, मिल कर सीमावर्ती व्यापार पर चर्चा करनी चाहिये, आसाम की राज्य सरकार ने देखा कि उच्च आयुक्त की बात पाकिस्तान की नीति के बिल्कुल विरुद्ध है, अतः उस ने उच्च आयुक्त के सुझाव को हमारे पास भेजा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से परामर्श करने के बाद हम ने आसाम सरकार से कहा कि वह सीमावर्ती व्यापार के सम्बन्ध में उच्च आयुक्त का सुझाव स्वीकार कर ले यदि पश्चिमी बंगाल तथा त्रिपुरा के मुख्य सचिव भी सम्मेलन में भाग लेने को तैयार हों। जब पश्चिमी बंगाल तथा त्रिपुरा की सरकारें भी इस सुझाव से सहमत हो गईं तो आसाम सरकार के मुख्य सचिव ने ५ दिसम्बर, १९५८ को पूर्वी पाकिस्तान की सरकार को लिखा कि वह उच्च आयुक्त के सुझाव का स्वागत करती है। बैठक के स्थान तथा तिथि को निश्चित करने की बात पूर्वी पाकिस्तान सरकार पर ही छोड़ दी गयी। यद्यपि पाकिस्तान के अखबारों में इस प्रकार की खबरें लगातार छप रही थीं कि पाकिस्तान सरकार सीमावर्ती व्यापार को बढ़ाना चाहती है, पर दो महीने तक पाकिस्तान सरकार से उस पत्र का कोई उत्तर नहीं मिला। ९ फरवरी, १९५९ को पूर्वी पाकिस्तान के मुख्य सचिव ने आसाम सरकार को लिखा कि सीमावर्ती व्यापार के सम्बन्ध में बात चीत करने के लिये मुख्य सचिवों की बैठक करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सीमावर्ती व्यापार भारत तथा पाकिस्तान के सामान्य व्यापार करार का एक भाग है।

इस के अतिरिक्त दिसम्बर, १९५८ और जनवरी, १९५९ में पूर्वी पाकिस्तान के अखबारों में यह खबरें छपीं कि पाकिस्तान अपने वाणिज्य संघ के तीन प्रतिनिधियों का एक शिष्ट मंडल भारत के सीमावर्ती राज्यों में भेजना चाहता है। जब कराची के मुख्य सचिव (वाणिज्यिक) से इन खबरों के संबंध में पूछताछ की गयी तो पता लगा कि ये खबरें निराधार थीं और पाकिस्तान सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है।

भारत-पाकिस्तान व्यापार करार (१९५७–६०) की धारा ९ के अनुसार इस करार की कार्यान्विति के संबंध में हर छठे महीने विचार किया जाना चाहिये। दिसम्बर, १९५७ में कराची में एक सम्मेलन में अन्तिम बार इस पर विचार किया गया था। उस के बाद पाकिस्तान सरकार से कई बार कहा गया कि अगला सम्मेलन दिल्ली में किया जाये, पर अभी तक दूसरा सम्मेलन नहीं हो पाया है। हमारा वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय बहुत इच्छुक है कि समीक्षा सम्मेलन किया जाये।

पूर्वी पाकिस्तान की सरकार, जो सीमावर्ती व्यापार के संबंध में चर्चा करने के लिये मुख्य सचिव की बैठक के लिये इतना अधिक इच्छुक थी, इस समस्या की गंभीरता के संबंध में कराची की पाकिस्तान सरकार को संतुष्ट नहीं कर पाई और पाकिस्तान सरकार व्यापार करार की समीक्षा करने के लिये सम्मेलन बुलाने के लिये इच्छुक नहीं दिखाई पड़तीं।

अनुदानों की मांगें

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मांग संख्या ६४, ६५, ६६, १२५ और १२६ पर चर्चा होगी जो सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय से संबंधित है। जो माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हों

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

वह पन्द्रह मिनट के अन्दर उन की संख्या सभा-पटल पर दे दें। चूंकि सिंचाई और विद्युत् के विषय का राजनीति से कोई संबंध है इसलिये माननीय सदस्य राजनीति से बचने का प्रयत्न करें। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक राज्य के सदस्यों को बोलने का मौका मिल सके।

वर्ष १९५९-६० के लिये सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
६४	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय	२२,२९,०००
६५	बहुप्रयोजनीय नदी योजनायें	१,७५,४२,०००
६६	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय	१,५२,५१,०००
१२५	बहु प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी व्यय	२,९६,०७,०००
१२६	सिंचाई और विद्युत मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	७,१६,९४,०००

सरदार इकबाल सिंह (फीरोजपुर) : स्पीकर साहब, इस साल के दौरान में इस मुहकमे के पहले पाटिल साहब मिनिस्टर थे, और इस वक्त हाफिज साहब मिनिस्टर हैं। इन दोनों मिनिस्टरों के अहद में इस मुहकमे में बहुत काम हुआ है जो कि हिन्दुस्तान के बहुत से लोगों के साथ ताल्लुक रखता है। इस मुहकमे के काम का खास तौर से किसान से ताल्लुक है क्योंकि यह हमारा देश एक किसान देश है, और किसान जिस चीज को सब से अच्छा समझता है और जिस की आशा करता है और जिस के लिये कोशिश करता है वह पानी है। और जो मिनिस्टरी किसान को पानी देने का काम करती है वह किसान की सब से ज्यादा हमदर्द मिनिस्ट्री हो सकती है।

आप देखें कि इस देश के हर इलाके के लोगों की तरफ से यही ख्वाहिश जाहिर की जाती है कि हमारे यहां ज्यादा नहरें हों, ज्यादा बिजली हो ताकि इस देश की उपज ज्यादा हो सके।

सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि सालहा साल से इस सदन में और इस सदन के बाहर यह आवाज उठायी जा रही है कि माइनर इर्रिगेशन का मुहकमा इस मिनिस्ट्री में शामिल किया जाये। आप जानते हैं कि इस वक्त माइनर इर्रिगेशन से हिन्दुस्तान का ज्यादा इलाका सैराब होता है बनिस्बत मेजर इर्रिगेशन के या दूसरे साधनों के। इसलिये जब तक माइनर इर्रिगेशन का मुहकमा इस मिनिस्ट्री के साथ शालिम नहीं किया जाता तब तक इस काम में दो कंट्रोल रहते हैं। एक काम करने वाला मुहकमा होता है और दूसरा हुक्म देने वाला। इसलिये मेरी पहली मांग यह है कि माइनर इर्रिगेशन को इर्रिगेशन एण्ड पावर मिनिस्ट्री में शामिल किया जाये ताकि इस तरफ और ज्यादा काम हो सके। आप जानते हैं कि बहुत जगह ट्यूब वैल से और टैंकों से इर्रीगेशन होता है। आप जानते हैं कि ज्यादातर टैंक इस लिये सरविस के लायक नहीं रहे हैं कि उन पर किसी आदमी का कंट्रोल नहीं रहा। पहले यह

चीज पंचायतों और दूसरे लोगों के हाथ में थी और अब वह कंट्रोल नहीं रहा । एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इस तरफ पूरा ध्यान नहीं दे सकती क्योंकि उस के पास टैक्नीकल नो हाऊ नहीं हैं । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह चीज यानी माइनर इरिगेशन इस इर्रीगेशन और पावर मिनिस्ट्री में शामिल होना चाहिये ।

दूसरी बात मैं सेंट्रल वाटर पावर कमीशन के बारे में कहना चाहता हूं । मैं समझता हू कि योजनाओं को बनाने में और टैकनिकल मदद देने में हिन्दुस्तान में जो इस कमीशन ने काम किया है उससे इसका बहुत नेक नाम हुआ है । लेकिन इसके साथ साथ मैं यह चाहता हूं कि चूंकि अब बहुत ज्यादा नहरें और डैम बन रहे हैं इसलिये इस वाटर पावर कमीशन का रिआरगेनाइजेशन होना चाहिए । खास तौर पर हम हम देख रहे हैं कि जितनी नहरें बन रही हैं, उन पर जो कास्ट है वह बढ़ती जा रही है और जो एस्टीमेट बनाये जाते हैं, वे एक्युरेट नहीं होते हैं । इसके साथ ही साथ जो इन नहरों पर रिपेयर का खर्चा होता है वह बहुत ही ज्यादा होता है । इसलिये मैं चाहता हूं कि वाटर एण्ड पावर कमीशन के काम को रिआर्गेनाइज़ कर दिया जाए और वह इस ढंग से किया जाना चाहिये कि जहां तक आप्रेशन का सवाल है, वह तो स्टेट्स पर छोड़ दिया जाए, जो इनवैस्टीगेशन, डिज़ाइनिंग का काम है वह वाटर एण्ड पावर कमीशन के पास रहे और इसको एक ऐसी टैक्नीकल बाडी बना दिया जाना चाहिये कि यह एक गाइडिंग बाडी बन सके फिर चाहे वह गाइडेंस स्टेट को दी जानी हो, म्यूनिसिपल कमेटी को दी जानी हो या किसी और को दी जानी हो । मैं चाहता हूं कि वाटर और पावर कमीशन को और भी अधिक अधिकार दिये जायें और वाटर और वावर कमीशन में आप एक इंस्पैक्शन का अलग से महकमा कायम करें ताकि वह देख सके कि जो डैम बनाये जाते हैं, वे एक तो सस्ते बनें और साथ ही साथ मजबूत बनें । इस तरह के डैम उसे नहीं बनने देना चाहिये जो मज़बूत तो न हों और जिनपर रिपेयर का खर्चा ज्यादा आता रहे । मैं चाहता हूं कि वाटर और पावर कमीशन के जो अख्त्यार हैं, उनको तीन जगहों पर तकसीम कर दिया जाए, एक तो डिज़ाइनिंग का महकमा हो, एक आप्रेशन का और तीसरा इंस्पैक्शन का । मैं मानता हूं कि एक भाखले कमेटी बैठी हुई है जो रिआर्गेनाइजेशन के मसले पर गौर कर रही है । लेकिन उसके टर्म्स आफ रेफ्रेंस जो हैं वे ऐसे हैं कि कुछ हो नहीं सकता है । इस सूरत में सैंट्रल वाटर और पावर कमीशन कोई ईफैक्टिव बाडी नहीं बन सकती है । मैं समझता हू कि जब तक यह एक इफैक्टिव बाडी नहीं बनती तब तक हिन्दुस्तान में नहरों के बनाने का काम, उनकी इंस्पैक्शन का काम, उनकी डिज़ाइनिंग का काम और डैम्स से सम्बन्धित सब काम इफैक्टिव ढंग पर नहीं किये जा सकते हैं ।

दूसरा प्लान खत्म होने जा रहा है और तीसरा प्लान बनने जा रहा है । उसमें खयाल किया जाता है कि एक हज़ार के करीब रुपया वाटर, इरिगेशन, पावर इत्यादि पर खर्च होगा । इस वास्ते बेहतर होगा अगर अभी से इस बात पर विचार कर लिया जाए कि कहीं ऐसा न हो कि एक डैम यहां पर बने और एक डैम वहां पर बने । आपको रिजन वाइज़ और बेसिन वाइज़ प्लान तैयार करने होंगे । आपको इस ढग से प्लानिंग करना होगा कि गंगा का एक बेसिन है और कहां कहां नहरें बन सकती हैं, कहां कहां डैम बन सकते हैं और कहां कहां इन डैम्स को बनाने से ज्यादा लाभ हो सकता है । इसी तरीके पर सारे हिन्दुस्तान के लिये आप स्कीम्स बनायें । इंडस का बेसिन अलहदा है, साउथ के दरियाओं का बेसिन अलहदा है । आपको बेसिन वाइज़ रिआर्गेनाइजेशन करके स्कीम्स बनानी पड़ेंगी ताकि कोई पालिटिक्स काम न करने पाये, स्टेट्स के इंटिरेस्ट काम न करने पायें बल्कि जो तमाम हिन्दुस्तान के हित में चीज़ हो सकती है, वही हो, जनता के हित की चीज़ हो, किसान के हित की चीज़ हो और सारे हिन्दुस्तान की बेहतरी की चीज़ हो । इस वास्ते मैं चाहता हूं कि अब जब थर्ड फाइव ईयर प्लान बनने जा रहा है, तो हिन्दुस्तान को रिआर्गेनाइज़ किया जाए, अलहदा अलहदा दरियाओं के बेसिन के तौर पर उनके लिये बोर्ड बनाय जायें, उनके लिए स्कीमें बनाई जायें ताकि इनवैस्टीगेशन का काम आसानी से हो सके और अच्छा हो सके ।

[सरदार इकबाल सिंह]

अब मैं कैनाल वाटर डिसप्यूट के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । मैं समझता हूं कि जो रुख हिन्दुस्तान ने अखत्यार किया है, वह काफी सख्त है और दुनिया कुछ हद तक इसको महसूस भी करने लग गई है, वर्ल्ड बैंक कुछ हद तक इस चीज़ को महसूस भी करने लग गया है । लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग जो कि पंजाब और राजस्थान से आते हैं, एक चीज़ को फील करते हैं और हमें अफसोस होता है कि इंगलैण्ड के इकोनोमिस्ट्स, इग्लैण्ड में लोग बैठ करके हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के दरम्यान जो कैनाल वाटर डिसप्यूट है, उसके बारे में बातें करते हैं और उन बातों का हिन्दुस्तान के लोगों को पता नहीं होता है और न केवल हिन्दुस्तान के लोगों को पता नहीं होता है बल्कि हिन्दुस्तान की जो सूबाई सरकारें हैं, उनको पता नहीं होता है । इंगलैण्ड में उनका प्लान निकलता है जिसमें कास्ट की बात की जाती है । आपके पास कई बार रिवाइज्ड प्लान आये, एक प्लान सन् १९५४ में आया, सन् १९५६ में वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन ने फिर एक प्लान भेजा और आज अखबारों में निकला है कि पाकिस्तान ने एक नया प्लान दिया है । एक बात मैं साफ तौर पर कह देना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के लोग और खास तौर पर पजाब और राजस्थान के लोग यह आशा लगाये बैठे हैं कि कब ये नहरें बनें और कब उन इलाकों में जहां पर अभी तक पानी नहीं गया है, जहां पर पानी सुलभ नहीं हुआ है, वहां पर पानी जाये, वहां पर पानी मिलने लगे और यह न हो कि कुछ ऐसे फैसले कर लिये जायें जिससे कि इन इलाकों के लोगों को पानी न मिल सके ।

हमने सन् १९५६ में इस बात को मानते हुए कि सतलुज के पानी के बारे में भी पाकिस्तान कुछ कह सके, उसको पानी जरूर दिया जाना चाहिये लेकिन हिन्दुस्तान का स्टैंड में समझता हूं इससे कमज़ोर पड़ गया । दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान जिस तरह के प्लान पेश कर रहा है उससे तो यही साबित होता है कि वह हिन्दुस्तान के ऊपर इतना ज्यादा खर्चा डालना चाहता है जिससे हिन्दुस्तान के लोग यह महसूस करने लग जायें कि यह उनके लिए एक एकोनोमिक प्रोपोज़िशन नहीं है । पहले हमने इस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट किया था कि ५० करोड़ के करीब रुपया हमको देना होगा और इतना रुपया ही हमको देने के लिये कहा गया था । लेकिन अब सुनते हैं कि ७००, ८०० और १००० करोड़ के करीब रुपया देने को हमें कहा जाएगा और शायद हमको देना पड़े । अगर हमने इतना रुपया दे दिया तो मैं समझता हूं कि हमारी जो स्कीम्स हैं, वे कामयाब नहीं हो सकती हैं । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रिंसिपल हिन्दुस्तान की गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक के कहने पर मंजूर किया था, उसी पर हमारी सरकार को स्टिक करना चाहिये और पाकिस्तान को पानी देना बन्द करने की जो सन् १९६२ की डैडलाइन रखी गई है ; उसके बाद पानी उसे नहीं दिया जाना चाहिये । उसके बाद अगर आपने पानी दिया तो न आपकी राजस्थान कैनाल चल सकती है, न सरहिन्द फीडर चल सकती है और न ही भाखड़ा कैनाल चल सकती है ।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि व्यास डैम, व्यास लिंक और थीन डैम को भी आपको जल्दी से जल्दी मुकम्मिकल करना चाहिये ताकि हिन्दुस्तान में जो राजस्थान कैनाल के लोगों के स्वप्ने हैं और जिसके बारे में यह कहा जा सकता है कि वह दुनिया की सबसे बड़ी कैनाल होगी, वे स्वप्ने पूरे हो सकें ।

अब मैं भाखड़ा डैम के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । भाखड़ा डैम न सिर्फ हिन्दुस्तान का सबसे बेहतरीन डैम है बल्कि दुनिया के बेहतरीन डैम्स में से एक है । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आपको सोचना चाहिये कि उस पर खर्चा कितना आता है और उससे आमदनी कितनी होती है और आपके लिए यह सोचना मुनासिब भी है । लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हर एक चीज को इसी तरह से सोचना कि पैसे के बजाय पैसा हमें कितना मिलेगा, ठीक नहीं है । यह ठीक है

कि भाखड़ा डैम के बनाने के बाद हिन्दुस्तान में खेती की उपज बढ़ेगी और लोगों को इससे कई प्रकार के लाभ होंगे और मंडियां भी कई नई बसी हैं और लोगों का स्टैंडर्ड आफ लिविंग भी ऊंचा हुआ है। ये सब चीजें हमें अपने सामने रखी होंगी। अगर आप यह सोचते हैं कि जब टी० वी० ए० बना उस वक्त यह बात हुई कि अगर हमने १७० करोड़ रुपया खर्च किया और चूंकि पांच परसेंट हमारा इसका इंटिरेस्ट है, इस वास्ते पांच परसेंट के मुताबिक यह रकम वापिस होनी चाहिये, तो यह ठीक नहीं होगा। मैं मानता हूं कि कुछ न कुछ हमें वापिस होना चाहिये। मैं इस बात को भी मानता हूं कि गवर्नमेंट जो यह चाहती है कि इसको एक इकोनोमिक प्रोपोज़िशन बनना चाहिये, वह भी ठीक है। लेकिन उसके लिए मैं समझता हूं कि राइट बैंक का जो बिजली घर बनना है भाखड़ा में, उसको जल्दी से जल्दी बना दिया जाना चाहिये। पहले बिजली की बात तो बहुत चली थी लेकिन वह बिजली या तो वहां की फैक्ट्रियों को मिल जायगी या मिल गई है और लोगों को जो बिजली मिलनी थी वह बहुत कम मिल पाई है। इस वास्ते जब तक राइट बैंक के बिजली घर को आप नहीं बनाते हैं तब तक भाखड़ा डैम इकोनोमिक प्रोपोज़ीशन नहीं हो सकता है। मैं चाहता हू कि गवर्नमेंट हर चीज़ को आमदनी के स्टैंडर्ड से न सोचे और अगर उसी स्टैण्डर्ड से सोचना है तो वह चीज़ तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक कि राइट बैंक का बिजली घर नहीं बनता है। जितनी भी बिजली पैदा हुई है या पैदा होने वाली है, उसमें से ज्यादातर बिजली वहां की फरटिलाइज़र फैक्ट्री ले जाएगी और पंजाब, राजस्थान और दिल्ली के जो लोग हैं, उनको बहुत कम मिल पायेगी। आपने बिजली के सिलसिले में तजवीजें बनाईं लेकिन वे तजवीजें पूरी नहीं हुईं। लोगों की बिजली की डिमाण्ड दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है और खास तौर पर उन इलाकों में बढ़ती जा रही है जहां पर नई नई फैक्टरियां लगी हैं। ये फैक्टरियां लोगों ने अपनी हिम्मत से लगाई हैं, रिफ्यूजियों ने लगाई हैं, उन्होंने अपनी हिम्मत से इन दस्तकारियों को शुरू किया है और आज उनके लिए यह निहायत जरूरी है कि उनको बिजली मिले ताकि उनकी ज़िन्दगी का जो स्टैंडर्ड है वह ऊंचा उठ सके। हमें सोचना होगा कि अगर हम पंजाब, राजस्थान और दिल्ली की इकोनोमिक हालत को ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो हमें जो राइट बैंक का बिजली घर है, उसको बनाना ही होगा और हो सकता है कि जो पैसा आपका उस पर आज लगे, उससे ज्यादा पैसा तब लगे जब बाद में आपने इसको बनाया और उस वक्त हो सकता है कि लोगों को उतना फायदा न हो जितना आज होगा।

अब में राजस्थान केनाल के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इसके लिए बहुत सी ज़मीन पंजाब में एक्वायर की गई है और बहुत सी जगह पर आपने इसका अच्छा कम्पेसेशन भी दिया है। लेकिन एक दो बातें इसके सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं। कम्पेसेशन का जो स्टैंडर्ड है, उसको आप इस ढंग से मैयर करते हैं कि उन गांवों में पिछले पांच सालों की रजिस्ट्रियों से क्या औसत बैठती है। लेकिन वहां बहुत से गांव ऐसे थे जो कि रिफ्यूजी गांव थे। वहां पर जमीन बिक नहीं सकती थी और पिछले दस सालों में कोई जमीन बिकी नहीं। आप सुन कर हैरान होंगे कुछ गांव हैं उन की आमदनी एकड़ के हिसाब से ८०० या ९०० रु० मानी जाती है। उस के साथ ही एक रिफ्यूजी गांव आ जाता है वहां की आमदनी २०० रु० मानी जाती है। इस तरह की डिस्पेरिटी है। अफसर यह कहते हैं कि देखो, इस गांव की कोई रजिस्ट्री ही नहीं हुई थी। औसत जो निकलती है पांच साल में वह २०० रु० निकलती है। वहां रजिस्ट्री हो नहीं सकती थी, इस लिये कि लोगों के पास जमीन नहीं थी। इस लिये मैं समझता हूं कि जिन रिफ्यूजी भाइयों की जमीन वहाँ पर आई है, उस का कम्पेन्फेशन भी उसी ढंग से दिया जाय जेसे कि आज ने डी वी० सी० में किया है जिस तरह से चंडीगढ़ में किया है। ताकि जिस की चीज की आप लेते हैं, उस के साथ कम से कम न्याय तो हो सके और वह यह महसूस न करे कि देश के हित में उसे जमीन देनी पड़ रही है लेकिन उस को पूरा मुआवजा नहीं मिला।

सरदार इकबाल सिंह]

इस के साथ ही साथ मैं रूरल एलेक्ट्रिफिकेशन के सिलसिले में भी कहना चाहता हूं । अगर आप हिन्दुस्तान के गांवों की आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं, किसानों की आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं, किसानों को खुशहाल करना चाहते हैं, तो इस के लिये जरूरी है कि आप उस को बिजली दें और बिजली सस्ते दामों पर दें ताकि वह अपना काम अच्छी तरह से कर सके । जब आप उस से गन्दम मांगते हैं और इतने रुपये में लेना चाहते हैं तो आज वह जितने खर्च में गन्दम पैदा करता है उतने में कीमत उतनी नहीं कर सकता । वह गेहूं सस्ता पैदा नहीं कर सकता । अगर आप उस को गेहूं ज्यादा पैदा करने को कहते हैं तो जरूरी है कि इस के लिये साधन हों, जो कम से कम साधन इस के लिये जरूरी हों, उन को आप उसे दीजिये । इसलिये पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि उन को ज्यादा से ज्यादा बिजली दी जाय, दूसरे यह कहना चाहता हूं कि उन को सस्ते दामों पर बिजली दी जाय और तीसरी बात जो कहना चाहता हूं वह यह है कि आप ने पंजाब में पांच साल के लिये १४ करोड़ रुपये रूरल एलेक्ट्रिफिकेशन के लिये दिये हैं । तीन सालों में १० करोड़ ४० लाख रु० खर्च हो चुका है । जब पंजाब गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आती है कि देखो, हम ने तीन सालों में पौने चार करोड़ रुपये साल के हिसाब से खर्च किया है । चौथे साल में तमाम रुपया खर्च हो जायगा । तो इस एक साल के लिये हम क्या करें ? तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि १४ करोड़ रु० की लिमिट है, हम उस से आगे नहीं जा सकते । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि या तो आप इस लिमिट को ऊंचा करें या फिर प्लैनिंग कमिशन से ले कर दें । लेकिन कम से कम जो टैम्पो पंजाब में एलेक्ट्रिफिकेशन का है अगर उस को आप ने छोड़ दिया तो लोगों में उत्साह नहीं रहेगा और लोगों की बेहतरी नहीं हो सकेगी । इसलिये मैं आशा करता हूं कि प्लैनिंग कमिशन ने और इरिगेशन एंड पावर मिनिस्ट्री ने जो १४ करोड़ रु० का टार्गेट रक्खा है उस को वे कम से कम १८ करोड़ रु० का करेंगे ।

पंजाब में वाटर लागिंग के सिलसिले में नहरें बनीं । दुनिया में जहां कहीं भी नहरें बनी हैं, उन्हें ठीक तरह से इस्तेमाल करने के लिये यह इन्तजाम किया गया कि पानी के निकल जाने के सिलसिले के साथ साथ चैनेल्स भी बनीं । अगर आप मिस्र के आबपाशी के जरिये को देखें तो पता चलेगा कि वहां एक नहर जाती है और उस के सथ ही दूसरी चैनेल भी जाती है जिस से बरसात का या दूसरा जो ज्यादा पानी हो वाटर लागिंग का वह उन से निकल सके । पंजाब में जहां आप ने २० लाख एकड़ के करीब पिछले दस सालों में पानी दिया है, लेकिन उस के बजाय ३५ लाख एकड़ के करीब जमीन में वाटर लागिंग हो गया है पंजाब में । उस से पंजाब के किसानों को नुक्सान होता है । आज एक तरफ हम उस से कहते हैं कि तुम को आबियाना देना चाहिये तो किसान कहता है कि हमें जितना मालिया देना चाहिये, जितना टैक्स देना चाहिये वह हम कैसे दें । आपने इन्तजाम जरूर किया, लेकिन हमारे खेत में पानी नहीं है तो हम आबियाना और मालिया और दूसरे टैक्स कहां से दें ? जहां पंजाब में भाखरा के सिलसिले में एक तस्वीर बनी थी वहां पंजाब के ही गांवों में एक दूसरी तस्वीर है जो कि वाटर लागिंग की तस्वीर है । इसलिये मैं चाहता हूं कि वहां के लिये ज्यादा रुपया दिया जाय । आज तक सवाल यह था कि वाटर लागिंग का कोई हेड न तो प्लैनिंग कमिशन में है और न फाइनेंस मिनिस्ट्री में । आज तक वह लोग कहते थे कि हम रुपया दें किस आइटम के नीचे, किस हेड के नीके और किस जरिये से दें । लेकिन आज सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने और प्लैनिंग कमिशन ने इस बात को माना है । इसलिये इस चीज के लिये आप को ज्यादा से ज्यादा रुपया देना चाहिये ताकि पंजाब में जो ३५ लाख एकड़ जमीन काबिल काश्त नहीं है, वहां से पानी निकाला जा सके और वहां के लोगों को खुशहाल किया जा सके । इस के लिये जो फ्लड कंट्रोल की स्कीमें हैं वह इस के साथ शामिल की जा सकती हैं । लेकिन फ्लड कंट्रोल एक मुख्तलिफ चीज है और वाटर लागिंग एक मुख्तलिफ चीज है । वाटर लागिंग तो एक साल का मसला है, कुछ दिनों का मसला नहीं हो सकता । फ्लड

कंट्रोल कुछ मुद्दत के लिये होता है ताकि किसान मुसीबत का मुकाबला कर सकें। जब किसान अपनी जमीन में साल भर पानी देखता है तो निराश हो जाता है। इसलिये आप फ्लड कंट्रोल को टेकनिकल तौर पर बेशक मिला ले लेकिन कुछ इलाकों में वाटर लागिंग से बचाने के लिये जो भी फ्लड कंट्रोल की स्कीम हैं वह काम नहीं कर सकतीं। मान लीजिये एक जगह से नहर जाती है। उस नहर का जो लेवेल है वह ११०० फुट है, लेकिन उस के पास कुछ जमीन उस से नीचे पड़ी हुई है क्योंकि जो यह नहर बनी है वह कोन्टूर लेवेल पर नहीं बनी। जिस वक्त वह नहरें बनी थीं उस वक्त कोन्टूर सिस्टम नहीं था। जिस वक्त पंजाब में सरहिन्द, जमनगरबी और अपर बारी दुआब नहरें बनी थीं, उस वक्त कोन्टूर टाइप की नहरें नहीं बनती थीं। जिस वक्त यह नहरें खोदी गईं उस वक्त साइंटिफिक तरक्की इतनी नहीं हुई थी कि पानी की रोक थाम ठीक तरह से की जा सके। लेकिन बाज जगह ऐसी भी थीं कि जमीन में कुदरती तौर पर वाटर लागिंग हो जाना चाहिये था। लेकिन चूंकि आप ने पानी ज्यादा दिया है और बरसात भी ज्यादा हो गई है इसलिये मसला और ग्रेव हो गया। जब तक आप ऐसे इलाकों के मसले को हल नहीं करते तब तक यह मसला पूरी तरह हल नहीं हो सकता। इसलिये मैं चाहता हूं कि कम से कम १० करोड़ रुपया पंजाब की वाटर लागिंग के सिलसले में जो स्कीम हैं उन के लिये दिये जायें। पंजाब गवर्नमट ने स्कीम दी भी ह, देगी भी। लेकिन यह एक नेशनल मसला है। पंजाब इस देश को गेहूं सप्लाई कर सकता है, जितनी रूई चाहिये वह सप्लाई कर सकता है, जितना कि और कोई भी सूबा सप्लाई नहीं कर सकता। इसलिये इस सूबे के लोगों को बचाने के लिये १० करोड़ रुपया और दिया जाना चाहिये।

आप ने जो सरहन्द फीडर बनाया है, आखीर में उस के बारे म मैं कहना चाहता हूं। आप का यह टार्गेट है कि थर्ड फाइव इअर प्लैन के बाद आप लांग स्टेपल काटन को इम्पोर्ट नहीं करेंगे। लांग स्टेपल काटन पैदा होती है फीरोजपुर और गंगानगर के इलाके में। अगर आप वाकई ६० करोड़ रुपया सालाना बचाना चाहते हैं तो वह उस वक्त तक नहीं बच सकता जब तक आप वाटर अलाउंस को इन्क्रीज़ नहीं करेंगे। और वह इस तरह से हो सकता है कि आप एक सरहन्द कैनाल फीडर बनाने लगे हैं। उसे ४७०० क्यूसेक्स के बजाय ५७०० या ६२०० क्यूसेक्स की बना रहे हैं। वहां पर वाटर अलाउंस ४० फी सदी के बजाये ६२ या ८० फीसदी कर देना चाहिये। अगर आप ऐसा करेंगे तब ही जो हमारा थर्ड फाइव इअर प्लैन का टार्गेट है लांग स्टेपल काटन के बारे में वह पूरा हो सकेगा और हम इस काटन के बरे में सेल्फ सफिशिएन्ट हो सकेंगे।

†**श्री बर्मन (कूच बिहार-रक्षित-अनुसूचित जातीयां)**: पिछले वक्ता ने पंजाब की ओर सभा का ध्यान आकर्षित किया था मैं पश्चिमी बंगाल की ओर करना चाहता हूं। सर्वप्रथम मैं कूचबिहार के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा। मंत्रालय की बाढ़ नियंत्रण शाखा ने जो कार्य किया है उसके लिये मैं उस की प्रशंसा करता हूं। उस के प्रयत्नों से नगरों की रक्षा हो गई है। मैं चाहता हूं कि अब वह ग्रामीण क्षेत्रों की ओर ध्यान दे। ग्रामीण क्षेत्रों की यह शिकायत है कि नगरों की रक्षा करने के लिये बाढ़ का पानी ग्रांमीण क्षेत्रों की ओर बहा दिया गया है जिस से हजारों एकड़ धान की खेती की भूमि नष्ट हो गई है। नगरों की रक्षा तो बांध बना कर कर ली जाती है परन्तु ऐसा प्रयत्न भी कया जाना चा हये क बाढ़ के पानी से खेती की भूमि को नुकसान न हो।

वसे तो बहुत सी नदियों सेप्र तिवर्ष क्षति होती है परन्तु तोरसा नदी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हाल में संसद सदस्यों के साथ परामश करते हुए मंत्रालय ने यह बताया था कि इस नदी के नियंत्रण के सम्बन्ध में कोई निर्णय अभी तक नहीं किया जा सका है। १९५० में तोरसा का पुल बह गया था। तब से वर्ष में छै महीने वह राष्ट्रीय राजपथ बन्द रहता है। जब तक नदी के नियंत्रण के सम्बन्ध

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बर्मन]

में कोई अन्तिम निर्णय नहीं होता तब तक मंत्रालय को ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि वह सड़क न डूब सके। भारत के पूर्वी भाग से जो भी यातायात होता है वह इसी मार्ग से होता है इसलिये इस ओर ध्यान देना जरूरी है ।

इस के बाद मैं गंगा के बांध की योजना का उल्लेख करना चाहता हूं जिस के सम्बन्ध में कुछ समय पूर्व सभा में चर्चा की गई थी । पता नहीं उसे क्यों नहीं प्रारम्भ किया जाता है। इतना ही नहीं उस के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट उत्तर भी नहीं दिया जाता है। पश्चिमी बंगाल के लिये यह योजना बहुत आवश्यक है इसलिये मंत्रालय को यथाशीघ्र निर्णय करना चाहिये । लगभग १०५ वर्ष पहले इस की आवश्यकता का संकेत इंजीनियरों द्वारा किया गया था । तब से यह मामला लटकता चला आ रहा है यद्यपि अनेक विशेषज्ञों ने उस की आवश्यकता का समर्थन किया है । मेरा निवेदन है कि इस के सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय किया जाना चाहिये अन्यथा कलकत्ता पत्तन और नगर के लिये खतरा उत्पन्न हो जायगा ।

हाल में पश्चिमी बंगाल सरकार के विशेषज्ञों ने यह बताया था कि हुगली के पानी का खारीपन बहुत बढ़ गया है। हम ने स्वयं भी उसे चखा था। यही नहीं कलकत्ता में जो नलकूप बनाये गये थे वे भी ४-५ वर्ष बाद बेकार हो गये हैं । यदि यही हिथति रही तो पहुत शीघ्र कलकत्ता में पानी का बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जायगा ।

बताया गया है कि वर्षा के ३–४ महीनों म लगभग ५०० लाख टन रेत गंगा द्वारा लाई जाती है जब कि पोर्ट ट्रस्ट केवल १०० लाख टन हटाने में समर्थ है। शेष वहीं जमती रहती है। यदि यही क्रम चलता रहा तो बीस वर्षों में कलकत्ता पत्तन नष्ट हो जाएगा। कलकत्ता बंगाल के लिए ही नहीं समस्त राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। पता नहीं मंत्रालय कब इस योजना के संबंध में अंतिम निर्णय कर सकेगा ? यदि मंत्रालय योजनाके प्रारंभ की निश्चित तारीख नहीं बता सकता तो वर्ष ही बता दिया जाए जिसमें वह कार्य किया जाएगा ।

योजमा प्रारंभ न किये जाने के कारण संबंध में प्रश्न किए जाने पर श्री पाटिल ने उत्तर दिया था कि हम कई कारण नहीं बता सकते। मैं समझता हूं कि वह पाकिस्तान से ही संबंधित होगा। यदि ऐसा है तो मेरा निवेदन है क इसमें डरने की कोई बात नहीं है। इसके संबंध में १८५३ में ही इंजीनियरों ने यह सलाह दी थी कि गंगा के बहाव की दिशा बदल रही है इसलिए फर्रका में एक बांध बनाया जाना चाहिए। बाद में अनेक इंजीनियरों नें इस आवश्यकता का समर्थन किया है। पता नहीं सरकार डरती क्यों है ? जब तक बांध बनाने की घोषणा नहीं की जाएगें हमें पाकिस्तान की आपत्ति का पता कैसे चल सकेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इसकी घोषणो करे और पाकिस्तान को ही नहीं स वरन् समस्त संसार को यह बताए कि यह योजना हमारे लिए बहुत आवश्यक है । पश्चिमी बंगाल की जनता इसके संबंध में बहुत चिन्तित है इसलिए कोई आश्वासन दिया जाना चाहिए ।

सरदार अ० सिं० सहगल (जंजगीर) : अध्यक्ष महोदय इर्रीगेशन एण्ड पावर मंत्रालय की डिमांड्स के ऊपर मैं अपने कुछ विचार सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं । भारतीय विद्युत शक्ति का क़ानून जो कि सन् १९१० का बना हुआ है उसको बदलना ज़रूरी है और इसलिए इस क़ानून में रद्दोबदल करने के लिए जो भी क़दम उठाये जा रहे हैं वह बहुत अच्छी चीज़ है और स्वागत योग्य है । जो बिजली लेते हैं और जो बिजली देता है उसमें समानता लानी ज़रूरी है और इस दृष्टि से इस कानून में जो तरमीम की जा रही है वह सही क़दम है । इसके साथ ही साथ मैं यह कहूंगा कि इस क़ानन को जितनी जल्दी हो सके अमल में लाने की कृपा की जाये ।

विदेशों में जो विद्युत शक्ति पैदा की जा रही है पर कैप्टिा वह इस प्रकार है । रूस में सन् १९५६ में ९६० किलोवाट बिजली पैदा की गई और जापान में सन् १९५७ में ८५० किलोवाट बिजली पैदा की गई । यूनाइटेड किंगडम में २००० किलोवाट बिजली पैदा की गई लेकिन इन सब के मुकाबले हमारे भारत देश में हम केवल ३४ किलोवाट ही बिजली पैदा कर रहे हैं ।

आप देखेंगे कि हमें इस दिशा में जितना आगे बढ़ना चाहिये था इस दस साल के अर्से में हम आगे नहीं बढ़े हैं ।

अब इसमें बड़ी शक्ति पैदा करने में जो खर्च आता ह वह भा हम ध्यान म रखना चाहिये । हाइड्रो-इलेक्ट्रिक में १.२५ नये पैसे से लेकर ३ नये पैसे तक पड़ेगा और थरमल के ज़रिये से जो बिजली पैदा की जायगी उस पर २ नये पैसे से लेकर ४ नये पैसे तक लगेगा । मैं चाहूंगा कि बिजली सप्लाई का जो सन् १९४८ का क़ानून है उसे भी हम तरमीम करे ताकि लाइसंस होल्डस को अपना स्टैन्डर्ड रेट तय करने के साथ साथ उन्ह सुभीता मिल सके । इसके साथ ही साथ इस क़ानून के अंतर्गत आप दूसरी स्टेट्स को भी जहां कि अभी तक एलेक्ट्रिसिटी बोर्डस नहीं बने हैं, बनाने के लिए राज़ी कर लेना चाहिये और खास कर यूनियन टैरिटैरीज़ में इस क़ानन को लागू करना चाहिये ताकि वहां भी इस १९४८ के बिजली क़ानून के अन्तर्गत वे भी कानून बनाय ।

मैं सदन का ध्यान कोरबा का थरमल स्टेशन जो कि ९०,००० किलोवाट का है, उसकी ओर दिलाना चाहता हूं । वहां पर ९०,००० किलोवाट का थरमल स्टेशन तैयार हो रहा है और जिसका कि उद्घाटन बहुत ही शीघ्र होने वाला है । मध्य प्रदेश की सरकार ने ७५,००० के बिजली के दो जनरेटर्स बनाने के लिए आपसे प्रार्थना की है । अब यदि आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि यह जो ९०,००० किलोवाट का आपका स्टेशन है, उसकी सारी विद्युत शक्ति भिलाई के क़ारखाने में काम आजायेगी । अब जो आपके दूसरे प्लान्स हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए आपके पास विद्युत शक्ति कहां बचती है इसलिए मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि आप इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह जो ७५०००, ७५००० के दो जनरेटर्स लगाने की तजवीज़ है इस पर ध्यान दें और उन पर शीघ्र से शीघ्र कार्य शुरू किया जाये । ताकि हम कोयले के खदानों को भी दे सके ।

मैं आपका शुक्रगुज़ार हूं कि आपने ६०,००० कलोवाट का जो बीरसिंहपुर का थरमल स्टेशन है उसको और ९२ हिज़ार कलोवाट की चम्बल योजनाओं को लिया है और आप उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं ।

इसके साथ ही साथ आप तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये "हसदो" जो कि बिलासपुर के जिले में है और जहां कि सर्वे का काम हो रहा है, उसे काम खत्म होते ही लेवें । यह एक मल्टीपरपज़ स्कीम है और इसके क़रीब ७० वा ७५ हज़ार किलोवाट बिजली मिलेगी, ऐसा मेरा अन्दाज़ा है ।

मध्य प्रदेश में विद्युत शक्ति की काफ़ी कमी है और ग्रामों में विद्युत शक्ति देने के लिये आपको सप्लाई ऐक्ट १९४८ में रद्दोबदल करना पड़े तो कर लें । मैं चाहूंगा कि आप देहातों में बिजली लेने वालों पर १ नया पैसा पर यूनिट का कर लगायें और इस प्रकार जो आमदनी आपको हो, उसको आप ग्रामों में बिजली देने के लिए इयरमार्क कर दे और इस तरह प्राप्त रक़म को आप और किसी चीज़ मे न खर्च करें । अगर आप तख़मीना लगायें तो आपको मालूम होगा कि हमें इसके ज़रिए काफ़ी आमदनी हो सकती है और देहातों में बिजली पहुंचाने का जो हमारा कार्य है वह अच्छी तरह से आगे बढ़ सकता है ।

सन् १९५६ में प्लानिंग कमिशन ने हर स्टेट गवनमेंट्स को यह सुझाव दिया था कि अपने अपने हेडक्वार्टर्स में एक वर्किंग ग्रुप क़ायम करें । मैं नहीं जानता कि कितनी स्टेटों ने इस पर अमल

[सरदार अ० सि० सहगल]

किया और इस सम्बन्ध में कितना काम हुआ है ।मैं जानना चाहूंगा कि किन किन राज्य सरकारों ने इसको अमल में लाने के सम्बन्ध में अपनी राय दी है ? मंत्रालय ने तथा स्टेट गवर्नमेंट्स ने सन् १९५१ से लेकर १९५६ तक जो ३४० करोड़ रुपया मेजर या मीडियम सिंचाई के प्राजेक्ट्स को बनाने में खर्च किया है, उससे वे केवल ५ लाख एकड़ ज़मीन को ही पानी देने की व्यवस्था कर सके हैं और जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं उससे तो मैं समझता हूं कि हमें काफ़ी वक्त लग जायेगा ताकि हम अपने काश्तकारों को जो कि ज़मीन को जोंतते हैं उनकी पानी दे सकें । आज देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम सिंचाई की व्यवस्था शीघ्र से शीघ्र करें ।

सन् १९५८ में मंत्रालय ने दो उच्च अधिकारियों को मुक़र्रर किया था । उसके मुताबिक़ हर एक स्टेट गवर्नमट ने पानी को किस तरह शीघ्र से शीघ्र काम में लायें और नई प्राजेक्ट्स को पानी कितनी जल्दी हम दे सकें, इसके लिए उन्होंने क्या कार्यवाही की है यह मैं नहीं कह सकता । हमें नहीं मालूम है कि इस दिशा में स्टेट गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं । मंत्री महोदय जब उत्तर दें तो इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें ।

मंत्रालय ने प्लानिंग कमिशन की राय से जो ३०० करोड़ रुपये का विभिन्न प्रान्तों में बंटवारा किया है । यदि आप उसको देखें तो आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश के लिए केवल ४ लाख रुपये का प्राविज़न रक्खा गया है जब कि मध्यप्रदेश की आबादी २ करोड़ ६० लाख ७१ हज़ार ६३७ है और ज़मीन का ऐरिया मध्य प्रदेश का १ लाख ७१ हज़ार ३०० वर्ग मील है और दूसरे प्रान्तों की आबादी और क्षेत्रफल को देखते हुए जो उनके लिए जो रक़म की व्यवस्था की गई है, उसके मुक़ाबले में मध्य प्रदेश के लिए कम रुपया रक्खा गया है । मेरी समझ में आपने मध्य प्रदेश के लिए बहुत कम रुपये की व्यवस्था रक्खी है । मैं आपसे चाहूंगा कि मध्यप्रदेश में आपकी जो योजनाएं सर्वे हो चुकी है और कई कारणवश मध्यप्रदेश की सरकार उनको अपने हाथ में नहीं ले सकी है इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि अर्पा जो कि बिलासपुर जिले मे है उस पर आपको ज्यादा ध्यान देकर के स्टेट गवर्नमट को विवश कर देना चाहिये कि वह इस योजना को अपने हाथ मे लें । मैं जानता हूं कि मध्यप्रदेश की सरकार को यदि मैं इसके लिए दोष दूं तो यह मेरे लिए वाजिब नहीं होगा क्योंकि नया प्रान्त बनने के बाद वहां पर बहुत सी समस्यायें सामने पेश हैं और उन समस्याओं को हल करना हमारा कर्तव्य था । हमने उन समस्याओं पर अभी तक क़ाबू नहीं पाया है । इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि आप उन्हें इसके लिए आश्वासन दें । आप अर्पा के प्राजेक्ट के काम को अपने हाथ में लें । मुंगेरी तहसील में बिलासपुर की अगरहाक़ नदी है जिसका कि विवरण आपके पास में है । कम से कम और कुछ नहीं तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्दर आप उसका सर्वे करायें और सर्वे करा कर देखें कि आप उसकी क्या व्यवस्था कर सकते है ?

हम सब चाहते हैं कि हमारी क्रोप बड़े । अब जब कि आप डबल क्रौपिंग करना चाहते हैं तो आप देखें कि जहां पर पानी की उचित व्यवस्था है वहां पर हमारी डबल क्रौप बराबर हो रही है और हम उसमें कामयाबी हासिल कर रहे हैं लेकिन जहां पर कि पानी की व्यवस्था नहीं है वहां हम पानी और सिंचाई की व्यवस्था ठीक करनो चाहिये । अब मध्यप्रदेश का खास करके बिलासपुर ज़िला एक सरप्लस ज़िला है और वह काफ़ी अन्न दे सकता है यदि वहां पर पानी की उत्तम व्यवस्था की जाय । इसलिए मैं अर्ज़ करूंगा कि हम डबल क्रौपिंग वहां कर सकते हैं और लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और जो हमारी अन्न की समस्या है वह काफी हद तक हल हो सकती है ।

इसी के साथ साथ मैं अर्ज़ करूं कि आप हसदो प्रोजेक्ट का सर्वे कर रहे हैं। जिससे मेरा अन्दाज़ा है कि एक लाख एकड़ जमीन में आबपाशी होगी। मैं उस दिन की प्रतीक्षा में हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समाप्त होते ही आप उस पर काम शुरू कर दें।

आप जो इकानमी लाना चाहते हैं उसके सिलसिले में मैं कहूंगा कि जो सामान एक प्रोजेक्ट में सरप्लस है उसे दूसरे प्रोजेक्टस में ले जाइये और कंस्ट्रक्शन के बारे में जो पोजोलोन्स वगैरह नई चीज़ें मालम हुई हैं उनसे काम लीजिये। हर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए एक किस्म का सामान इस्तैमाल करें यह व्यवस्था भी होनी चाहिये। इस तरह से आप कम से कम खर्च में काम कर सकेंगे। प्रोजेक्टस को बनाने में जहां तक हो सके समानता का व्यवहार करना चाहिए। इसके लिए आपका जो कमीशन छानबीन कर रहा है उसके लिए हम आपके आभारी हैं। इसने धानी प्रोजेक्ट और दूसरे प्राजेक्टस में जो कमियां थीं उनको दूर करने की सिफारिश की है जिससे हमारी इकानमी को फायदा होगा।

बाढ़ को रोकने और रुके हुए पानी को निकालने के बारे में जो कार्य किया जा रहा है मैं समझता हूं कि वह संतोषजनक नहीं है। आज पंजाब में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में कितने एरिया में वाटर लागिंग है अगर हम इसका तखमीना जानना चाहते हैं तो उसके बारे में जवाब मिलता है "नहीं"। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मंत्रालय को इस पर ध्यान देना चाहिए और वे सर्वे करायें कि कितनी जमीन ऐसी है जहां पर कि वाटर लागिंग हो रहा है और जहां हम काम नहीं कर सकते। यह काम पहले खाद्य विभाग के अंडर था। लेकिन मैं नम्रता से कहना चाहता हूं कि खाद्य विभाग ने इस में इतनी दिलचस्पी नहीं ली जितनी कि उसे लेनी चाहिए थी। इसलिए मेरा सुझाव है हम को वाटर लागिंग वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल जानना चाहिए और अगर हम वहां के रहने वाले लोगों की मदद लें तो हम इस काम को कर सकते हैं और इस जमीन को इस लायक बना सकते हैं कि उसमें हल चल सकें। यह बहुत बड़ी चीज़ होगी।

जहां तक श्रमदान का सवाल है अगर आप लोगों से जाकर कहेंगे कि इससे उनका फायदा होने वाला है तो वे सामने आकर काम करेंगे। इसके अलावा आप विलेज पंचायतों और विकास खंडों से भी इस काम में मदद ले सकते हैं। अगर ऐसा किया जाये तो हमको कामयाबी होगी।

आखिर में मैं यह कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के साथ जो हमारा पानी का झगड़ा चल रहा है वह शान्तिपूर्वक हल होना चाहिए। हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, हम झगड़ा करना नहीं चाहते, लेकिन यह बात भी सही है कि हम अपने देश को खा नहीं रखना चाहते। हम चाहते हैं कि जितने पानी पर हमारा हक है वह हम को मिले। हम किसी दूसरे देश का पानी नहीं लेना चाहते। जो भाई हम से बिछड़ कर अलग हो गये हैं हम उनको नेस्तनाबूद नहीं करना चाहते। यह हमारी धारणा है। लेकिन हम चाहेंगे कि दोनों पक्ष बैठें और सच्चे दिल से इन चीज़ों को तै करने की कोशिश करें।

इन शब्दों के साथ इस मंत्रालय ने जो डिमांड्स रखी हैं मैं उन का समर्थन करता हूं।

†**श्री पाणिग्रही** (पुरी) : योजना आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण की योजना बनाई थी जिससे अधिक लोगों को रोज़गार मिल सके। सरकार ने इस कार्य के लिए एक अध्ययन मंडल भी बनाया था जिसका कार्य इस समस्या की छान-बीन करना और राज्य सरकारों को उसके लिए तैयार करना था। परन्तु विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रतिवेदनों से ज्ञात होता है कि धन की कमी के

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पाणिग्रही]

कारण विद्युतीकरण के कार्यक्रम में प्रगति नहीं हो रही है । सरकार ने कहा है कि विभिन्न राज्य सरकारों से राज्य विद्युत बोर्ड बनाने के लिए कहा गया है । मैं जानना चाहता हूं कि कितने राज्य बोर्ड ग्रामीण विद्युतीकरण की परियोजनाओं के लिए वित्त व्यवस्था कर सके हैं ? मेरी जानकारी के अनुसार धन की कमी के कारण इन परियोजनाओं को क्रियान्वित करना सम्भव नहीं है ।

सभी राज्यों के सदस्य सिंचाई की दरें कम करने के लिए जोर दे रहे हैं । इसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ? हमें बताया गया था कि भारत सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों को लिखा है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार के निदेश को क्रियान्वित किया है ?

दूसरी मांग विभिन्न राज्यों में प्रचलित बिजली की दरों के वैज्ञानिकन की है । उदाहरण के लिए मेरे उड़ीसा राज्य के विभिन्न भागों में तीन आने प्रति यूनिट से छै आने प्रति यूनिट तक विभिन्न दरें हैं । भुवनेश्वर, कटक, जैपुर और पुरी में भिन्न-भिन्न दरें प्रचलित हैं । इसलिए उनमें एकरूपता लाने के लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए ।

यदि हम बड़ी और मध्यम योजनाओं को देखें तो मालूम होगा कि कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें एक भी योजना का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है । आन्ध्र में ३१ परियोजनायें प्रारम्भ की गईं जिनमें से १९ पूर्ण हो गई हैं । बम्बई में ७२ योजनायें प्रारम्भ की गईं जिनमें से २३ पूर्ण हुईं ।

दूसरी ओर आसाम में अभी तक एक भी योजना का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है और उड़ीसा में तीन परियोजनायें प्रारम्भ की गई थीं परन्तु पूर्ण एक भी नहीं हुई है । इस प्रकार कहीं कहीं तो इन योजनाओं को प्रारम्भ ही नहीं किया गया है और जहां प्रारम्भ भी किया गया है वहां उन में से कुछ प्रतिशत ही पूर्ण हो सकी हैं । मंत्री जी ने उनके सम्बन्ध में यह भी कहा था कि सरकार यह नहीं बता सकती कि वे कब तक पूर्ण हो सकेंगी ।

१९५७ में यह प्रश्न पूछा गया था कि विभिन्न परियोजनाओं से विभिन्न राज्यों में कितने एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकी है । उस समय माननीय मंत्री ने उत्तर दिया था कि जानकारी एकत्रित हो जाने पर पटल पर रख दी जायेगी । लग-भग दो वर्ष हो गये हैं परन्तु अभी तक वह जानकारी पटल पर नहीं रखी गई है ।

गत वर्ष मैंने यह कहा था कि देश की विभिन्न योजनाओं में जो मशीनें और उपकरण हैं उनका अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए । मुझे यह उत्तर दिया गया था कि उसकी जांच करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि इसकी जांच में कितना समय और लगेगा ? इस समय विदेशी मुद्रा का जो संकट है उसकी दृष्टि से यह बहुत आवश्यक है ।

इस के बाद सुधार शुल्क का प्रश्न आता है । पिछले दिन मंत्री जी ने बताया था कि सिंचाई परियोजनाओं से जिन भूमियों को लाभ हुआ है उन पर सुधार शुल्क वसूल करने के लिए अनेक राज्यों ने कानून बनाये हैं । मेरा निवेदन है कि अमेरिका में इस प्रकार का कोई कर नहीं वसूल किया जाता है । मेरे विचार से इस प्रकार का शुल्क सुधार के बाद लिया जाना चाहिए, उसके पूर्व नहीं । इसके अतिरिक्त मेरे विचार से भारत सरकार राज्य सरकारों से विकास कार्यों के लिए दिये गये ऋणों पर जो ब्याज लेती है वह भी उचित नहीं है । यह सूदखोरी बन्द होनी चाहिए ।

इसके पश्चात् मैं हीराकुड के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं । माननीय मंत्री ने प्रश्नों के उत्तर में बताया था कि परियोजना के तीसरे और चौथे प्रक्रम में इतनी बिजली उपलब्ध हो जायेगी कि उस क्षेत्र की आवश्यकता पूरी हो जायेगी । माननीय मंत्री को ज्ञात होगा कि इस समय वहां जो उद्योग विकसित हो रहे हैं उनको बिजली की कमी के कारण बहुत हानि हो रही है । फेरोक्रोम का कारखाना इसी कारण चालू नहीं हो पा रहा है । उसके लिए तापीय विद्युत केन्द्र की स्थापना की अनुमति मांगी गई थी परन्तु सरकार ने विदेशी मुद्रा की कठिनाई का बहाना करके उसे मंजूर नहीं किया क्योंकि उससे सरकार की आय पर असर पड़ता है ।

सरकार की इस प्रवृत्ति के सम्बन्ध में 'टाइम्स आफ इंडिया' में एक समाचार प्रकाशित हुआ था । जब लोअर भवानी परियोजना का निर्माण हुआ था तो उसमें कुछ पानी रिसने लगा । वह पानी बेकार जाता । परन्तु उस क्षेत्र के लोगों ने उसे खेती के काम में ले लिया । अब सरकार उस पर कर लगाने का विचार कर रही है । एक नहर बनाई जायेगी जिसमें वह रिसने वाला पानी जायेगा और फिर लोगों से उस पानी का प्रयोग करने के बदले में कर मांगा जायेगा । यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है । सरकार को इस पर विचार करना चाहिए ।

जहां तक बाढ़ नियंत्रण योजनाओं का सम्बन्ध है, उड़ीसा की सरकार को दूसरी योजना अवधि के लिए ३.५ करोड़ रुपये आवण्टित किये गये थे । अब मालूम हुआ है कि उसमें कमी की जा रही है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है ? संभवतः माननीय मंत्री को यह भली प्रकार ज्ञात होगा कि उड़ीसा की जनता बाढ़ों से बहुत परेशान है । एक बार माननीय मंत्री ने उड़ीसा के संसद सदस्यों से इस सम्बन्ध में एक बैठक में विचार-विमर्श भी किया था परन्तु खेद है कि उससे कोई लाभ नहीं हो सका । हम ने एक 'जमुआकट' बनाये जाने की मांग की थी जिसके लिए यह आश्वासन दिया गया था कि कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किया जायेगा । एक वर्ष बीत चुका है परन्तु उसके सम्बन्ध में कोई भी प्रयत्न नहीं किया गया है ।

इसके बाद डेल्टे की सिंचाई का प्रश्न है । भारत सरकार ने इसके लिए १४ करोड़ रुपये मंजूर किये थे । परन्तु कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं है । अभी तक केवल २ करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं । जिन लोगों की भूमि ली गई थी उनको प्रतिकर नहीं दिया गया है । ४० लाख रुपये में से केवल ३-४ लाख रुपये का भुगतान ही अभी तक हुआ है ।

योजना मंत्री ने हमें आश्वासन दिया था कि नहरों के सम्बन्ध में मिट्टी का जो कार्य होता है उसके लिए श्रम सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दिया जायेगा । यहां इतनी बड़ी राशि व्यय की जा रही है परन्तु श्रम सहकारी समितियों को वह कार्य नहीं दिया जा रहा है । इन समस्याओं पर भारत सरकार को विचार करना चाहिए ।

भारत सरकार द्वारा समुचित नियंत्रण न किये जाने के कारण ही उड़ीसा में बाढ़ नियंत्रण के कार्य में प्रगति नहीं हो सकी है । उदाहरण के लिए नेतापुर के लोगों के प्रतिकर का मामला रखा जा सकता है । तीन वर्ष बीत जाने पर भी उसका भुगतान नहीं हो सका है ।

एक निवेदन मैं और करना चाहता हूं । एक ओर तो बिजली की मांग बड़ी तेजी से बढ़ रही है जिसको सरकार पूर्ण नहीं कर पा रही है । दूसरी ओर जो सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है उसका पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है । यह विचित्र स्थिति है । इसको दूर करने का प्रयत्न किया जाना चाहिऐ ।

†**श्री कर्णी सिंहजी** (बीकानेर) : राजस्थान जैसे कृषि प्रधान राज्य के लिए सिंचाई और विद्युत मंत्रालय बहुत महत्व रखता है । अभी तक राजस्थान रेगिस्तान था परन्तु आगामी दस वर्षों में योजना आयोग की कृपा से वहां हरे भरे खेत लहराने लगेंगे ।

राजस्थान नहर का कार्य प्रारम्भ हो गया है जो संसार की सबसे बड़ी नहर होगी । यदि इस नहर द्वारा कांडला पत्तन और दिल्ली को मिला दिया जाए तो दिल्ली का सम्बन्ध समुद्र से हो सकता है ।

जहां तक राजस्थान परियोजना का सम्बन्ध है, मन्त्रालय के १९५८–५९ के प्रतिवेदन में बताया गया है कि सहायक नहर १३४ मील लम्बी होगी । उसके पहले तीन मीलों को छोड़ कर शेष भाग पक्का होगा । पर मुख्य नहर, जो २८१ मील लम्बी होगी के बारे में प्रतिवेदन में यह नहीं बताया गया है कि वह पक्की होगी या नहीं । वह रेतीला भाग है इसलिये पानी रिसने से बहुत हानि होने की सम्भावना है ।

यदि हम दूसरी पंचवर्षीय योजना को देखें तो ज्ञात होगा कि हमारे देश में जल-स्रोत बहुत हैं । चार वर्ष पूर्व उसका अनुमान १३५६० लाख एकड़ फीट लगाया गया था । मुझे सन्देह है कि हम दूसरी योजना के अन्त तक उसका ७५ प्रतिशत काम में ला सकेंगे ।

राजस्थान नहर के लिए दूसरी योजना अवधि के लिए १८ करोड़ रुपये का उपबन्ध है । परन्तु दिसम्बर, १९५८ तक केवल ५०.५ लाख रुपये व्यय हुए थे । यदि धन को ठीक प्रकार से खर्च नहीं किया जाएगा तो वह व्यपगत हो जाएगा । फिर हमें दुबारा आवण्टन के लिए प्रतीक्षा करनी होगी और कार्य की गति मन्द पड़ जाएगी । आज जब हम विदेशों से अन्न के आयात पर निर्भर हैं इस प्रकार की स्थिति अक्षम्य है । इसलिये मेरा निवेदन है कि इन अनुदानों को पूरी तरह उपयोग में लाए जाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए ।

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के प्रतिवेदन में बताया गया है कि राजस्थान नहर से २६.२० लाख एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकेगी । परन्तु जब नहर चालू की गई थी तो हमें वचन दिया गया था कि ३५ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई की जाएगी । मैं जानना चाहता हूं कि सही स्थिति क्या है ? इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं कि नहर के कार्य के साथ ही हमें सड़कों, रेलों, पुलियों, अस्पतालों, स्कूलों आदि का आयोजन भी करना चाहिए । भाखड़ा बांध नहर के सम्बन्ध में हमारा अनुभव यह रहा है कि इस प्रकार का आयोजन उचित समय पर नहीं किया गया । इसलिये इस नहर के सम्बन्ध में हमें इस कार्य की ओर अभी से ध्यान देना चाहिए ।

यह बड़ी खुशी की बात है कि श्री कंवर सेन जैसे अनुभवी व्यक्ति को राजस्थान नहर बोर्ड का सभापति नियुक्त किया गया है । मैं चाहता हूं कि उन्हें अधिक शक्तियां प्रदान की जायें ताकि वह कार्य जल्दी समाप्त हो सके । अभी राज्य के स्तर पर बहुत अड़चनें होती हैं जिससे कार्य में तेजी नहीं आ पाती है । मैं चाहता हूं इन अड़चनों को दूर करके श्री कंवर सेन को अधिक शक्तियां दी जायें ताकि हम दस वर्षों में अपनी खाद्य समस्या हल कर सकें ।

इसके सम्बन्ध में लोगों को बसाने का प्रश्न भी उत्पन्न होता है । मैं आशा करता हूं कि सरकार नहर के पास ऐसे लोगों को बसाएगी जो वहां की जलवायु को सहन करने की क्षमता रखते हों । यह बहुत आवश्यक है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसके बाद सुधार शुल्क का प्रश्न आता है। जब भूतपूर्व बीकानेर राज्य में गंगा नहर बनाई गई थी तो पुराने लोगों से ३० रुपए प्रति बीघा शुल्क लिया गया था और नए लोगों से केवल भूमि का मूल्य लिया गया था, शुल्क नहीं। परन्तु अब स्थिति यह है कि पुराने लोगों से १८० रुपए प्रति बीघा शुल्क लिया जाएगा और नए लोगों से भूमि का मूल्य और शुल्क दोनों। मैं सुधार शुल्क की आवश्यकता को तो स्वीकार करता हूं परन्तु यह चाहता हूं उसके भुगतान के लिए लोगों को १०–१५ वर्ष का समय दिया जाना चाहिए। जब लोगों को होने वाले लाभ का पता लग जाएगा तो वे आसानी से शुल्क दे देंगे अन्यथा कुछ दिक्कत हो सकती है।

कृषि के विस्तार के साथ ही कृषि की शिक्षा का प्रश्न भी आता है। इस समय राजस्थान में केवल एक कृषि कालेज है जो उदयपुर में है। मैं चाहता हूं एक कालेज और खोला जाना चाहिए जिसके लिए गंगानगर या सूरतगढ़ को चुना जा सकता है ताकि विद्यार्थी सूरतगढ़ फार्म से लाभ उठा सकें।

जहां तक विद्युत् का सम्बन्ध है, राजस्थान में कार्य की गति बहुत मन्द है। मुझे एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि राजस्थान को भाखड़ा से १९५६ में बिजली मिल सकेगी। परन्तु तीन महीने बीत चुके हैं और अभी तक उसकी कोई सम्भावना नहीं दिखाई दी है। मैं चाहता हूं शेष नौ महीनों में इस लक्ष्य को प्राप्त करन का भरसक प्रयत्न किया जाए।

मैंने राजस्थान के नगरों में तापीय शक्ति से बिजली पैदा करने के सम्बन्ध में मन्त्रालय को लिखा था मंत्री जी ने निश्चित आश्वासन भी देने की कृपा की थी। परन्तु वास्तव में अभी तक कुछ भी कार्य नहीं किया गया है। मेरा निवेदन है कि अब कोई कदम उठाया जाए।

जल विद्युत् से सम्बन्धित एक अन्य प्रश्न ट्रान्समीशन लाइनों का है। अभी जो लाइनें राजस्थान में डाली जा रही हैं वे भावी आवश्यकता के भार को वहन नहीं कर सकेंगी। मैं चाहता हूं कि नहर के परिणामस्वरूप होने वाले विकास को ध्यान में रखते हुए लाइने डाली जायें ताकि बाद में उनके बदलने की जरूरत न पड़े।

राजस्थान के कुछ नगरों, बीकानेर, गंगानगर आदि में तापीय बिजली केन्द्र बनाने का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां गर्मी के दिनों में ट्रान्समिशन लाइनें प्रायः खराब हो जाया करती हैं। जब तक हम अपने वर्तमान तापीय बिजली केन्द्रों को चालू नहीं रखेंगे लोगों की असुविधा दूर नहीं होगी।

इस पर विचार करते हुए हमारा ध्यान अणुशक्ति पर जाता है। स्वयं प्रधान मन्त्री ने संसद् में भाषण करते हुए कहा था कि यदि हम ऐसे क्षेत्रों में अणु शक्ति संयंत्र स्थापित करें जहां कोयला नहीं होता तो उसका व्यय दूसरी प्रकार की बिजलियों के बराबर ही होगा। उन्होंने राजस्थान का उल्लेख भी किया था। मैं चाहता हूं कि जो बात कही गई है उस पर विचार भी किया जाए; राजस्थान में नहरों से जो विकास होगा उसके परिणामस्वरूप अधिक बिजली की आवश्यकता होगी। उसकी पूर्ति अणु शक्ति संयंत्रों की स्थापना द्वारा की जा सकती है।

इसके बाद मैं खारे पानी के प्रश्न पर आता हूं जिसके सम्बन्ध में कई बार पहले भी निवेदन कर चुका हूं। राजस्थान में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां नलकूपों पर कितना भी व्यय किया जाए परन्तु जो पानी निकलता है वह पीने योग्य नहीं होता। गर्मी के दिनों में लोगों को दस से लेकर बीस मील तक की दूरी से पानी लाना पड़ता है। मैं चाहता हूं इसके सम्बन्ध में कुछ किया जाए। मैं आशा करता हूं कि श्री कंवर सेन से इसके लिए कोई योजना प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।

[श्री कर्णी सिंहजी]

मंत्रणा समिति में जब मैंने इसके सम्बन्ध में प्रश्न किया था तो मुझे उत्तर दिया गया था कि जब तक सदा रहने वाला पानी और सस्ती बिजली उपलब्ध नहीं होगी तब तक कुछ सुधार नहीं हो सकेगा। अब राजस्थान नहर से ऐसा पानी भी मिल जाएगा और भाखड़ा से सस्ती बिजली भी।। इसलिए मेरा निवेदन है कि अब श्री कंवर सेन से रिपोर्ट मांगी जाए।

अन्त में मैं आपको और आपके मंत्रालय को बधाई देता हूं कि इतना कार्य हो सका है। हम अपने लक्ष्य तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक कि राज्यों का पूरा सहयोग न मिले। इसलिये उनका सहयोग प्राप्त करने का उपाय करना चाहिए।

†**श्री टे० सुब्रह्मण्यम्** (बल्लारी): हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था के विकास के क्षेत्र में सिंचाई तथा विद्युत् बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं। अतः मेरा निवेदन है कि सिंचाई की सभी परियोजनाएं---बड़ी, मध्यम तथा छोटी-सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय के अधीन आनी चाहियें जिससे कि हमारी सभी आवश्यकताओं एवं क्षमताओं का पूरा पूरा पता लग जाये। प्रथम पंचवर्षीय योजना में बड़ी और मध्यम परियोजनाओं पर इस मंत्रालय ने ३०० करोड़ रुपये व्यय किये और द्वितीय योजना में ३८१ करोड़ रुपये व्यय करने का विचार है।

देश की जनसंख्या बढ़ने और उत्पादन की क्षमता में होड़ लगी है। अतः इस बात की आवश्यकता है कि सिंचाई के साधनों का पूरा पूरा लाभ उठाया जाये। इसकी जांच करने के लिये मन्त्रालय ने एक विशेष समिति की स्थापना की थी और उस समिति ने कुछ उपाय सुझाये हैं। राज्य सरकारों को भी परामर्श दिया गया था कि वे भी प्रत्येक परियोजना के विकास कार्यों का अध्ययन करने के लिये वर्ग बनाये। इन वर्गों ने भी कुछ उपाय बताये हैं। योजना आयोग ने भी इस सम्बन्ध में कुछ नीति निर्धारित की है।

सबसे पहले मैं तुंगभद्रा परियोजना का प्रश्न लेता हूं। अभी हाल में तुंगभद्रा नहर से सिंचाई किये जाने वाले क्षेत्र का मैंने दौरा किया था। उस क्षेत्र में सड़कों की बड़ी बुरी दशा है। जिसके कारण न तो किसान ही अपने खेतों तक खाद तथा बीज इत्यादि सही ढंग से ले जाते हैं और न उत्पादित फसल ही आसानी से गांवों से बाहर ले जायी जा सकती है। अतः केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों से कहना चाहिये कि वे इन परियोजनाओं वाले क्षेत्र में सड़कें बनवायें।

इस क्षेत्र में पानी भी काफी मात्रा में इकट्ठा होने लगा है। इस का कारण यह है कि पानी की सतह ऊपर उठती जा रही है। यह फसलों तथा वहां के भवनों के लिये बहुत ही हानिकारक है। पानी के भाप बन कर उड़ जाने के पश्चात् वहां नमक भी काफी मात्रा में इकट्ठा होने लगा है। इस के कारण काफी एकड़ भूमि खेती के लिये अनुपयुक्त हो गई है। इन से काफी मात्रा में खाद्यान्न उगाया जाता है। पानी भर जाने से जितने एकड़ भूमि खराब हो गई है उस के आंकड़े राज्य सरकारों से प्राप्त करने चाहियें। इस सूचना के मिल जाने के पश्चात् ही इस के विरुद्ध कुछ कार्यवाही की जा सकती है। अतः दिन प्रति दिन बढ़ने वाली इस समस्या के समाधान के लिये विशेष निधि निर्धारित करनी चाहिये।

जिन लोगों की भूमि रिसती है उन में उन्हें धान उगाने की आज्ञा दे देनी चाहिये। ऐसे व्यक्तियों से मालगुजारी उघाने में भी उदारता से काम लेना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम को विभागीय निर्माण कार्य तथा गैर-सरकारी निर्माण कार्य को कुछ सुविधा देने के लिये और उन से पूरा पूरा लाभ उठाने के लिये बनाया गया था जिस में प्रशिक्षित व्यक्तियों तथा अतिरिक्त मशीनों का सदुपयोग किया जा सके। अब तक कुछ राज्यों ने ही इस निगम में भाग लिया है आशा है कि शेष राज्य भी इस में सम्मिलित होंगे। इस निगम का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं है किन्तु फिर भी वर्ष १९५८ में इस ने केन्द्रीय सरकार को तथा इस में सम्मिलित राज्यों को लाभांश भी दिया है।

तुंगभद्रा वर्कशाप भी काफी प्रगति कर रही है और लाभदायक सिद्ध हुई है। राज्य सराकारें भी अपने यहां जल विद्युत् तथा तेल से बनाई जाने वाली बिजली के स्टेशनों की स्थापना कर रही हैं। वहां के गांवों में किसान बिजली लेने के लिये उत्सुक हैं। किन्तु उन को बिजली उपलब्ध नहीं है।

यह प्रसन्नता की बात है मंत्रालय शरावती परियोजना की प्रगति करने के लिये प्रयत्नशील है। और आशा है कि यह निर्धारित समय में ही पूरी हो जायेगी। और इस से उत्पादित होने वाली बिजली हमारी बढ़ती आवश्यकता की पूर्ति करने में समर्थ होगी।

†**श्री थानुलिंगम् नादर** (नागरकोइल): मद्रास सरकार द्वारा प्रस्तावित सिंचाई और विद्युत् योजनाओं की ओर इस मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां काफी भूमि थी और मद्रास सरकार ने सिंचाई तथा विद्युत् के सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग कर लिया है। अब राज्य को मैसूर, आंध्र और केरल के सिंचाई के साधनों पर निर्भर रहना होगा। हालांकि आंध्र सरकार किस्तना नदी के अतिरिक्त पानी को देने के लिये तैयार है। किन्तु मद्रास सरकार का विचार है कि वह बहुत मंहगा होगा।

दूसरी ओर केरल में सिंचाई के संसाधन बहुत हैं। मद्रास सराकार के चार जिलों में जहां कि लगभग ३० से ४० लाख व्यक्ति रहते हैं काफी भूमि है और सिंचाई के साधनों के अभाव में वह बेकार पड़ी है। केवल सिंचाई के साधनों की उपलब्धि का प्रश्न है। मद्रास सरकार द्वारा कुछ प्रस्ताव रखे गये हैं। और ये योजनायें मद्रास तथा केरल दोनों ही सरकारों के लिये बहुत ही लाभदायक हैं। केरल सरकार विद्युत् उत्पादन के अतिरिक्त उन साधनों का कोई और उपयोग नहीं कर सकती क्योंकि वहां कृषि योग्य अधिक भूमि नहीं है। अतः दोनों सरकारें मिल कर संयुक्त प्रयत्न करें तो स्थिति में काफी सुधार हो सकता है। किन्तु केरल राज्य की आन्तरिक राजनीति इतनी गन्दी है कि मद्रास सरकार ने जो प्रस्ताव रखे हैं उन की पूर्ति में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। पैराम्बीकुलम योजना के साथ भी यही हुआ। वहां की दलीय राजनीति के कारण मामला दो वर्ष तक खटाई में पड़ा रहा। ऐसा स्थिति में केन्द्रीय सरकार को बीच में पड़कर मामले को निपटा देना चाहिये जिस से कि दोनों सरकारों का भला हो सके।

केरल राज्य में आज पानी एक कठिनाई का कारण बना हुआ है। वर्षा का जल भी वहां की धान की फसलों को नष्ट करता है। यदि इस का समुचित प्रबन्ध किया जाता है तो समस्या का समाधान हो जायेगा। केरल की पानी की समस्या हल हो जायेगी। और मद्रास सरकार को पानी मिलने लगेगा। अतः मैं केरल सरकार तथा केन्द्रीय सरकार से निवेदन करूंगा कि वह शांतिपूर्वक इस पर विचार करे और मद्रास सरकार द्वारा किये गये प्रस्तावों को यथाशीघ्र स्वीकार कर लें जिस से कि वे योजनायें तृतीय योजना में सम्मिलित कर ली जायें और शुरू से कार्य प्रारम्भ हो सके। मंत्रालय से निवेदन है कि कन्याकुमारी जिले की चित्तर योजना १ तथा २ को भी वह शीघ्र ही स्वीकृति प्रदान करे।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री थानुलिंगम् नादर]

मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि छोटी छोटी योजनाओं को खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन क्यों रखा गया है । जब हमारे यहां सिंचाई मंत्रालय है तो सभी योजनायें उसी के अन्तर्गत आनी चाहियें । अन्यथा वर्तमान स्थिति में तो भ्रान्ति ही अधिक होती है ।

इसलिये अन्त में माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि मद्रास सरकार द्वारा केरल में बेकार जाने वाले पानी का उपयोग कराने के लिये वे सक्रिय प्रयत्न करेंगे ।

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: मैंने माननीय सदस्यों के भाषणों को ध्यानपूर्वक सुना है और मैं इन के लिये उन्हें धन्यवाद देता हूं । उन्हों ने मंत्रालय के कार्य के सम्बन्ध में जो प्रसंशा की है उस के लिये मैं उन का कृतज्ञ हूं । कुछ बहुमूल्य सुझाव दिये गये हैं जिन्हें हम ध्यान में रखेंगे ।

माननीय सदस्यों ने कई प्रश्नों का जिक्र किया है । अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न तथा नहरी पानी विवाद से ले कर पानी के उपयोग, बिजली की दरें, बाढ़ नियंत्रण कार्य तथा सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र की परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रश्न किये गये हैं । मैं अपने सीमित समय में यथा संभव अधिक से अधिक प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा किन्तु यदि मैं किसी परियोजना का उल्लेख न कर सकूं तो इस का यह आशय कदापि न समझा जाये कि हम उसे कम महत्व दे रहे हैं । समयाभाव से उन का उल्लेख कर सकना संभव नहीं होगा ।

कुछ माननीय सदस्यों ने विद्युत् के विकास और उस के उत्पादन की प्रगति का उल्लेख किया है । सभा को ज्ञात है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के पहिले, तापीय तथा जल, दोनों प्रकार की विद्युत् का उत्पादन २३ लाख किलोवाट था । प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त में यह उत्पादन बढ़ कर ३४ लाख किलोवाट हो गया । द्वितीय पंच वर्षीय योजना की अवधि में हम इस का उत्पादन ३५ लाख किलोवाट बढ़ा कर ६९ लाख करना चाहते थे । अर्थात् तब बिजली का उत्पादन १९५१ की तुलना में तीन गुना हो जायेगा । तथापि अन्य देशों की तुलना में हम बहुत पीछे हैं । हमारे देश में द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्त में बिजली की खपत प्रति व्यक्ति ५० यूनिट हो जायेगी । तथापि यदि हम इस की अन्य देशों में प्रति व्यक्ति खपत से तुलना करें तो ज्ञात होगा कि अभी हमारे देशमें जल संसाधनों के विकास के लिये बहुत गुंजाइश है । हमारे पास ४ करोड़ किलोवाट जलशक्ति के संसाधन उपलब्ध हैं । इस जल शक्ति का उपयोग करने पर हमारी शक्ति उत्पादन क्षमता अन्य देशों की तुलना में बहुत बढ़ जायेगी तथापि उस मात्रा में शक्ति का उत्पादन करने के लिये संसाधनों की आवश्यकता है । हम सीमित संसाधनों से ही यथासंभव विद्युत् उत्पादन करने का प्रयत्न कर रहे हैं । यदि परिस्थितियां उपयुक्त रहीं तो हमारा विचार तीसरी पंचवर्षीय योजना में विद्युत् उत्पादन ६५ लाख किलोवाट से बढ़ा कर १२० या १३० लाख किलोवाट कर देने का है ।

गांवों में बिजली लगाने के सम्बन्ध में भी कई सदस्यों ने उल्लेख किया है । विद्युत् उत्पादन मुख्यतः बड़े कारखानों के लिये ही नहीं किया जाता है । हम चाहते हैं भारत के भीतरी गांवों में भी बिजली पहुंचे । जब तक किसानों और गृह-उद्योगों में लगे हुए व्यक्तियों को सस्ती बिजली उपलब्ध नहीं होगी तब तक यह कहना कि हम ने खेतिहर जनता के, जो हमारी अर्थ व्यवस्था की आधारभित्ति है, जीवन स्तर को ऊंचा बनाने के लिये कुछ किया है, गलत होगा । इस दृष्टि से भारत सरकार ने सस्ती विद्युत् उपलब्ध करने तथा विद्युत् सुविधाओं को गांवों के लाखों व्यक्तियों तक पहुंचाने के संबंध में पर्याप्त विचार किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रथम पंचदर्षीय योजना में ७००० गांवों में बिजली लगाई गई। द्वितीय योजना के अंत तक कुल १८५०० गांवों में बिजली लग जायेगी। इन में से १४३३१ गांवों में अब तक बिजली लग चुकी है।

मैं सभा को यह भी बताना चाहता हूं कि कृषि एवं वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने राज्यों को ऐसे अनुदेश जारी किये हैं कि गांवों में कृषि कार्यों तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये घरेलू कार्यों की अपेक्षा सस्ती दरों पर बिजली दी जानी चाहिये। विभिन्न राज्यों में घरेलू कार्यों, छोटे पैमाने के उद्योगों और कृषि के लिये दी जाने वाली बिजली की दरें क्रमशः इस प्रकार हैं :

आंध्र ५ आने, २.२५ आने, १.५० आने व उस से कम; आसाम ६.४०, २.८ और २.८ आने; बंगाल ६,३.५ और २.८ तथा उस से कम, अर्थात् जैसे जैसे अधिक शक्ति का उपयोग किया जायेगा वैसे वैसे दरें घटती जायेंगी। बिहार ४, २ और २ आने; मध्य प्रदेश ५, २ और २ आने; मैसूर ४.१, .७५ आने; उड़ीसा ४, १.५० और १.५०; पंजाब ५.२५, १.७५ और १.५०; राजस्थान ६, ३ और ३; उत्तर प्रदेश ५.५०, १.७५ और १.५५ जहां बिजली का उत्पादन अधिक मंहगा है वहां की दरें भी अधिक ऊंची हैं।

यह सुझाव दिया गया है कि हमें ऐसी प्रक्रिया निर्धारित करनी चाहिये कि जिस में यदि एक खंड में नहीं तो कम से कम एक राज्य में दरें एक सी रहें। राज्य बिजली बोर्ड के निर्माण से ऐसा सूत्र विकसित किया जा सकता है। सम्भव है तत्काल ऐसा कर सकना संभव नहीं हो तथापि एक ही ग्रिड (विद्युत् जल) हो जाने पर राज्य के एक भाग की दरों और राज्य के अन्य भागों की दरों में अधिक अन्तर नहीं रहेगा। संभव है कुछ भागों में कोयले के परिवहन के कारण तापीय बिजली अधिक मंहगी हो, तथापि जब राज्य या एक खंडके लिये एक बड़े जल विद्युत् स्टेशन या तापीय विद्युत् स्टेशन से एक ग्रिड बनाना संभव हो जायेगा तो उक्त कार्य संभव हो जायेगा। मंत्रालय इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये भरसक प्रयत्न कर रहा है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अगला प्रश्न देश में जल विद्युत् के उत्पादन की महान संभावनाओं के संबंध में है। निसंदेह हम उपलब्ध जल संसाधनों के बहुत कम अंश का प्रयोग कर रहे हैं। तथापि पिछले दस वर्षों से हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि देश के जल संसाधनों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाय। १९५१ में तापीय विद्युत् और जल विद्युत् का अनुपात ७६:२४ था। प्रथम योजना के अन्त में वह ७२:२८ हो गया। २१ मार्च १९५८ को यह अनुपात ७०:३० था। द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्त तक यह अनुपात ५६:४४ हो जायेगा। इस से स्पष्ट है कि हम जल विद्युत् का उत्पादन बढ़ा रहे हैं और हम जल संसाधनों का यथाशक्ति उत्पादन कर तापीय विद्युत् का उत्पादन घटा रहे हैं।

श्री इकबाल सिंह ने यह सुझाव दिया है कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग का पुनर्गठन किया जाये और उन्हें रूपांकन जांच तथा अवेक्षण इत्यादि के संबंध में अधिक शक्तियां प्रदान की जायें। आयोग के पुनर्गठन के सम्बन्ध में एक समिति की नियुक्त की जा चुकी है, जैसे ही समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी सरकार उस पर विचार करेगी। जहां तक रूपांकनों (डिजाइनों) का प्रश्न है सभी राज्य इस नियम और व्यवस्था से सहमत हो गये हैं कि वे जांच के लिये अपने डिजाइनों को केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग को भेजते हैं। एक अन्य प्रक्रिया द्वारा भी इस पंचवर्षीय योजना तथा आगामी योजना की तमाम परियोजनाओं की जांच केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा की जाती है। इस से स्पष्ट है कि आयोग राज्य सरकारों के तमाम डिजाइनों की जांच करता है और आवश्यक टैक्नीकल जानकारी प्रदान करता है।

[श्री हाथी]

उन्हों ने यह भी सुझाव दिया है कि जांच राज्य के आधार पर न हो कर नदी के आधार पर हो। उक्त आयोग इसी आधार पर कार्य कर रहा है। हमारे ६ खंड हैं, यथा अरब सागर में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, सिंध का मैदान इत्यादि। इन्हें पुनः १० उपखंडों में बांटा गया है और उक्त आयोग प्रत्येक खंड पर कार्य कर रहा है।

उन्हों ने कृषि कार्यों तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये बिजली की दरों का भी जिक्र किया है। श्री बर्मन ने मंत्रालय तथा राज्य सरकारों द्वारा किये गये बाढ़ नियंत्रण कार्यों का प्रश्न उठाया है। उन्हों ने यह कहा है कि कूच-बिहार और जलपाईगुड़ी के नगरों को लाभ पहुंचा है लेकिन गांव वालों को अभी तक कोई लाभ नहीं पहुंचा है। संभव है कि उन के निर्वाचन क्षेत्र में अधिक गांवों को लाभ नहीं पहुंचा हो। लेकिन १९५४ से देश में २७ करोड़ की लागत से ६२ बड़ी बाढ़ नियंत्रण योजनायें और ११ करोड़ की लागत से ५१३ छोटी बाढ़ नियंत्रण योजनायें विभिन्न राज्यों में क्रियान्वित की गई हैं। कुल २५०० मील लम्बे बन्ध बनाये गये हैं। नगर निर्माण योजनाओं की संख्या ४६ है लेकिन गांवों में निर्माण योजनाओं की संख्या ४२०० है। जिसके फलस्वरूप ३१ लाख व्यक्तियों को संरक्षण प्राप्त हुआ है और ५० लाख जमीन की रक्षा की गई है। लेकिन यह प्रश्न राज्य सरकारों से सम्बन्ध रखता है। वे अपनी बाढ़ नियंत्रण योजनायें स्वयं बनाते हैं। तत्पश्चात् वे उसे केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के पास भेजते हैं। जब ये योजनायें ली जाती हैं तब वित्तीय सहायता दी जाती है। इसलिये यदि हमें इस संबंध में कोई खतरा हो तो केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड या केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग उस पर ध्यान देगा और यथासंभव कार्यवाही करेगा।

विभिन्न राज्यों से योजनायें जमा करने के लिये एक उच्चस्तरीय बाढ़ समिति भी है। वे प्रस्तुत योजनाओं पर अपने विचार प्रगट करते हैं।

सरदार सहगल ने हसदा और अरपा योजनाओं का जिक्र किया है। हसदा योजना की जांच की जा रही है और तत्पश्चात् केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के पास उन का प्रतिवेदन जांच के लिये आयेगा। यदि उस परियोजना को टैक्नीकल रूप से व्यवहारिक समझा गया तो उस पर कार्य आरम्भ किया जायेगा। वस्तुतः हम देश के सभी भागों की परियोजनाओं में दिलचस्पी रखते हैं केवल वे टैक्नीकल दृष्टि से पूरे उतरते हों। तत्पश्चात् उन्हों ने अरपा तथा अन्य छोटी परियोजनाओं का ज़िक्र किया।

उन्होंने तथा श्री पाणिग्रही ने भी अतिरिक्त मशीनों का प्रश्न उठाया है। श्री पाणिग्रही ने पूछा है कि इस सम्बन्ध में एक अधिकारी नियुक्त किया गया है, वह कितना समय लेगा? इस अधिकारी को नियुक्त हुए केवल दो महीने हुए हैं। प्रतिवेदन देने से पूर्व उन्हें देश का दौरा करना होगा। वे तीन महीनों के लिये नियुक्त हुए हैं। उन के कहने से ऐसा प्रतीत होता था कि उस अधिकारी को नियुक्त हुए वर्षों बीत गये हैं और अभी तक कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

इस के पहले भी केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग में इस कार्य के लिये एक निदेशालय था। इस संबंध में प्रणाली यह है कि राज्य सरकारें आयोग को अतिरिक्त मशीनों के संबंध में सूचित करती रहती हैं। तथा राज्य को नई मशीनें खरीदने या आयात अनुज्ञप्ति देने के पूर्व हम अपनी सूची में जांच कर लेते हैं कि उस प्रकार की मशीनें हमारे देश में हैं या नहीं। यदि होती हैं तो उस प्रकार की मशीन मंगाने की अनुमति नहीं दी जाती है। इस प्रकार हम ने दामोदर घाटी, भाखड़ा, हीराकुड, चम्बल, तुंगभद्रा और नागार्जुनसागर की बकाया मशीनों का उपयोग कर ३ करोड़ रुपयों की बचत की है।

श्री पाणिग्रही ने महानदी डेल्टा परियोजना के संबंध में यह कहा कि मैं ने एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया कि महानदी घाटी परियोजना के तीसरे और चौथे प्रक्रम से काफी बिजली मिलेगी और बिजली की कोई कमी नहीं रहेगी। यह प्रश्न हाल में पूछा गया था। इसलिये मुझे वह उत्तर अच्छी तरह याद है। मैं ने यह उत्तर नहीं दिया था कि इन योजनाओं से पानी की कमी दूर हो जायेगी न मैं ने यही बताया था कि ये योजनायें तत्काल क्रियान्वित की जाने वाली हैं। इसलिये मैं यह नहीं जानता कि श्री पाणिग्रही ने यह किस प्रकार कहा कि मैं ने यह कहा है कि इन योजनाओं से उड़ीसा में पानी की कमी दूर हो जायेगी। वास्तव में बिजली की खपत केवल उड़ीसा में ही नहीं देश के सभी भागों में इतनी तेजी से बढ़ रही है कि बिजली की मांग पूरी करना हमारे लिये बहुत कठिन हो रहा है। मैं ने यह कभी नहीं कहा है कि अमुक योजना देश में बिजली की कमी को दूर कर देगी। मेरा यह विचार है कि यदि आज की अपेक्षा दुगुनी मात्रा में भी बिजली का उत्पादन होने लगे तो भी उस का उपयोग कर लिया जायेगा।

एक समय था जबकि इस सभा तथा दूसरी सभा के सदस्य भी यह प्रश्न पूछते थे कि दामोदर घाटी निगम द्वारा पैदा की हुई बिजली का किस प्रकार उपयोग किया जायेगा ? हम ने कहा था कि बिजली का उत्पादन होने दीजिये क्योंकि बिजली की खपत इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है कि उस मांग को पूरा करना कठिन हो रहा है। इसलिये मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि अमुक योजना बिजली की कमी को दूर कर देगी इस के विपरीत मैं अनुभव करता हूं कि और अधिक बिजली पैदा करनी होगी। चिपलिया योजना पूरी होने पर उस से ७२००० किलोवाट बिजली मिलेगी। पांचवे प्रक्रम में हमें २७५००० किलोवाट बिजली मिल सकेगी। वतुनः सरकार हीराकुंड परियोजना में छटा प्रक्रम भी जोड़ना चाहेगी। सिद्धान्त रूप से तो यह आवश्यक है। तथापि हीराकुड से उड़ीसा की बिजली की कमी दूर नहीं होगी। यह कमी तो देश के सभी भागों में है।

वस्तुतः सिंचाई और विद्युत् परियोजनाओं पर दलगत दृष्टि से कभी विचार नहीं किया जाता है क्योंकि इन से पूरे देश का विकास होता है। माननीय सदस्य ने कहा था कि उन्हें ६५,००० किलोवाट तापीय विद्युत् की आवश्यकता होगी। जिस के उत्तर में मैं ने कहा था कि हम ३७५०० किलोवाट बिजली का उत्पादन करने का विचार कर रहे हैं मेरे विचार में यह उस प्रयोजन के लिये पर्याप्त होगी।

श्री कर्णी सिंह जी ने राजस्थान नहर का उल्लेख किया। निसंदेह यह एक महत्वपूर्ण नहर है। यह नहर दुनिया में सब से लम्बी नहर होगी जो कि राजस्थान को भारत के उपवन और खाद्यभंडार के रूप में बदल देगी। हम इस नहर से तत्काल लाभ उठाने के लिए इसे यथाशीघ्र तथा कुशलतापूर्वक क्रियान्वित करना चाहते हैं। इसलिये उन्होंने श्री कुंवरसेन जैन, जो एक सर्वोच्च कोटि के इंजीनियर हैं, उन्हें प्रशासक नियुक्त किया है। जहां तक उस नहर से पीने का पानी देने का सम्बन्ध है मेरे विचार से इसकी व्यवस्था कर ली गई है। प्रश्न यह था कि किसी न किसी स्रोत से उसमें पानी स्थायी रूप से रहना चाहिए अन्यथा पानी चढ़ाकर सिंचाई करना महंगा पड़ता है। हम नहर को पक्का करने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। पहिले १३४ मील तक नहर पक्की बना दी जायेगी।

श्री टे० सुब्रह्मनयम् ने ऊंची सतह वाली नहर का जिक्र किया है। मैं सभा को अनेक बार बता चुका हूं कि सारी परियोजना स्वीकृत हो गई है। हम उस में इस प्रकार कार्य करेंगे कि पहिले प्रक्रम से मैसूर और आंध्र दोनों को लाभ मिले। जहां तक शरावती योजना का सम्बन्ध है मैं सभा में बता चुका हूं कि सात परियोजनायें द्वितीय योजना के अनिवार्य अंग में शामिल नहीं की गईं। तथापि इस बात को ध्यान में रख कर कि इन परियोजनाओं में अधिक व्यय नहीं होगा तथा इन परियोजनाओं

[श्री हाथी]

को क्रियान्वित न करने से न केवल दूसरी योजना के लक्ष्य अधूरे रह जायेंगे अपितु तीसरी योजना के अन्त में ही हमें हानि होगी योजना आयोग सिद्धान्त रूप से इन सातों योजनाओं को क्रियान्वित करने को सहमत हो गया है। शरावती इन्हीं सात परियोजनाओं में से एक है। मेरे विचार से टेंडर मांगे जा चुके हैं और बहुत शीघ्र आवश्यक आर्डर दे दिये जायेंगे।

श्री थानुलिंगम् नादर ने अन्तर्राज्यीय सम्बन्धों मुख्यतः केरल और मद्रास के सम्बन्धों पर चर्चा की। इस सम्बन्ध में मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता होती है कि पिछले दो तीन वर्षों से वातावरण बहुत अच्छा हो गया है तथा नदी घाटी परियोजनाओं सम्बन्धी अन्तर्राज्यीय प्रश्नों को सहयोगिता के आधार पर सुलझाया जा रहा है। उन्होंने चलाकुडी के जल के वितरण के सम्बन्ध में मद्रास और केरल के बीच हुए समझौते का उल्लेख किया। पड़ौसी राज्यों के बीच सहयोगिता तथा हमारी महत्वाकांक्षाओं का यह अच्छा प्रतीक है। इसी प्रकार तुंगभद्रा परियोजना के सम्बन्ध में भी मैसूर व आंध्र के बीच पूरा समझौता हो गया है। गंडक के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश और बिहार का तथा भाद्रा के बीच मैसूर व आंध्र के बीच समझौता हो गया है। पलार नदी के जल के सम्बन्ध में १०० वर्ष पुराना मैसूर व मद्रास के बीच विवाद भी हल हो चुका है। उक्त छहों विवाद बड़ी सहानुभूति, सहयोगिता तथा शुभेच्छा की भावनाओं को रखते हुए तय हो गये हैं। हमें यह आशा करनी चाहिए कि यह भावना जारी रहेगी और हमें संसद् द्वारा पारित उस विधि को प्रयोग करने की कोई नौबत नहीं आयेगी जो केन्द्रीय सरकार को मध्यस्थ नियुक्त करने, अथवा आवश्यक होने पर कार्यवाही करने की शक्ति प्रदान करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि नदियों के पानी के बटवारे के सम्बन्ध में भी राज्य सहयोग की इसी भावना से कार्य करेंगे।

जहां तक सिंचाई पानी के उपयोग का सम्बन्ध है प्रथम पंच वर्षीय योजना में हम ने ५० लाख एकड़ भूमि क्षमता पैदा की तथापि सिंचाई केवल २९ लाख एकड़ में हुई। तत्पश्चात् राज्य तथा केन्द्रीय सरकार इस बात का सक्रिय प्रयत्न कर रही हैं कि एकत्रित जल का पूरा उपयोग किया जाय। योजना आयोग में इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से पर्याप्त चर्चा हुई है। हम ने इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति का पता लगाने और तत्सम्बन्धी कठिनाइयों का सामना करने का सुझाव देने के लिये दो अधिकारी नियुक्त किये हैं। उन्होंने सारे देश का दौरा किया है और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। इसके पहिले भी इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा चुकी है। इस सम्बन्ध में मुख्य बात यह है कि नहर निर्माण, बंध निर्माण के साथ साथ चलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि खेतों में पानी पहुंचाने वाली नालियों की खुदाई होनी चाहिए। किसानों के लिए ऐसा करना कठिन होता है। जहां ऐसी कठिनाई पैदा हुई वहां यह तय किया गया कि परियोजना अधिकारी ही यह काम भी करें। यदि गांव पंचायतें या स्थानीय व्यक्ति इस कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं तो परियोजना अधिकारी उन्हें हर संभव सहयोग और टेक्नीकल सहायता देते हैं जिससे वे नहरों तथा नालियों के तैयार होने तक तैयार हो जांय।

दूसरी बात यह है कि राज्य स्तर पर प्रत्येक परियोजना की एक विकास समिति होनी चाहिए। निर्माण अधिकारियों को समिति को यह बताना चाहिए कि किस समय कितना पानी छोड़ा जायेगा, जिससे वे उस समय तक तैयार हो जांय। उदाहरणार्थ चम्बल में हम ने १९६० से १९६३ तक चार वर्ष का प्रक्रम कार्यक्रम रखा है। इस सम्बन्ध में नकशे तैयार कर कलक्टर को दे दिये गये हैं और उन में यह बताया गया है कि किस विशेष क्षेत्र में कब तक पानी पहुंच जायेगा जिससे तब तक खेतों को पानी ले जाने वाली नालियां, प्रदर्शन फार्म, समतल बनाने का कार्य इत्यादि पूरा हो जाय और परियोजना अधिकारी तैयार रहें।

मितव्ययिता और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिये जो कार्य किये गये हैं उन्हें मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा। तथापि मैं सभा को दो एक बातें बताना चाहूंगा। श्री टे० सुब्रह्मनयम् ने राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम का उल्लेख किया है। निगम में राज्यों तथा केन्द्र के अंश हैं। वे विभिन्न परियोजनाओं का कार्य कर रहे हैं। इसका उद्देश्य यह था कि अतिरिक्त कर्मचारियों, मशीनों व जनशक्ति का उपयोग किया जाय और एक मशीन विभिन्न परियोजनाओं में काम में लाई जाय। परिणामस्वरूप दरों में काफी कमी हो गई। कोसी बांध में ठेकेदार ने जो दरें दी थीं वे अनुमानित दरों से ९० प्रतिशत ऊंची थीं। राष्ट्रीय निर्माण निगम ने उन्हें घटा कर केवल २० प्रतिशत ऊंचा रहने दिया। चम्बल में भी वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जिसके फलस्वरूप उपरि-व्यय तथा दलालों को मिलने वाला लाभ समाप्त हो गया है। दूसरी ओर इस से कार्य की मात्रा तथा कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है। जनता स्वयं मिल जुल कर सहकारी समितियां बनाती है और विभिन्न परियोजनाओं के कार्य को शीघ्र और कुशलता से कर रही है।

विभिन्न परियोजनाओं के कार्य की देखभाल करने के लिए योजना आयोग ने कुछ समितियां बनाई हैं। श्री गाडगिल ऐसी ही एक समिति के अध्यक्ष थे। उन समितियों में अन्य इंजीनियर भी हैं। समिति के सदस्यों ने मैसूर राज्य के लखावल्ली परियोजना तथा राजस्थान और मध्य प्रदेश में इकमपल्ली परियोजना की जांच की है। उन्होंने कई सुझाव दिये हैं। मेरे विचार से वह प्रतिवेदन पुस्तकालय में रखा हुआ है। उनके कई सुझावों को मंत्रालय ने क्रियान्वित कर दिया है।

मैं दो तीन प्रश्नों को छोड़ कर बाकी सभी प्रश्नों का उत्तर दे चुका हूं। उन प्रश्नों के उत्तर मेरे ज्येष्ठ सहयोगी देंगे। सदस्यों ने जो भी बातें कही हैं उन पर पूरी तरह गौर किया जायेगा। जिन सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है उन्हें व्यक्तिगत रूप में उत्तर भेज दिये जायेंगे। अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर मेरे ज्येष्ठ सहयोगी देंगे।

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	२	३	४	५
६४	३६४	श्री मो० ब० ठाकुर	माही, साबरमती, बनास तथा सरस्वती नदियों से नहरें बनाने में असफलता	१०० रुपये
६४	३६५	श्री मो० ब० ठाकुर	गुजरात के गांवों में बिजली देने में असफलता	१०० रुपये
६४	७६८	श्री प्र० के० देव	भारत-पाक नहरी पानी विवाद को शीघ्र तय करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६४	७६९	श्री प्र० के० देव	उड़ीसा में सभी गैर सरकारी बिजली कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण की वांछनीयता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
६४	७७०	श्री प्र० के० देव	बिजली (संभरण) अधिनियम की धारा ५(१) के अधीन बिजली बोर्ड बनाने के सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार को छूट देने की वांछनीयता	१०० रुपये
६४	८२८	श्री बि० दास गुप्त	देहाती क्षेत्रों में छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए बिजली का प्रयोग करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६४	८२९	श्री बि० दास गुप्त	पश्चिमी बंगाल के पुरुलिया जिले के लिये कोई सिंचाई योजना बनाने में असफलता	१०० रुपये
६४	८३४	श्री सरजू पांडे	उत्तर प्रदेश के रिहांद बांध को विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं के मामले में प्राथमिकता देने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६४	८३५	श्री सरजू पांडे	दोहारी घाट रूप नहर, टांडा पम्प नहर, कानो पम्प नहर, माता टीला बांध, राम गंगा नदी परियोजना के लिये विदेशी मुद्रा का प्रबन्ध करने में असफलता ।	१०० रुपये
६४	८३६	श्री सरजू पांडे	किसानों को सस्ती दरों पर बिजली देने में असफलता ।	१०० रुपये
६४	८३७	श्री सरजू पांडे	बाढ़ नियंत्रण तथा सिंचाई योजनाओं का एकीकरण करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६४	८३९	श्री दे० वें० राव	नागार्जुनसागर परियोजना के लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६४	८४०	श्री दे० वें० राव	कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई योजनाओं के लिये रुपये का प्रबंध करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये

१	२	३	४	५
६४	८४१	श्री दे० वें० राव	परियोजना पूरी होने के पश्चात् पानी का उचित प्रयोग ।	१०० रुपये
६४	८७९	श्री हाल्दर	पश्चिम बंगाल के सुन्दरबन क्षेत्र को प्रतिवर्ष बाढ़ से बचाने के लिये बांध बनाने में असफलता	१०० रुपये
६४	८८०	श्री हाल्दर	पश्चिमी बंगाल में सूखे तथा बाढ़ के समय सिंचाई के लिये नहरें बनाने में असफलता ।	१०० रुपये
६४	८८१	श्री हाल्दर	सुन्दरबन का विकास करने के लिये इस को दो पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल करने में असफलता	१०० रुपये
६४	८८२	श्री हाल्दर	दामोदर घाटी निगम क्षेत्र से हटाये गये व्यक्तियों को पुनर्वासित करने में असफलता	१०० रुपये
६४	९४५	श्री हाल्दर	सुन्दरबन क्षेत्र को "कन्टूर सर्वे" से अलग रखना	१०० रुपये
६४	९४६	श्री हाल्दर	खेती के समय मयूरक्षी योजना से पानी का न दिया जाना ।	१०० रुपये
६५	२९२	श्री मो० ब० ठाकुर	गुजरात में माही, साबरमती, सरस्वती, रूपेन, पुष्पावती नदियों के किनारों की खेती की भूमि का संरक्षण करने में असफलता	१०० रुपये
६५	२९३	श्री मो० ब० ठाकुर	साबरमती, माही, सरस्वती, पुष्पावती तथा रूपेन नदियों के किनारों के गांवों का संरक्षण करने में असफलता ।	१०० रुपये
६५	७७१	श्री प्र० के० देव	हीराकुद के विस्थापित व्यक्तियों को फिर से बसाने तथा उन की भूमि के लिये पर्याप्त प्रतिकर देने में असफलता ।	१०० रुपये

१	२	३	४	५
६५	७७२	श्री प्र० के० देव	उड़ीसा की तेल नदी की सहायक नदियों पर छोटे बांध बना कर उस के बहाव को निर्यामित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६५	७७३	श्री प्र० के० देव	उड़ीसा में बिजली की कमी .	१०० रुपये
६५	७७४	श्री प्र० के० देव	मचकुंड जलविद्युत परियोजना की १३२ किलोवाट लाइन को रायगढ़ से कसिंगा तक ले जाने की आवश्यकता	१०० रुपये
६५	७७५	श्री प्र० के० देव	महानदी की तलहटी के पत्थरों को उड़ाकर महानदी को समस्त वर्ष जहाजरानी के योग्य बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
६५	७७६	श्री प्र० के० देव	उड़ीसा में भीमकुंड परियोजना को शीघ्र बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
६५	८३२	श्री बि० दास गुप्त	पश्चिम बंगाल में फ़रक्का पर गंगा बांध बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
६५	८९७	श्री मोहम्मद इमाम	शरावती घाटी परियोजना के लिये विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करने में असफलता	१०० रुपये
६५	८९८	श्री मोहम्मद इमाम	निर्मित परियोजनाओं से पूरी सिंचाई सुविधायें लेने में असफलता	१०० रुपये
६५	८९९	श्री मोहम्मद इमाम	भाखड़ा जलाशय बनाने में भ्रष्टाचार तथा बेकार व्यय को रोकने में असफलता ।	१०० रुपये
६५	९४८	श्री प्र० के० देव	भारत की उत्तर-पूर्वी सीमा पर ब्रह्मपुत्र के मोड़ पर चीन से मिलकर जल विद्युत् योजना बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
६६	७७७	श्री प्र० के० देव	उड़ीसा के समुद्र तटीय क्षेत्र को खारे पानी से बचाने के लिये बांध-निर्माण की आवश्यकता	१०० रुपये
६६	७७८	श्री प्र० के० देव	कसिंगा पर ६० मेगावाट का थरमल स्टेशन बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
६६	७७९	श्री प्र० के० देव	वर्तमान नहरों में ६ से ८ फीट तक की ऊंचाई से गिरने वाले पानी के द्वारा बिजली बनाने की वांछनीयता	१०० रुपये
१२६	७४५	श्री प्र० के० देव	उड़ीसा के देहाती क्षेत्र में बिजली लगाने में शीघ्रता करने की आवश्यकता	१०० रुपये
१२६	८३३	श्री प्र० के० देव	देहात में बिजली लगाने के कार्य-क्रम में शीघ्रता करने की आवश्यकता	१०० रुपये

†**श्री च० कु० नायर** (बाह्य दिल्ली) : माननीय उपमंत्री ने जो जानकारी दी उससे हमें बड़ी प्रसन्नता है। इंजीनियरों की अन्य देशों से अदला-बदली की दिशा में जो प्रगति हुई है उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि कहीं कहीं सन्तोषजनक रूप में काम नहीं हो रहा है। आप नज़फ़गढ़ नाले की जमी हुई मिट्टी को हटाने को लीजिये। मैंने सरकार का ध्यान बार बार इसकी ओर दिलाया है परन्तु कोई भी मन्त्रालय अथवा विभाग इस काम को करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेता। नाले में मिट्टी जम जाने के कारण देहाती क्षेत्रों में पानी भर जाता है और जनता को बड़ी असुविधा होती है। इसलिये केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग से मेरा अनुरोध है कि इस काम को शीघ्रता से करायें। पिछले वर्ष भी वर्षा ऋतु में दिल्ली के सब देहाती क्षेत्र में पानी भर गया था और मंत्रालय ने इसकी जांच करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया था। आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया परन्तु इसका बड़ा खेद है कि प्रतिवेदन हमें नहीं दिखाया गया। मैं आशा करता हूं कि प्रतिवेदन हमें दिखाया जायेगा और जल तथा विद्युत् आयोग शीघ्रता से नजफ़गढ़ नाले में से मिट्टी हटाने का काम करायेगा।

गत वर्ष सरकार ने केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों के लिए एक सुपरिन्टैंडिंग इंजीनियर के अधीन एक सर्किल बनाया था। परन्तु खेद है आज तक इसके अन्य पदाधिकारी नियुक्त नहीं किए गए हैं। मेरी मंत्रालय से प्रार्थना है कि इस समस्या पर विचार करें।

बिजली पर हम पर्याप्त धन व्यय कर रहे हैं। परन्तु दुर्भाग्यवश देहाती क्षेत्रों में बिजली देने के बारे में उदारता से काम नहीं लिया जाता है। मैं समझता हूं कि जो बिजली उत्पन्न होती है उसकी

†मूल अंग्रेजी

[श्री च० कृ० नायर]

कुछ प्रतिशतता देहाती क्षेत्रों में सिंचाई कार्यों के लिए निश्चित की जानी चाहिए । आज एक भी गांव दिल्ली क्षेत्र में में नहीं है जिसमें बिजली लगाई गई हो जबकि कई गांवों के निकट से बिजली की लाइन जाती है । मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि इस प्रश्न पर विचार करें ।

सेठ अचल सिंह (आगरा) : उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है इसलिये उसके वास्ते पानी और पावर का विषय बहुत अहम है । हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस दिशा में जो काम पिछले वर्षों में किया है वह काफी काम है और वह सराहनीय है । बगैर पानी के आबपाशी नहीं हो सकती और अनाज नहीं पैदा हो सकता । जो योजनायें बनी हैं उनसे लाखों एकड़ जमीन की सिंचाई हो रही है । मैं आपको बताऊं कि भाखरा नंगल योजना से १४ लाख ८२ हजार एकड़, डी० बी० सी० से ७८ हजार एकड़, हीराकुण्ड योजना से १,३६,००० एकड़, तुंगभद्रा योजना से १,०६,८४० एकड़ जमीन की सिंचाई सन् १६५८ तक हुई। इसी प्रकार चम्बल, कोइना, कोसी, रिहन्द आदि योजनाओं से बहुत सी भूमि में सिंचाई होती है । इस प्रकार इन सारी योजनाओं से करीब ५० लाख एकड़ ज़मीन की सिंचाई सन् १६५८ तक हुई है । फिर भी हम देखते हैं कि गल्ले की कमी पूरी नहीं हो पा रही है । इसका खास कारण यह है कि पिछले तीन चार वर्ष से कुछ कुदरती मार हो रही है । कभी ज्यादा वर्षा हो जाती है तो कभी सूखा पड़ जाता है जिसकी वजह से तमाम खेती नष्ट हो जाती है । पिछले दो वर्षों में ज्यादा वर्षा हुई जिसकी वजह से पंजाब, उत्तर प्रदेश और वैस्ट बंगाल में बाढ़ें आयीं और लाखों एकड़ जमीन डूब गयी । इस वजह से अनाज कम पैदा हुआ ।

दूसरा विषय हमारे सामने आ जाता है वाटर लोगिंग का । जिसके सुधार के वास्ते फ्लड कंट्रोल बोर्ड बना है वह इस बात की कोशिश कर रहा है कि इस पानी को निकाला जाये । मैं आपको बताऊं कि पिछले साल लाखों एकड़ जमीन पानी के अन्दर डूब गयी और कार्तिक की तमाम फस्लें खराब हो गयीं और बहुत बरबादी हुई । इस वजह से भी गल्ले की कमी पूरी होना कठिन हो रहा है । आज से पिछले सौ वर्षों में इस प्रकार के फ्लड नहीं आते थे जैसे कि इधर दो तीन साल से देखने में आ रहे हैं । इसका खास कारण यह मालूम होता है कि ये जो हाइड्रोजन और एटम बम समुद्र में छोड़े जा रहे हैं इनसे बहुत गरमी पैदा होती है और इस वजह से बहुत भाप व मानसून उठती है और वह बारिश होकर फ्लड आते हैं । यही वजह फ्लड आने की हो सकती है दूसरी कोई वजह मेरी समझ में नहीं आती । आजकल हालत यह है कि जिन क्षेत्रों में पहले २० या २२ इंच पानी पड़ता था वहां अब ६० और ७० इंच पानी पड़ने लगा है । आगरे का ड्राई एरिया है और यह राजस्थान की सीमा पर है । यहां पर १५ या २० इंच पानी बरसता था लेकिन पिछले कई वर्ष से वहां पर ६० या ७० इंच पानी बरस रहा है । इस वजह से वाटर लोगिंग हो रहा है और फ्लड आ रहे हैं ।

[ी **चे० रा० पट्टाभिरामन्** पीठासीन हुए]

तो हमारी केन्द्रीय और प्रदेशीय सरकारों को इसका भी ध्यान रखना है कि किस तरह से इस वाटर लोगिंग को खत्म करें ।

आगरा जिला में दो नयी नदियां विफल गई हैं । एक तो अलीगढ़ से फिरोजाबाद तहसील में जिसका नाम सरसा कहा जाता है और दूसरी मथुरा से किरावली तहसील में जिसका नाम सोन कहा जाता है इस बारे में हमने उत्तर प्रदेश सरकार को भी लिखा है कि वह इस सम्बन्ध में योजना बनावें जिससे कि पानी निकले और तबाही और बरबादी से सैकड़ों गांव बच सकें ।

†मूल अंग्रेजी में

इसके साथ ही हम देखते हैं कि जब पानी की जरूरत होती है तो पानी नहीं बरसता। इसलिये पानी की कमी पड़ती है। दूसरी जगहों पर ज्यादा पानी के कारण नुकसान होता है। तो हमको दोनों तरफ ध्यान देना होगा। जहां ज्यादा पानी है उसे निकालना होगा और जहां पानी कम है उस जगह पानी पहुंचाना होगा।

दूसरा सवाल पावर का है। यह सवाल भी बहुत अहम है। बगैर पावर के हम खेती के लिए कोई काम नहीं कर सकते। मैं आपको बतलाऊं कि किस तरह से पावर का बटवारा हुआ है। डोमेस्टिक परपजेज़ के लिए १२ परसेंट, कमर्शियल कामों के लिए ६ परसेंट, इंडस्ट्रियल परपजेज़ के लिए ७४ परसेंट, पब्लिक लाइटिंग के लिए २ परसेंट और इर्रीगेशन के लिए सिर्फ ६ परसेंट। यह बहुत कम है। इस ओर पूरा ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे ट्यूब वैल चल सकें। हमारे यहां आगरे में बाह तहसील में ५० ट्यूबवैल बने पड़े हैं लेकिन उनके लिए बिजली न होने से उनसे काम नहीं लिया जा सकता है उनसे कोई फायदा नहीं उठाया जा रहा है। मथुरा और आगरे को पिछले दस बारह बरसों में न एक यूनिट बिजली मिली है और न ही एक क्यूसैक पानी मिला है। हम लगातार इसके बारे में प्राविंशल गवर्नमेंट तथा सैण्ट्रल गवर्नमेंट से प्रार्थनायें करते आ रहे हैं कि इन इलाकों की तरफ भी ध्यान दिया जाए लेकिन अब तक कुछ नहीं किया गया है। यह बताया गया था कि हिंडन स्कीम आयेगी लेकिन वह भी खत्म कर दी गई है। उसके बाद कहा गया कि रामगंगा स्कीम हम लायेंगे और उससे पानी की कमी को पूरा कर देंगे। पता नहीं उसका क्या हुआ है, पता नहीं आया वह अमल में आएगी या नहीं आएगी।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन इलाकों में पानी की कमी है या बिजली की कमी है, उन इलाकों की जरूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिये। हमारे दोनों जिलों में इन चीज़ों की बहुत सख्त जरूरत है। मैं मानता हूं कि विभिन्न क्षेत्रों में पानी तथा बिजली पहुंचाने की ओर सरकार ध्यान दे रही है लेकिन मेरा कहना यह है कि इन ड्राई जिलों की ओर ज्यादा ध्यान जाना चाहिये। हम देखते हैं कि दुनिया की दूसरी सरकारों जैसे रूस, चीन आदि ने पिछले पांच सात वर्षों में इस ओर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है और बड़ी तरक्की की है। रूस ने सात वर्षीय योजना बनाई थी और उसको पूरा किया और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हुआ। अमरीका में भी इस तरह से योजनापूर्वक काम चल रहा है और बड़ी तरक्की हो रही है। हम प्रथम पंचवर्षीय योजना को पूरा कर चुके हैं और दूसरी योजना इस समय चल रही है। उसमें मैं मानता हूं कि हम तरक्की कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि इस तरफ और ध्यान दिया जाए ताकि हम पानी और बिजली की कमी को पूरा कर सकें और यदि पानी की कमी पूरी हो गई तो गल्ले की हमारी जो जरूरियात हैं, वे भी पूरी हो जायेंगी। यदि हम इसमें सफल हुए तभी हमारा देश खुशहाल हो सकता है। हमारा देश कृषि प्रधान तेश है और वह तभी खुशहाल हो सकता है जबकि हम उसकी पानी और बिजली की जरूरतों को पूरा कर दें, जब इनका काफी इन्तिजाम कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा गल्ला पैदा हो सके।

†**श्री क० बी० पादलू** (गोनुगोंडा-रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां) : मेरा मंत्रालय से अनुरोध है कि अपर सिलेरू जल-विद्युत् योजना को दूसरी योजना में क्रियान्वित के लिये ले लिया जाये। इस योजना की जांच १९४२ में आरम्भ करके १९५५ में पूरी कर ली गई थी। तत्पश्चात् केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के परामर्श से इसके डिज़ाइन आदि पूरे किए गए। इसको विदेशी मुद्रा की कमी के कारण दो भागों में विभक्त किया गया था। पहले भाग में तीन वर्ष में १,२०,००० किलोवाट बिजली बनाने की योजना है जिसका प्राक्कलित व्यय ६ करोड़ रुपये से ७ करोड़ रुपये होगा। इस परियोजना

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री क० वी० पादनू]

के पूरा हो जाने पर सरकार को इस प्रकार की अन्य परियोजनाओं की तुलना में अधिक लाभ होगा। इसका आरम्भ तुंगभद्रा में अधिक आई हुई मशीनों से किया जा सकता है। इसके अंतिरिक्त इस योजना के जंगल में होने के कारण कागज़ तथा इमारती लकड़ी के उद्योग का विकास भी किया जा सकता है और इस प्रकार बहुत से बेकार व्यक्तियों को रोज़गार दिया जा सकता है।

मुझे पता लगा है कि सिलेरू योजना के बारे में उड़ीसा सरकार ने कुछ आपत्तियां उठाई हैं। परन्तु मैं बताना चाहता हूं कि सिलेरू की तलहटी के विकास की पूरी जिम्मेदारी आन्ध्र प्रदेश को सौंप दी गई थी इसलिए अन्य किसी राज्य द्वारा इस पर उठाई जाने वाली आपत्ति पर कोई ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने में ही राष्ट्र का हित है।

इसलिए मेरा यही कहना है कि अपर सिलेरू परियोजना को आरम्भ करने के सम्बन्ध में आन्ध्र प्रदेश सरकार को शीघ्र आदेश दिए जाने चाहिए।

†**श्री प्र० के० देव** (कालाहांडी) : हमें इसका बड़ा खेद है कि सरकार को खाद्यान्नों को आयात के लिए विदेशी मुद्रा व्यय करनी पड़ती हैं। हमारे देश में पर्याप्त भूमि है, जिसमें से ३४०० लाख एकड़ भूमि पर खेती होती है। इस ३४०० लाख एकड़ भूमि में से केवल ७०० लाख एकड़ भूमि में ही सिंचाई की व्यवस्था की गई है। यह बड़े दुख की बात है। अमरीका में प्रति हजार व्यक्तियों के लिए २,१२५ एकड़ खेती की भूमि है जब कि हमारे देश में ८२३ एकड़ भूमि ही है। इसके अतिरिक्त अमरीका से भारत में प्रति एकड़ उपज भी बहुत कम है। इसलिए विद्युत् का उत्पादन बढ़ाकर तथा सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाकर ही हम अपनी उपज बढ़ा सकते हैं और जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठा सकते हैं।

आज आवश्यकता यह है कि प्रत्येक नदी बेसिन के लिये अलग परियोजनायें बनाई जायें ताकि हरेक राज्य अपना नदी विकास कार्यक्रम अलग बनाये। हम देखते हैं कि इन कार्यक्रमों के लिये जो जानकारी वग़ैरह इकट्ठी की जाती है उसका काम केन्द्र और राज्य सरकारों में इस तरह बंटा हुआ है कि कोई समन्वय नहीं रह पाता।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

महानदी घाटी विकास को लीजिए। इस योजना को केन्द्रीय सरकार ने आरम्भ किया था। परन्तु इसके दो भाग पूरे होने पर अब इसके विकास के तीसरे तथा चौथे भागों को राज्य सरकार पर लाद दिया गया है। राज्य सरकार के लिए सीमित साधनों के कारण इसे पूरा करना बड़ा कठिन हो रहा है।

जहां तक बाढ़ नियंत्रण का प्रश्न है, महानदी घाटी के विकास का काम तटीय बाढ़ों को रोकने के उद्देश्य से ही किया गया था। परन्तु मेरा अपना विचार है कि हीराकुड परियोजना के द्वारा तटीय क्षेत्रों की बाढ़ों को नहीं रोका जा सकता है। इनको रोकने के लिए महानदी की मुख्य सहायक तेल नदी के बहाव को रोकना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि तेल नदी की सहायक नदियों पर नियंत्रण करके तेल नदी के बहाव को रोका जा सकता है और सिंचाई के लिए उस पानी से नहरें बनाई जा सकतीं हैं। हाल में ही ऐसा ही एक नदी बैतरणी के सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार ने परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और मैं आशा करता हूं कि मंत्रालय इस पर विचार करके अगले वर्ष के आय-व्ययक में इसे शामिल कर लेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जयपाल सिंह पीठासीन हुए]

देश में बिजली के विकास का पता लगाने का आधार यह है कि इसकी प्रति व्यक्ति खपत का पता लगाया जाये। यह सिद्ध हो चुका है कि जितनी भी बिजली बनाई जाती है उसका उपयोग कर लिया जाता है। परन्तु फिर भी यदि बिजली का पूरी तरह उपयोग न हो तो हमें ऐसा न होने के कारणों का पता लगाना चाहिए। इसका एक कारण तो यह है कि सभी स्थानों पर बिजली की दरें समान नहीं हैं। हीराकुद में १,२३,००० किलोवाट बिजली बनती है और उसके निकटतम स्थान सम्बलपुर में ८ आने प्रति यूनिट दी जाती है। बादामपुर में साढ़े छै आने प्रति यूनिट दी जाती है जब कि आन्ध्र के इच्छापुरम में ६ १।२ आने की तिहाई दरों पर दी जाती है। इसलिए उड़ीसा तथा आन्ध्र के नगरों में बिजली की दरें समान बनाई जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त आन्ध्र प्रदेश सरकार ने उड़ीसा की सीमा पर नेल्लोर नगर तक बिजली की लाइन बनाई है, लेकिन पता नहीं उड़ीसा सरकार उस लाइन को रायगढ़ तक क्यों नहीं ले जा रही है। इसकी वजह विदेशी मुद्रा की कमी बताई जाती है। यही कारण है कि हालांकि हमारे राज्य में बिजली की इतनी ज़रूरत है लेकिन फिर भी सरकार आन्ध्र सरकार को अपना कोटा वापस कर देती है। यदि रायगढ़ तक लाइन बना ली जाये तो जाजपुर रोड में बनने वाला फ़ेरो क्रोम प्लांट बनने में कोई देर न हो।

बिजली की लाइन न बनाने के कारण कलिंगा में बनने वाली कागज़ की मिल को अब रायगढ़ में बनाने का विचार किया जा रहा है। इन सब गड़बड़ियों के कारण ही हमने उड़ीसा सरकार को सुझाव दिया था कि इन कार्यों के लिए बिजली बोर्ड बनाया जाये। परन्तु सरकार ने हमारी इस बात को नहीं माना जब कि उपभोक्ताओं का मत हमारे पक्ष में था। इसलिए सरकार को बोर्ड बनाने के सम्बन्ध में विचार करना चाहिए।

मेरा एक सुझाव यह है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर आसाम से कुछ ऊपर जहां पर यह नदी भारत की ओर मोड़ लेती है, वहां पर जल विद्युत् के विकास की एक परियोजना चीन सरकार के सहयोग से बनाई जाये। इसके बन जाने पर चीन तथा भारत दोनों देशों को पर्याप्त बिजली भी मिल जायेगी और आसाम में प्रति वर्ष आने वाली बाढ़ों को भी रोका जा सकेगा।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि उड़ीसा के समुद्र तट पर बने बांधों की मरम्मत के लिए उड़ीसा सरकार को रुपया दिया जाना चाहिए क्योंकि समुद्र की लहरें उड़ीसा के तटवर्ती प्रदेश में समुद्र का खारी पानी भर देती है और वहां की समस्त उपजाऊ भूमि बेकार हो जाती है।

पंडित द्वा० ना० तिवारी (केसरिया) : सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने पावर एंड इर्रीगेशन मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया। भारत सरकार के जितने भी विभाग हैं उनमें सिंचाई और विद्युत विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग हैं और इस विभाग पर देश की उन्नति निर्भर करती है। यदि खेतीबाड़ी के लिए पानी का समुचित प्रबन्ध न रहे तो फ़र्टिलाइज़र्स कुछ काम नहीं कर सकते। बिना पानी के फ़र्टिलाइज़र्स बेकार हैं। अगर एक मर्तबा फ़र्टिलाइजर्स न भी रहे तो अकेले पानी से हम अधिक पैदा करके दिखा सकते हैं।

बड़े उद्योग हों या छोटे गृह उद्योग हों, यदि बिजली न रहे तो उनका काम चल नहीं सकता। इसलिये देश की सम्पत्ति बढ़ाने में या देश को स्वावलम्बी बनाने में इस विभाग का बहुत बड़ा हाथ है।

[पंडित द्वा० ना० तिवारी]

यह जो रिपोर्ट हम लोगों के सामने है और जो हमको दी गई है उसमें पूरा विवरण नहीं है । मैं चाहता था कि इसमें पूरा विवरण होता कि जो लघु सिंचाई योजनाएं हैं उनसे कितनी ज़मीन की सिंचाई हुई और बड़ी योजनाओं से कितनी सिंचाई हुई । बड़ी योजनाओं के तो इसमें आंकड़े हैं लेकिन लघु सिंचाई योजनाओं से कितनी भूमि की सिंचाई हुई वह इसमें नहीं दी गई है । इस वास्ते हम लोग यह अन्दाज़ा नहीं लगा सकते कि कितनी वाटर पोटैन्शियल का इस्तैमाल किया गया। जब हम देखते हैं कि जो सिंचाई का प्रबन्ध हम लोगों ने किया है वह पूरा इस्तेमाल में नहीं आता है, पूरा काम में नहीं आता है तो ज़रा मायूसी होती है । अब वह क्यों नहीं आता इसके कई कारण बतलाये गये । एक कारण यह बतलाया गया कि नाला नहीं बन सका । यह ख़ुशी की बात है कि भारत सरकार ने इस ओर ध्यान दिया और बहुत सी कमेटियां बनाई और बहस मुबाहिसे के बाद कुछ प्रगति हुई लेकिन जब हम पावर पौटैन्शियल के बारे में देखते हैं तो हमारी मायूसी बढ़ जाती है ।

हमारे यहां पर ४० मिलियन किलोवाट हाइड्रो बिजली की पावर प्रस्तुत है लेकिन इस्तेमाल १.३ मिलियन किलोवाट ही होती है । क़रीब क़रीब ३९.३८ मिलियन किलोवाट बिजली बाक़ी रहती है जिसको की हम इस्तेमाल में लाकर अपने यहां की सम्पत्ति को बढ़ा सकते हैं । हम देखते हैं कि जो हमारा टार्गेट है उसमें भी ठीक से प्रगति नहीं हो रही है । मैं मिनिस्टर साहब से जानना चाहूंगा कि पावर जेनरेशन के सम्बन्ध में तीन वर्षों में जो प्रगति हुई है वह .७७ मिलियन किलोवाट की है । ३.४२ मिलियन किलोवाट पावर आप प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कर चुके थे और अभी आपने .७७ मिलयिन किलोवाट और किया है । इस तरह आपको २.८० मिलियन किलोवाट पावर इस्तेमाल करना बाक़ी है । जब आप इन तीन वर्षों में केवल .७७ मिलियन किलोवाट ही उत्पादन कर सके हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि आप अगले २ वर्षों में २ ८० मिलियन कैसे कर सकते हैं । यदि यह प्रगति ठीक से नहीं हुई तो यह काम हमारा पूरा नहीं होगा और हमारा टार्गेट अधूरा रह जायगा ।

ट्रान्समिशन लाइन के सम्बन्ध में हम देखते हैं कि प्रथम योजना के अन्त में ३७ हज़ार २०० मील लम्बा तार लगाया गया है और द्वितीय पंच वर्षीय योजना में ३५ हज़ार मील लम्बा तार लगाया जाना है । आपने १० हज़ार ८५० मील तार तीन वर्षों में लगाया है और १२ मार्च सन् १९५९ तक आपको ३० हज़ार मील और लगाना है । यह भी हो सकेगा या नहीं ठीक से नहीं कहा जा सकता क्योंकि यदि प्रगति बहुत तेज़ नहीं हुई तो शायद यह नहीं हो सकेगा । इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसकी प्रगति बढ़ानी चाहिये । आपके पास डाइरेक्टेरेट्स की कमी नहीं है । इस किताब में आपके जितने डाइरेक्टेरेट्स दिये हैं मैं समझता हूं कि उतने किसी अन्य मंत्रालय में नहीं हैं । इस मंत्रालय में कुल १८ डाइरेक्टेरेट्स हैं और जिन पर काफ़ी खर्च होता है । इन पर कितना खर्च होता है यह तो इस पुस्तक में नहीं दिया गया है लेकिन तो भी काफ़ी खर्च होता होगा । लेकिन जहां तक काम का ताल्लुक है तीन वर्ष में जितना काम होना चाहिये था उतना काम नहीं हो सका है । मेरा अनुरोध है कि इस ओर अधिक ध्यान दिया जाय ताकि हमारा टार्गेट फुलफ़िल हो सके ।

मैं अब अपने प्रान्त के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं । यह बिहार का दुर्भाग्य है कि उसके साथ स्टैप मदरली ट्रीटमेंट किया जाता है । अभी तक जितनी नव योजनाएं बनीं दामोदर आदि उसमें कोई सिंचाई की बात नहीं है । तिलैया डैम से क़रीब १७ हज़ार एकड़ ज़मीन पट सकती थी लेकिन ४, ५ वर्ष बीत गये अभी तक कोई इंतज़ाम नहीं हुआ । तिलैया डैम में अगर नाला

निकाल दिया जाता तो १७ हज़ार एकड़ ज़मीन पट सकती थी लेकिन उसका इंतज़ाम नहीं किया गया। समझ में नहीं आता कि उसका इंतज़ाम क्यों नहीं किया गया। मैं मिनिस्टर साहब से जानना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में इतनी देरी क्यों हुई और इसमें जो प्रगति नहीं की जा सकी उसका क्या कारण है? तिलैया डैम से १७ हज़ार एकड़ ज़मीन की सिंचाई होने को थी। उसको ४, ५ वर्ष बीत गये लेकिन अभी तक उस सम्बन्ध में जांच ही चल रही है और नाला नहीं निकाला गया। लाखों एकड़ ज़मीन पटाने के लिए बंगाल के हिस्से में नाला निकाला गया लेकिन बिहार में क्यों नहीं निकाला, यह समझ में नहीं आता। डी० वी० सी० में बिहार का बहुत बड़ा है, बहुत अधिक रुपया बिहार ने लगाया है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि उसका फल क्या बिहार को मिलता है? कुछ थोड़े सेंकड़े किलोवाट बिजली उसे मिलती है लेकिन सिंचाई के सम्बन्ध में डी० वी० सी० से कुछ भी फायदा नहीं होता।

कोसी योजना ज़रूर बनाई गई लेकिन वह सिंचाई की योजना नहीं है वह तो बाढ़ को रोकने की योजना है। सिंचाई के सम्बन्ध में जहां तक बिहार का हिस्सा है उस सम्बन्ध में मिनिस्ट्री का रुख ज़रा सहृदय होना चाहिए, कड़ा नहीं होना चाहिए।

हम लोगों की गंडक योजना यू० पी० और नैपाल के झगड़े में बहुत दिनों से यूं ही पड़ी हुई है। यह खुशी की बात है कि अभी चन्द दिन पहले हमारे माननीय मंत्री ने यू० पी० गवर्नमेंट से उसकी बाबत तय किया लेकिन अभी नैपाल से झगड़ा चल रहा है और पता नहीं है कि कब तक वह कार्यान्वित हो सकेगी। इस गंडक स्कीम से बिहार में काफ़ी अधिक भूमि की सिंचाई की व्यवस्था होने वाली है। बिहार के हिस्से में करीब करीब २४ लाख एकड़ ज़मीन उससे पटेगी।

मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूं। आप देखेंगे कि भाखड़ा डैम से ३६ लाख ४ हजार २७५ एकड़ ज़मीन पटेगी जब कि खर्चा होगा १७५ करोड़ या १७० करोड़। डी० वी० सी० में १० लाख ४४ हज़ार एकड़ ज़मीन पटनी है और खर्चा है ११० करोड़। हीराकुड से ३ लाख ८० हजार एकड़ ज़मीन पटनी है और खर्चा है ७७, ७८ करोड़ रुपये। तुंगभद्रा योजना से ८,०२,५०० एकड़ ज़मीन पटना है, और उसमें खर्च बहुत अधिक है। गंडक योजना में ३२ लाख एकड़ ज़मीन पटना है और खर्च सिर्फ ४७ करोड़ है। आप समझ सकते हैं कि कितनी सस्ती, कितनी उपयोगी और कितनी तुरन्त फायदा देने वाली यह स्कीम है। लेकिन उत्तर प्रदेश और नैपाल के झगड़े की वजह से यह पड़ी हुई है। बहुत खोजने के बाद बिहार में एक जगह निकली थी सिसवन, जहां से आसानी से एक नहर निकाली जा सकती है पर उसे छोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश को और नैपाल को फायदा हो मैं इसको ग्रज नहीं करता। लेकिन बिहार का हिस्सा नजरअन्दाज किया जाये यह अच्छी बात नहीं है। मालूम नहीं कब तक यह फायनल होगा और इस में काम कब लग सकेगा। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जब तक नैपाल से लिखापढ़ी नहीं हो जाती, जिसका कि आश्वासन है कि वह हो जायेगी, तब तक मेन चैनल खोदने के लिए काम लगाया जाये ताकि लिखापढ़ी होती रहे और यह काम भी होता रहे। मैं चाहता हूं कि जो बिहार और उत्तर प्रदेश का हिस्सा है उस में काम चलता रहे। जो अन्वेषण करना हो, नहर आदि किस तरफ से निकाली जायेगी इसकी नाप आदि जो होनी है वह हो जाये जिसमें कि नैपाल से लिखापढ़ी खत्म होने के बाद अधिक समय काम के पूरा होने में न लगे।

मायूसी तब होती है जब हम देखते हैं कि इस काम के लिए ५० लाख रुपया दिया गया है। यह ४७ करोड़ की स्कीम है और ५० लाख रुपया दिया गया है। इससे क्या हो सकता है। इस से तो सड़कें और क्वार्टर भी नहीं बन सकते। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस ओर ध्यान दें और इस में काम शीघ्र से शीघ्र लगाने की कोशिश करें।

[पंडित द्वा० ना० तिवारी]

बिजली के सम्बन्ध में एक बात और कहनी है और वह यह कि बिजली के उत्पादन का खर्चा १.२५ नये पैसे से लेकर ३ नये पैसे तक होता है। और कंज्यूमर से डोमेस्टिक यूज और एग्रीकल्चर के लिए जो रेट लिया जाता है वह कहीं चार आना है, कहीं ६ आना है और कहीं आठ आना है। तो उत्पादन खर्च से २००० या २५०० गुना ज्यादा दाम लिया जाता है। आप दूना ले लीजिये, तिगुना ले लीजिये, पांच गुना लें लीजिये, दस गुना ले लीजिये लेकिन आप इतना अधिक दाम लेते हैं जिसके कारण गृहस्थ आसानी से सिंचाई नहीं कर सकता और न इस बिजली को देहातों और गांवों में रहने वाले लोग काम में ही ला सकते हैं। आपको इसका रेट घटाना चाहिए ताकि लोग गांवों में भी बिजली का इस्तैमाल कर सकें। शहरों में धनी लोग रहते हैं। उनसे कुछ ज्यादा भी ले लीजियेगा तो उनको अखरेगा नहीं, लेकिन जो देहात में रहने वाले हैं उनकी आमदनी नाममात्र की भी नहीं है। उनसे अधिक पैसा लेते हैं तो यह उन पर एक बहुत बड़ा भार पड़ता है।

मैं आप से फिर एक बार यह इस्तदुआ करूंगा कि आप गंडक नहर की तरफ अधिक ध्यान दें और बिजली का दाम कुछ कम करने की सोचें और जो ट्रांसमिशन लाइन लगानी है उसमें और बिजली के उत्पादन में अधिक प्रगति लायी जाये।

†**डा० अचमम्बा** (विजयवाड़ा) : मुझे प्रसन्नता है कि सिंचाई और विद्युत उपमंत्री ने अपने भाषण में सिंचाई और विद्युत के महत्व पर ज़ोर दिया है। मुझे इस की खुशी है कि नदी परियोजना में बनाने में पड़ौसी राज्य एक दूसरे से सहयोग कर रहे हैं लेकिन अभी भी कहीं कहीं कोई राज्य आपत्ति उठा देता है और काम में रुकावट पैदा हो जाती है। सिलेरु परियोजना इसका एक उदाहरण है। सिलेरु सबरी नदी की सहायक है और सबरी गोदावरी की सहायक नदी है। यह आंध्र और उड़ीसा की सीमा पर है। मचकुंड परियोजना के सम्बन्ध में आंध्र और उड़ीसा में यह तय हो गया था कि इससे उत्पादित विद्युत का ७० प्रतिशत आंध्र प्रयोग करेगा और ३० प्रतिशत उड़ीसा। ऐसा हो भी रहा है। परन्तु सिलेरु परियोजना भारत भर में सब से सस्ती होगी। दुर्भाग्य की बात है कि उड़ीसा सरकार ने कुछ आपत्तियां उत्पन्न कर दी हैं, हालांकि की जमीन का पट्टा ९९ वर्ष का फिर भी दो आपत्तियां प्रस्तुत की गयी हैं। प्रथम यह कि इस में कुछ जमीनें पानी के अन्दर आ जायेंगी; लेकिन यह ग़लत है। हम कोई बांध बनाने तो जा नहीं रहे हैं। दूसरे यह कहा गया कि वे सिलेरु से एक टनल द्वारा पानी लेंगे और ज़मीन की सिंचाई करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि सिंचाई के लिए और कई नदियां हैं और टनल पर खर्च करने की ज़रूरत नहीं।

इन आपत्तियों के कारण इस परियोजना का कार्य रुका हुआ है। यह बड़ी सस्ती परियोजना है। आंध्र को इसकी बहुत ही अधिक आवश्यकता है। सरकार को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए ताकि शीघ्र ही इसे स्वीकृति प्राप्त हो और कार्य आरम्भ हो सके।

इसी प्रकार तेलंगाना का क्षेत्र भी काफी उपजाऊ है। परन्तु शताब्दियों से इसकी उपेक्षा हो रही है अतः यह काफी पिछड़ा हुए क्षेत्र रहा है। यहां पंजाब के समान उत्पादन हो सकता है। आंध्र सरकार इस क्षेत्र के जल संसाधनों का उपयोग करने की जिस योजना पर विचार कर रही है उसे शीघ्र आगे बढ़ाना चाहिए ताकि वर्षों से पिछड़ा हुआ तेलंगाना प्रदेश समृद्धि की ओर बढ़ सके।

आंध्र में नागार्जुनसागर परियोजना भी है। इसे कई मामलों में भारत भर की सब से बड़ी परियोजना कहा जा सकता है परन्तु इसे राज्य के स्तर पर ही रखा गया है। यहां १५००० व्यक्ति काम कर रहे हैं और काम करने वाले इंजीनियर भी बहुत ही अनुभवी हैं। इस परियोजना को सरकार द्वारा अधिक सहायता देनी चाहिए ताकि यह काम शीघ्र पूर्ण हो। इस से देश के खाद्य

†मूल अंग्रेजी में

संकट का मुकाबला करने में काफी सहायता प्राप्त होगी । इस दिशा में धन की सहायता देने में जितनी देर लगेगी उतनी ही हानि होगी । मुझे आशा है कि सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय मेरे सुझावों की ओर समुचित ध्यान देगा ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** (कुम्बकोणम्) : सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करते हुए मैं उनको उनके अच्छे कामों के लिए मुबारकबाद देता हूं । १९५८-५९ के विभिन्न कार्यों के बारे में प्रतिवेदन में सविस्तर दिया गया है । यह भी बताया गया है कि १९५९-६० में मंत्रालय क्या करना चाहता है । यह सामान्य ज्ञान की बात है कि नदी घाटी योजनाओं के निर्माण में ही रुकावटें नहीं आती रही प्रत्युत उसके कार्यान्वित करने में भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता रहा है । बहुत सी परियोजनाओं के अनुमान बहुत ऊंचे थे । यह आशा की गयी थी कि भविष्य में भूलों की पुनरावृत्ति नहीं होगी और भूलों द्वारा जो अनुभव प्राप्त किया गया है, उससे भविष्य में योजनाओं के निर्माण करते समय पूरा लाभ उठाया जायेगा ।

केन्द्रीय जल विद्युत आयोग विभिन्न राज्यों को प्रविधिक सहायता दे रहा है । १२ राज्यों में बाढ़ नियंत्रण बोर्ड हैं और चार नदी आयोग हैं । मुझे यह कहने में प्रसन्नता है कि विभिन्न प्रकार के बाढ़ नियंत्रण कार्यों के फलस्वरूप ४२ नगरों को बचाया गया और ५० लाख एकड़ भूमि को सिंचाई के लिए सुरक्षित किया गया । आज भारत में कृषि और औद्योगिक विकास का भविष्य इन नदी घाटी योजनाओं की सफलता पर आश्रित है । परन्तु योजना बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने में काफी कमियां रही हैं ।

बाढ़ नियंत्रण के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि आवश्यकता इस बात की है कि ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के पानी को बचाया जाये । इनका बहुत सा पानी व्यर्थ जा रहा है । इस दिशा में राष्ट्रीय आधार पर कुछ विचार करने की आवश्यकता है । यदि गोदावरी और कृष्णा नदियों से नहरें निकाली जायें तो बेल्लारी और अन्य जिलों में, जो कि प्रायः रेगिस्तान बनते जा रहे हैं, पुनः अच्छी सिंचाई हो सकती है । गंगा और कावेरी को मिला कर ताम्ब्रपरणी तक ले जाने से भी काफी लाभ हो सकता है ।

पता नहीं क्यों, योजना आयोग ने सिंचाई और विद्युत के लिए रखी राशि को ९१३ करोड़ रु० से घटा कर ८३२ करोड़ कर दिया है । इससे सिंचाई के लक्ष्यों पर प्रभाव पड़ेगा । १२० लाख की सिंचाई का लक्ष्य योजना में निर्धारित है परन्तु इससे १०४ लाख एकड़ की ही सिंचाई हो सकेगी । १०४ लाख एकड़ के लिए भी इस्पात इत्यादि का सम्भरण अपेक्षित होगा । विदेशी विनिमय का भी कुछ प्रभाव है ही । परन्तु जैसा अक्सर कहा गया है हम परियोजनाओं का निर्माण कर रहे हैं, इसलिये बिजली आदि की मांग बढ़ेगी ही और हमें उसे पूरा करना होगा ।

कई एक कारणों से हम अपनी सिंचाई क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाये । योजनायें ठीक ढंग से नहीं बनी हैं और वितरण प्रणाली भी अच्छी प्रकार नहीं चल सकी और पानी के दर भी बहुत ऊंचे रहे हैं । सामूहिक तौर पर जल, विद्युत और उर्वरकों के दर इस प्रकार निर्धारित होने चाहिए ताकि हम सम्बद्ध संसाधनों को पूर्णतः उपयोग करने की व्यवस्था कर सकें । सारे देश में विद्युत दर एक से होने चाहिए । इसके लिए ग्रिड-प्रणाली सब से अच्छी रहेगी । विभिन्न राज्यों की सीमाओं का ध्यान न रख कर इसके लिए तीन चार क्षेत्रों का निर्माण किया जाना चाहिए ।

देश में खाद्य की कमी के लिए तालाब भी बड़े आवश्यक हैं । पुराने तालाबों और कुओं को भी सुधारा जाना चाहिए । साथ ही हम इस बात पर भी जोर देंगे कि अन्तर्राज्यीय विवादों का निपटारा दलगत भावना से नहीं प्रत्युत अखिल भारतीय दृष्टिकोण से होना चाहिए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री लच्छीराम (हमीरपुर--रक्षित-अनुसूचित जातियां) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं पिछड़े क्षेत्रों से चुन कर आया हूं इसलिये मैं माननीय सिंचाई व विद्युत मंत्री का ध्यान पिछड़े क्षेत्रों की ओर ही आकर्षित कराना चाहता हूं ।

महोदय, आप को यह मालूम है कि हमारा देश गांवों में आबाद है । बहुत बड़ी जनसंख्या इस देश की हमारे गांवों में रहती है और उन का मुख्य पेशा खेतीबाड़ी है । खेतीबाड़ी के सुधार के लिये गांवों की हालत सुधारने के लिये हमारी सरकार ने काफ़ी काम किया । बड़े बड़े बांध बनाये, नहरें बनाई और उन के द्वारा उन को राहत मिली । इस के लिये यह मंत्रालय बधाई का पात्र है । हमारी प्रान्तीय सरकारों ने भी कुछ विभागों द्वारा विकास क्षेत्र खोल कर उन की हालत सुधारने में काफी सहायता की है और उन की हालत कुछ सुधरी भी है लेकिन सभापति महोदय, जिन किसानों की हालत सुधरी उन की संख्या अंगुलियों पर गिनी जा सकती है । वह बड़े बड़े काश्तकार जिन के कि पास लाभ कर खेत हैं उन की ही हालत सुधरी । आज भी देश में बहुत बड़ी संख्या उन गरीब किसानों की है जिन के कि पास अलाभकर खेती है, जो भूमिहीन किसान हैं और खेतिहर मज़दूर हैं और दूसरे प्रकार के मज़दूर हैं उन की बहुत बड़ी संख्या है । उन की हालत अभी जैसी की तैसी है । उन के पास तन ढंकने को कपड़ा नहीं है और वह चिथड़ों में ही अपना बदन छिपाये रहते हैं । न उन के पास मकानों की व्यवस्था है और झोंपड़ियों में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और न उन के पास भोजन की कोई समुचित व्यवस्था है । रूखे सूखे टुकड़े खा कर वे किसी तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं । उन की हालत सुधारने के लिये सरकार की तरफ से अभी कोई खास कदम नहीं उठाया गया । उन की हालत सुधारी जा सकती है यदि बिजली के द्वारा विद्युत योजनाओं के द्वारा कुछ घरेलू काम धंधे गांवों को दिये जायें । इस तरह गांवों की हालत सुधारी जा सकती है । मैं यह मानता हूं कि विभाग ने काफ़ी काम किया है । बिजली पैदा करने के सम्बन्ध में बड़ी बड़ी योजनायें उन्हों ने लीं और उन में काफ़ी कामयाब हुए लेकिन उस का पूरा पूरा लाभ शहर वालों को मिला । जितनी भी बिजली बनी उस का बहुत बड़ा हिस्सा शहरों ने खा लिया । गांवों को उस का थोड़ा भी हिस्सा नहीं मिल पाया । आप जानते हैं कि जब बड़ी बड़ी योजनायें बनती हैं, बड़े बड़े बांध बनते हैं तो उस समय गांवों के लोगों को ही कठिन परिश्रम करना पड़ता है । जो स्थान उस के लिये सुरक्षित किये जाते हैं उन में कितने ही गांव इधर से उधर दे दिये जाते हैं और उन गांवों के आदमियों को एक जगह से दूसरी जगह बसाने में कितनी कठिनाई होती है । बांध बनाने में जो मेहनत करनी पड़ती है वह भी गांवों के आदमियों को ही करनी पड़ती है । इतना कठिन परिश्रम करने के बाद भी यदि बिजली का उपयोग गांवों के आदमियों को न मिले तो गांवों में क्षोभ पैदा होना स्वाभाविक है । ऐसी स्थिति में गांवों के लोगों को उस का उपयोग मिलना चाहिये ।

अब मैं आप का ध्यान उत्तर प्रदेश की ओर ले जाना चाहता हूं । उत्तर प्रदेश हमारे देश में एक महत्वपूर्ण प्रदेश है । इतने बड़े प्रदेश में कितने ही क्षेत्र ऐसे हैं कि जो वास्तव में बड़े पिछड़े हैं । पहाड़ी क्षेत्र जहां कि अधिकतर आदिवासी और गरीब लोग रहते हैं, उन की हालत बड़ी खराब है । पूर्वी ज़िलों के इलाक़ों में अलाभकर खेतों वाले काश्तकार हैं, उन की भी हालत खराब है । तीसरा हिस्सा उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड का आता है । बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का अत्यन्त पिछड़ा हुआ इलाक़ा है । इस इलाक़े में प्रान्तीय सरकार ने माता टीला नामक एक बांध बनाया और उस माता टीला बांध के द्वारा कुछ थोड़ी सी राहत किसानों को मिली लेकिन उस बांध बनाने के साथ बिजली बनाने की जो उस में स्कीम थी, उसे थोड़ी सी विदेशी मुद्रा की कमी के कारण रद्द कर दिया गया । मैं आप से यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि उस इलाके के ग़रीब भारतवासियों ने, ग़रीब मज़दूर और किसानों

ने उस बांध के बनाने में अपना योग दिया लेकिन बिजली न बनने से उस क्षेत्र को कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि वह एक पहाड़ी इलाका है, ऊबड़ खाबड़ इलाका है। इसलिये उस क्षेत्र को नहर से कोई लाभ नहीं हुआ। बिजली से उसे लाभ हो सकता था लेकिन थोड़ी सी विदेशी मुद्रा के कारण वह क्षेत्र जैसे का तैसा रह गया।

अभी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री महोदय ने कुछ लोगों को अपने यहां बुलाया और उन्हों ने अपनी कठिनाई ज़ाहिर की थी कि विदेशी मुद्रा केन्द्र से न मिलने के कारण द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो दस योजनायें हम ने ली हैं, उन में से केवल ६ ही हमें चलानी पड़ रही हैं और ४ को हमें स्थगित कर देना पड़ा है। तो मैं आप से यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि ऐसा महत्वपूर्ण बांध, जिन बांधों से कि एक अत्यन्त पिछड़े हुए इलाक़े को लाभ हो सकता है, उस इलाक़े की परवरिश के लिये अगर थोड़ी सी विदेशी मुद्रा दे कर वह काम पुनः चालू कर दिया जाय और इस देश के ग़रीब किसानों को लाभान्वित किया जा सके तो यह एक बहुत बड़ा काम होगा।

सभापति महोदय, मैं एक बात और कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। माता टीला बांध में लोहे के फाटक लगने हैं और वह फाटक शायद बाहर से आने हैं। उन का ठेका दे दिया गया है, लेकिन केन्द्र से उस फाटक खरीदने का लाइसेंस न मिलने की वजह से वह काम रुका पड़ा है। यदि शीघ्र ही यह इजाजत नहीं दी गई तो मैं यह समझता हूं कि उस बांध का जो बहुत बड़ा लाभ होने वाला है वह रह जायेगा।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री महोदय की मांगों का समर्थन करता हूं और मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि पिछड़े क्षेत्रों के लिये वह अधिक से अधिक सहायता करने की कृपा करें।

श्रीमती कृष्णा मेहता (जम्मू और काश्मीर) : सभापति जी, सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय के प्रगति कार्य जो हुए हैं उन के लिये में माननीय मंत्री जी को बधाई देती हूं और उन की मांगों का समर्थन करती हूं।

गत वर्ष मुझे संसद सदस्यों के साथ जाने का मौका मिला था और मैं ने दामोदर घाटी, तिलइया, कोनार, माइथान बिजली घर, पंचंट आदि योजनायें देखीं। उन को देख कर ऐसा मान हुआ कि दस वर्षों में हम बहुत आगे बढ़े हैं।

विद्युत मंत्रालय ने कुछ सर्वेक्षण कराये थे। उन के अन्तर्गत जम्मू और काश्मीर में भी दो परियोजनायें रखी गयी थीं। एक जम्मू प्रान्त में मलाल और दूसरी काश्मीर में लिदरवेली। उस के लिये मैं मंत्री जी का धन्यवाद करती हूं। पर एक चीज़ देख कर मुझे भारी निराशा हुई। वह यह कि इन दोनों परियोजनाओं का जो कार्य होगा वह तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना में रखा गया है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उस तरफ दिलाना चाहती हूं। वह जानते हैं कि काश्मीर की जनता की जीविका उद्योगों पर निर्भर करती है। अगर आप तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में इन परियोजनाओं को रखेंगे तो उन लोगों को कितनी निराशा होगी और उद्योग धंधों में काश्मीर के लोग कितने पिछड़ जायेंगे। काश्मीर की गरीब जनता को आप पर भरोसा है और वह देखती है कि जल्दी से जल्दी उसकी तरक्की और खुशहाली हो।

आप ने बाढ़ नियंत्रण आयोग बनाया है उस में जम्मू काश्मीर राज्य भी है। इस से वहां की जनता की बहुत भलाई होगी क्योंकि बाढ़ के कारण वहां की जनता को काफी संकट उठाना पड़ता है। आप ने सब राज्यों से कुछ योजनायें मांगी थीं। उन में से आप ने कई योजनाओं पर बाढ़ नियंत्रण के लिये काफी रुपया खर्च करने की व्यवस्था की है। मैं फिर आप को जम्मू काश्मीर की याद दिलाती हूं। मुझे आशा है कि वहां पर बाढ़ को रोकने के लिये आप ने काफी रकम रखी होगी। बाढ़ नियंत्रण का

[श्रीमती कृष्णा मेहता]

कार्य सन् १९५४ से हो रहा है। इस के द्वारा ५० लाख एकड़ खेती तथा बहुत से गांवों की रक्षा हुई है। परन्तु फिर भी सन् १९५८ में बाढ़ से लगभग ४० करोड़ रुपये की हानि सारे भारत में हुई। मैं तो कहती हूं कि सरकार को ज्यादा से ज्यादा ध्यान इस तरफ देना चाहिये और बहुत सा रुपया बाढ़ रोकने पर खर्च करना चाहिये।

सभापति जी, सन् १९५८-५९ का प्रतिवेदन पढ़ने से मालूम होता है कि सिंचाई की ओर अधिक से अधिक ध्यान दिया जायेगा। मैं मंत्री जी का ध्यान उस इलाके की तरफ दिलाना चाहती हूं जोकि बहुत दूर दराज है। यह इलाका जम्मू से तकरीबन १५० मील है और उतनी ही दूर काश्मीर से है। उस इलाके में बारहों महीने अकाल रहता है। उन लोगों को कभी पेट भर अनाज नहीं मिलता। मैं मानती हूं कि हमारी राज्य सरकार ने काफी अनाज वहां भेजा है। लेकिन कब तक कितना अनाज बाहर से भेज कर उन का पेट भर जा सकता है। वहां पर यातायात का कोई अच्छा प्रबन्ध नहीं है। १५ मील तक तो बस जाती है। लेकिन बस का रास्ता भी कई बार टूट जाता है और बीस बीस दिन तक वह ठीक नहीं हो पाता ? उस वक्त लोगों को बड़ी कठिनाई होती है। लगभग ६ वर्ष हुए कि वहां पर एक किश्तवार नहर लाने का काम शुरू हुआ था और राज्य सरकार ने उस पर २८ लाख रुपया भी खर्च किया था। पर न मालूम क्यों उस नहर का काम बन्द कर दिया गया। उन लोगों को इस से बड़ी निराशा हुई है। वह बहुत पहाड़ी और जंगलों की जगह है। उन लोगों ने मुझे मजबूर किया कि मैं वहां जा कर उन की हालत देखूं। मैं उन के यहां गयी। मैं समझती हूं कि यह उन का हक है कि वहां नहर होनी चाहिये। मैं नहीं जानती कि सरकार ने किन कारणों से, रुपये की कठिनाई से या किसी और वजह से, उस नहर का काम बन्द कर दिया। यह भी कहा जाता है कि उस काम को इसलिये बन्द किया गया है कि उस का सर्वे ठीक नहीं हुआ। मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि वह यहां के विशेषज्ञ वहां भेजें। अगर वहां पर वह नहर नहीं निकाली जा सकती तो सिंचाई की कोई दूसरी योजना वहां चलाई जाये ताकि उन लोगों का जो अनाज का मसला है वह हल हो जाये। वह बिजली नहीं मांगते और कोई दूसरी चीज़ नहीं मांगते। वह तो सिर्फ पानी मांगते हैं जो उन का हक है। मैं क्या कहूं। उन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में उन की पुकार गूंजती है और वहीं खत्म हो जाती है। मेरा यह कर्त्तव्य था कि मैं उन की मांग आप के सामने रखूं और आप उस पर कुछ करें। मुझे पूरी आशा है कि इस के लिये आप ज्यादा से ज्यादा रुपया देने की कोशिश करेंगे और किश्तवार नहर की योजना को अपने हाथ में लेंगे। इस के लिये मैं उन से बार बार प्रार्थना करती हूं। अगर माननीय मंत्री जी को किश्तवार जाने का मौका मिलता तो वह खुद ही इस चीज़ को करने पर मजबूर हो जाते। वह बड़ी सुन्दर जगह है। वहां ७० हजार की आबादी है और जमीन ऐसी अच्छी है कि वहां दुगनी और तिगुनी पैदावार हो सकती है। लेकिन पानी के बिना वहां कुछ नहीं हो सकता।

बस मुझे यही थोड़ी सी बातें कहनी थीं जो मैं ने आप के सामने रख दीं। मैं आशा करती हूं कि आप उन पर ध्यान देंगे।

†**श्री मोहम्मद इमाम** (चितलदुग) : सिंचाई और विद्युत् विकास के लिए बड़ी आवश्यक चीजें हैं, इसीलिये इसके लिये सरकार ने काफी राशि की व्यवस्था की है। सरकार और योजना आयोग दोनों इसके प्रति सचेत हैं। बहुत बड़े बड़े बांध बने हैं और बन रहे हैं। कई जल विद्युत् कारखानों का भी निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त जलाशयों की व्यवस्था की गयी है। इन जलाशयों के निर्माण का मुख्य उद्देश्य यही था कि खाद्य उत्पादन बढ़ाया जाये और इतनी बिजली पैदा कर दी जाये कि औद्योगिक विकास और घरेलू प्रयोग में कोई कमी अनुभव न हो। परन्तु खेद यह है कि इतना सब

†मूल अंग्रेजी में

कुछ होने पर भी खाद्य स्थिति सुधर नहीं सकी, वस्तुतः यह और खराब हो गयी है । इसका कारण यह है कि हम अपनी क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पायें । मेरे विचार में सरकार को एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त करके इस बात का पता करना चाहिए कि सिंचाई क्षमता का पूर्ण उपयोग क्यों नहीं हो पाया है । मैसूर की तुंगभद्रा परियोजना में भी उपलब्ध सुविधा का पूर्ण प्रयोग नहीं किया गया । दामोदर घाटी में भी वैसी ही स्थिति है ।

मेरा मत यह है कि केवल जलाशय बना देने से ही सरकार का काम समाप्त नहीं हो जाता । उसे यह भी देखना चाहिये कि इन जलाशयों में जो पानी एकत्रित होता है उनका समुचित प्रयोग होता है अथवा नहीं । जो छोटी नहरें निकाली जाती हैं उनके बारे में भी सरकार को नीति बदलनी चाहिए । नहरें रैयतों अथवा किसानों के खेतों तक पहुंचनी चाहिये । खेतों तक पानी ले जाने की जिम्मेदारी किसानों पर ही नहीं रह जानी चाहिए । सरकार को जमीन हमवार करने इत्यादि के प्रारम्भिक कार्यों के लिए किसानों को आर्थिक सहायता भी देनी चाहिए । नालियों की भी व्यवस्था होनी चाहियें ताकि जल एकत्रित न हो सके और सफाई का पूरा ध्यान रखा जाये । इन सब बातों का ध्यान रखते हुये ही हम जलाशयों का उचित प्रयोग कर सकते हैं ।

परियोजनाओं के काम में भ्रष्टाचार की काफी गुंजाइश रही है । प्रत्येक परियोजनाओं के अनुदानों में ३० से ४० प्रतिशत तक वृद्धि हुई है । कई जगहों पर १०,१५ वर्षों से काम बराबर चलता चला जा रहा है । भाखड़ा नंगल के बारे में भी बहुत सी बातें सामने आई हैं । पंजाब सरकार ने खर्च सम्बन्धी जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी । उसका कहना है कि काफी व्यय व्यर्थ रूप में किया गया है । उन्होंने अधिकारियों की लापरवाही और बेईमानी का भी उल्लेख किया है । यह करोड़ों का मामला है, अतः मैं कहता हूं कि सरकार को इस बात की जांच करवानी चाहिए कि जो कुछ भी खर्च हो रहा है वह उचित और ठीक हो । इसी प्रकार भाखड़ा नंगल के सम्बन्ध में और भी कई प्रकार की बातें हैं जो काफी असन्तोषजनक हैं । जलाशयों में रेत भर गयी है । सतलुज नदी में काफी रेत आ रही है । मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस सब के लिए क्या पग उठाये हैं । सरकार को इसके प्रति सचेत रहना चाहिए क्योंकि इस बांध की जमीन बड़ी कमजोर है । यहां जो भी काम हो उसके पानी से बचाव का पूरा प्रबन्ध होना चाहिए ।

भद्रा जलाशय लगभग १४ वर्षों से बन रहा है और अभी पूर्ण नहीं हुआ । पता नहीं इसमें राज्य सरकार का दोष है अथवा केन्द्रीय सरकार का । सरकार को इस दिशा में ध्यान देकर काम को शीघ्रता से पूर्ण करवाना चाहिये । लोग काफी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम सिंचाई के लिये इस बड़े साधन का उपयोग करें । मैसूर जैसे बड़े राज्य में ऐसी चीजों की बड़ी आवश्यकता है । प्रयत्न किया जाना चाहिए कि मालप्रभा, घाटप्रभा, कृष्णा, भीम तथा अन्य मैसूर की विभिन्न नदियों में बांध बनाने के लिए धन की व्यवस्था हो । साथ ही छोटे सिंचाई के कार्यों को भी उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता । ३०,००० के लगभग जो तालाब रेत से भर गये हैं उनको पुनः चालू करने योग्य बनाने के लिए भी धन की व्यवस्था की जानी चाहिये । ऐसा करने से सिंचाई के कार्य में निस्सन्देह वृद्धि होगी । यह बहुत ही अच्छी बात है कि सरकार छोटी सिंचाई परियोजनाओं पर अधिक जोर देना चाहती है ।

मैसूर में विद्युत की काफी कमी है । शरावती परियोजना के सम्बंध में मंत्री महोदय ने अभी आश्वासन दिया है । परन्तु मैं चाहता हूं कि वह यह स्पष्ट आश्वासन दें कि यह परियोजना १९६० के अन्त तक पूर्ण कर ली जायेगी । इसके पूर्ण होने से १० लाख किलोवाट बिजली उपलब्ध होगी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस दिशा में जो कुल लक्ष्य है, यह उसका तीसरा भाग होगी । इसका उत्पादन व्यय भी भाखड़ा इत्यादि के मुकाबले में कम होगा । इसके लिये पश्चिमी घाटों की जल क्षमता का भी प्रयोग किया जा सकता है । इसका एक जल प्रपात ३००,००० किलोवाट विद्युत् उत्पन्न कर सकता

[श्री मोहम्मद इमान]

है । हमारे देश में सिंचाई और विद्युत् विकास के काफी साधन हैं, परन्तु यदि हम उनका प्रयोग नहीं करते तो यह दोष हमारा ही कहा जायेगा ।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : द्वितीय योजना में सिंचाई के लिये जो विशाल राशि रखी गई है उसको देख कर इसके महत्व का पता चलता है तथा इस बात की आवश्यकता प्रतीत होती है कि अपनी नीति का अभिनवीकरण किया जाये । यह अच्छी बात है कि सरकार ने अब अपना ध्यान बड़ी योजनाओं से हटाकर मध्यम और छोटी योजनाओं पर लगाया है । मेहता समिति ने ठीक ही कहा है कि प्रथम योजना के दौरान में हमने ९२ प्रतिशत धन व्यय करके बड़ी योजनाओं के लक्ष्य का केवल ४७ प्रतिशत पूरा किया जबकि सिंचाई के छोटे छोटे कार्यों में हमने ६३ प्रतिशत व्यय करके ९१ प्रतिशत लक्ष्य की सफलता प्राप्त की ।

प्राय: देखने में आया है कि नहरों के पानी ले जाने की क्षमता लक्ष्य-क्षमता का ५० से ८० प्रतिशत है । जबकि लक्ष्य-क्षमता भी अपर्याप्त थी । मूल्यों की वृद्धि को दृष्टि में रखते हुए बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि सिंचाई की कुछ बड़ी परियोजनाओं अथवा बहुद्देशीय परियोजनाओं की प्रगति बहुत ही मन्दी रही है । माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की कोया परियोजना की ओर दिलाना चाहता हूं । प्रथम योजना में उस पर व्यय की जाने वाली राशि में से पूरा धन व्यय नहीं किया गया था इस योजना में भी अभी तक कुल स्वीकृत राशि अर्थात् २९ करोड़ में से केवल करोड़ रूपये व्यय किये गये हैं । इससे प्रकट होता है कि उसकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है । आशा है कि वे इसके बारे में ध्यान देंगे ।

माननीय मंत्री का ध्यान इस बात की ओर भी दिलाना चाहता हूं कि प्रथम योजना में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं को चालू करने से पूर्व उनकी मूल बातों के सम्बन्ध में विचार नहीं किया गया था । यदि प्रति एकड़ पर सिंचाई व्यय का ध्यान रखा होता तो बड़ा अच्छा होता । कोई यह भी नहीं जानता कि इन योजनाओं का चयन किस आधार पर हुआ है ।

माननीय मंत्री महोदय का ध्यान मैं दो परियोजनाओं की ओर दिलाना चाहता हूं । पहली योजना तो पूर्व खानदेश जिले में हथनूर की है । यदि भुसावल ताल्लुका में हथनूर में बांध बना दिया जाता है तो यह ५,२०,००० एकड़ भूमि की सिंचाई करेगा । दूसरी परियोजना गिरना की है । इस योजना से पूर्व तथा पश्चिम खानदेश क्षेत्र के कमी वाले इलाकों की सिंचाई की जायेगी । आशा है कि माननीय मन्त्री इस योजना के बारे में फिर से विचार करेंगे और कमी वाले क्षेत्रों के हित को दृष्टिगत रख कर इसे चालू करायेंगे ।

यह सही है कि केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग की विद्युत् शाखा बहुत अच्छा कार्य कर रही है । किन्तु विद्युत् परियोजनाओं के सम्बन्ध में स्थानीय आवश्यकता एवं महत्व का भी सही सही अध्ययन करना चाहिये । विद्युत् शाखा को विद्युत् इंजीनियर सम्बन्धी समस्याओं पर भी गवेषणा करनी चाहिये हो सकता है कि विद्युत् उत्पादन के मामले में अर्थ की कुछ कमी रहे इसके लिये हमें केन्द्रीय विद्युत् विकास निधि प्रारम्भ करनी चाहिये । जो कि शुरू में वित्तीय सहायता देगा । इस प्रकार यह तत्सम्बन्धी अन्य कठिनाइयों को भी दूर करेगा ।

हमें छोटी छोटी आत्म निर्भर विद्युत् इकाइयों का भी विकास करना चाहिये । किन्तु उसके लिये २५,००० रुपये की जो राशि रखी गई है वह बहुत ही कम है । इन छोटी छोटी इकाइयों के द्वारा बिजली उत्पादन के क्षेत्र में हमारा प्रयत्न ऐसा होना चाहिये कि यदि सस्ते दाम पर नहीं तो कम से

---

†मूल अंग्रेजी में

कम उपयुक्त दाम पर तो देश के कोने कोने में बिजली मिलने लगे । अतः मैं आशा करता हूं कि इसके विकास में मंत्रालय कोई कमी नहीं करेगा ।

†**डा० पशुपति मंडल** (बांकुरा-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : बांकुरा जिले की कागसाबती परियोजना के बारे में ज्ञात हुआ है कि अभी तक योजना आयोग ने इसके बारे में अपनी स्वीकृति नहीं दी है । मेरा निवेदन है कि स्वीकृति मिलने के लिये जिन बातों की आवश्यकता होती है वे सभी बातें वहां उपलब्ध हैं । इस परियोजना से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में २ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती है । अतः इसके लिये इस योजना में कुछ और थोड़ा धन दे दिया जाये और तत्सम्बन्धी स्वीकृति भी शीघ्र ही दे दी जाये तो इस योजना के शेष दो वर्षों में इसका पूरा पूरा लाभ उठाया जा सकता है । यदि धन के बारे में स्वीकृति देर से दी गई तो सिंचाई का कार्य ढीला पड़ जायेगा । विदेशी विनिमय की कुछ कठिनाई है । अब तक इस बांध का निर्माण राज्य सरकार से प्राप्त सहायता के आधार पर ही हुआ है । यह योजना अन्य दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है । यदि यह योजना पूर्ण की जाती है तो यह पश्चिमी बंगाल, उत्तरी बंगाल और आसाम को मिलाने में भी समर्थ होगी । यह परियोजना पश्चिमी बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद तथा अन्य क्षेत्रों की सिंचाई करने में भी सहायक होगी ।

फरक्का बांध की परियोजना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है । इसे भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करना चाहिए । यदि इस में संभव नहीं है तो तृतीय योजना के लिए इसे प्रमुखता देनी चाहिए ।

इसलिए अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि भागसाबती परियोजना के कार्य को बढ़ाने के लिए सरकार धन देने की स्वीकृति देने तथा फरक्का बांध को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिए कार्यवाही करेगी ।

†**श्री दे० वें० राव** (नलगोंडा) : आंध्र प्रदेश में गोदावरी घाटी योजना और तुंगभद्रा योजना, जैसी कई योजनायें हैं जो प्रथम पंचवर्षीय योजना से भी पहले से चल रही हैं, लेकिन उनको अब द्वितीय योजना में शामिल नहीं किया गया है । सरकार इन परियोजनाओं पर काफी खर्च भी कर चुकी थी । अब उनको बीच में रोक देने का परिणाम यही होगा कि सरकार को काफी हानि उठानी पड़ेगी और कृषकों तथा जनता को वह हानि पूरी करनी पड़ेगी, अधिक ऊंचे करों के रूप में ।

आज माननीय मंत्री ने यह घोषणा तो कर दी है कि तुंगभद्रा ऊंची सतह की नहर परियोजना की मंजूरी दी जायेगी । लेकिन इस सिलसिले में, हम यह आश्वासन चाहते हैं कि उस पूरी योजना का क्रम इस प्रकार रखा जाये, उसका क्रमिक निर्माण इस ढंग से हो, कि किन्हीं भी दो अवस्थाओं के बीच कुछ दिनों के लिए काम बन्द न पड़ा रहे । मैं दूसरा आश्वासन यह चाहता हूं कि उन नहरों की पानी के बहाव की क्षमता न घटायी जाये ।

नागार्जुन सागर परियोजना देश की सब से बड़ी परियोजनाओं में गिनी जाती है, लेकिन अब धन की कमी के कारण उस में देर की जा रही है । अभी तक उसके क्रमिक निर्माण की पहली अवस्था के लिए ही ८० करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं । तीस लाख एकड़ भूमि की सिंचाई के लक्ष्य की बजाय, अब उस से १६ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई ही हो सकेगी । अभी इस्पात की कमी के कारण उसका निर्माण दो हफ्तों तक रुका रहा था । यदि निर्माण के काम में ऐसी ढिलाई चलती रही, तो उसके पूरा होने में तीन-चार साल और ज्यादा लग जायेंगे । इससे भी देश को हानि होगी, और जनता को वह हानि भरनी पड़ेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दें० वें० राव]

कृष्णा बांध योजना का निर्माण-कार्य भी इस्पात की कमी के कारण बन्द सा पड़ा है । इसलिये अब इस परियोजना द्वारा सिंचाई करने का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकेगा ।

रामगुंदम तापीय योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना से भी पहले आरम्भ की गई थी । उसके पास ही कोयला खानें भी हैं, जिससे उसका निर्माण पूरा करने के लिए सस्ता कोयला मिल सकता है । लेकिन उसका निर्माण इतनी धीमी गति से आगे बढ़ रहा है कि निकट भविष्य में उसके पूरे होने की कोई भी आशा दिखाई नहीं देती ।

पोचम्पाद योजना, पहले की गोदावरी घाटी योजना का ही विकास है, जिसे प्रथम पंचवर्षीय योजना के भी पहले आरम्भ किया गया था ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इस वर्ष टूटने वाला कदम बांध भी उसी योजना का एक भाग था । दूसरी अवस्था में निर्माण के पहुंचने से पहले ही वह टूट गया । फिर भी अब एक प्रस्ताव यह है कि तीन-चार लाख एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए गोदावरी नदी पर, पोचम्पाद के निकट एक आर-पार बांध खड़ा किया जाये । इस सम्बन्ध में मेरा भी एक सुझाव है । विदेशी मुद्रा की कमी के कारण, अब दस करोड़ रुपये की लागत की देवानूर जल विद्युतीय योजना का निर्माण रोका जा रहा है । उस सारी राशि को अब इस योजना के लिये दे दिया जाये । इस योजना को इस प्रकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया जाये और तृतीय योजना में भी जारी रखा जाये । इस योजना के पूरी होने से आन्ध्र प्रदेश के तैलंगाना और रायलसीमा जैसे अभावग्रस्त जिलों को बड़ा लाभ होगा । यदि इन सभी परियोजनाओं को पूरा कर दिया जाये, तो आन्ध्र प्रदेश देश के अन्य भागों के लिये भी चावल जुटा सकता है ।

मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री को निधियों का आवंटन करते समय दो बातों का ध्यान रखना चाहिए । पहली तो यह कि हर वर्ष जितनी भी आवंटित राशियों का उपयोग न हो सका हो, उनको खाद्यान्न-उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण अन्य परियोजनाओं के लिए दे दिया जाना चाहिए ।

दूसरी चीज़ यह है कि योजनायें बनाते समय रायलसीमा, तैलंगाना और श्रीकाकुलम जैसे अभावग्रस्त क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए । इन क्षेत्रों के लोगों को सिंचाई की सुविधाओं की बड़ी आवश्यकता है । साथ ही, हम सिंचाई की एक ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं जिसमें स्थानीय कृषक जनता भी सहयोग दे सके । तैलंगाना और रायल सीमा ज़िलों की कृषक जनता सिंचाई की सुविधाओं का भरपूर उपयोग भी करना चाहती है । इसलिए उन परियोजनाओं के पूरा होते ही, कृषक जनता उनका उपयोग करने लगेगी ।

सुधार शुल्क का प्रश्न आज तो पंजाब के ही सामने है, लेकिन आगे चलकर सभी राज्यों को इसका सामना करना पड़ेगा । हम उद्योगों और निजी अभिकरणों को तो प्रेरणा देने की बात सोचते हैं, लेकिन ग़रीब कृषकों को प्रेरणा देने की बात नहीं सोचते । पहले तो हम उन से परियोजनाओं के नाम पर कर वसूल करते हैं, और फिर परियोजनायें पूरी हो जाने पर उनसे सुधार-शुल्क मांगने लगते हैं । इतना अधिक कराधान वे कैसे सहन कर पायेंगे ? इस नीति से उन में उत्साह का संचार नहीं किया जा सकता ।

हमारी अधिकांश परियोजनायें बहु-प्रयोजनीय हैं । उनसे कृषकों को भी लाभ होता है, पर साथ ही कच्चे माल के उपादन में वृद्धि होने से उद्योगों को भी लाभ पहुंचता है । इसलिए इन

परियोजनाओं के व्यय का सारा भार कृषकों पर नहीं रखा जाना चाहिए। इसलिए सुधार-शुल्क की समूची व्यवस्था, समूची नीति का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए। तभी उन्नति सम्भव होगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री।

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)**: मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय के कार्य में इतनी दिलचस्पी ली। चर्चा के दौरान में उठाये गये कई प्रश्नों के उत्तर तो उपमंत्री ने दे ही दिये हैं। चर्चा के दौरान में, खास तौर से मुझ से गंगा बांध, गंडक और शरावती के बारे में कुछ कहने का अनुरोध किया गया था। आज मुझ से इन के बारे में खास तौर पर पूछा गया था।

शरावती के बारे में तो, मैं पिछली बार सभा को बता ही चुका हूं कि उस योजना से जितनी ज्यादा दिलचस्पी मुझे है उतनी शायद किसी को भी नहीं होगी। मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि उस योजना को हाथ में लेने की बात अब व्यावहारिक तौर पर करीब-करीब तय हो चुकी है, उसे मान लिया गया है। उसके लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा की भी मंजूरी दे दी गई है।

इस में दुराव-छिपाव की कोई बात ही नहीं है। मैं आपके सामने सीधे-सादे शब्दों में अपने विचार रख रहा हूं। व्यावहारिक तौर पर, मैं ने इसलिए कहा है कि अभी तक उसका सारा काम सैद्धांतिक स्तर पर ही था, और अब उसको व्यावहारिक रूप देने का समय आ गया है और कार्य आरम्भ कर दिया गया है। यही मेरा आशय था।

यह बात बिलकुल सही है कि गंडक परियोजना के विचार को बहुत पहले योजना का रूप दिया गया था। गंडक नदी से एक नहर उत्तर प्रदेश और दूसरी बिहार में ले जाने के लिये एक बांध बनाने का जो स्थान चुना गया है, वह नेपाल के क्षेत्र में है। इसीलिए भारत सरकार दो साल से भी ज्यादा अर्से से नेपाल सरकार के साथ उसके बारे में लिखा-पढ़ी करती आ रही है। लेकिन अभी तक उस स्थान के उपयोग की अनुमति नहीं मिल सकी है। इसी बीच में, नेपाल में एक और भी चीज़ हुई। वहां एक नई सरकार बनाने के लिए चुनाव शुरू हो गये।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** (खम्मम) : सभा में गण-पूर्ति नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : गण-पूर्ति का दायित्व माननीय मंत्री को अपने ऊपर लेना चाहिए। घंटी बजाई जाये।

†**श्री जगदीश अवस्थी** (बिल्हौर) : अब गण-पूर्ति हो गई है।

†**हाफिज मुहम्मद इब्राहीम** : मैं कह रहा था कि नेपाल सरकार से उस भूमि के उपयोग की अनुमति की काफ़ी राह देखनी पड़ी। इसी बीच, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच एक मसला पैदा हो गया। मैंने सभा में उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया था, और इसीलिये अब उसके बारे में कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। उस वक्तव्य में बताया गया था कि दोनों राज्यों के बीच क्या मसला उठ खड़ा हुआ था और यह भी कि उस मतभेद का समाधान भी कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना में बराबर के भागीदार की तरह हाथ बंटाने के लिए राजी हो गई थी। दोनों सरकारों के बीच उठ खड़े होने वाले अन्य मतभेदों को भी संतोषपूर्ण ढंग से दूर कर दिया गया था। मैं खुद भी उस बातचीत के वक्त मौजूद था। इसलिए अब हमतो अपनी ओर से गंडक परियोजन का काम शुरू करने के लिए पूरी तौर से तैयार हैं। कमी सिर्फ यही है कि नैपाल सरकार की

---

†मूल अंग्रेजी में

[हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम]

अनुमति अभी तक नहीं मिल पाई है। नेपाल में इस समय चुनाव चल रहे हैं। अब चुनाव तो खतम हो गये हैं, लेकिन शायद अभी तक नई सरकार नहीं बन पाई है।

[**श्री बर्मन** पीठासीन हुए]

और, जब तक वहां नई सरकार नहीं बन जाती, तब तक उसकी अनुमति भी नहीं मिल सकती। तब हमें रुकना ही पड़ेगा। हम अनुमति मिलते ही, परियोजना का काम शुरू कर देंगे। मंत्रालय, योजना आयोग, भारत सरकार, और सभी उस परियोजना के पक्ष में हैं। सभी ने उसे स्वीकार कर लिया है, और शुरू करने को तैयार हैं।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी:** नेपाल सरकार से करार होने के समय तक, हम बिहार और उत्तर प्रदेश में तो उसका काम शुरू कर सकते हैं।

†**हाफिज मुहम्मद इब्राहीम:** काम तो उसी भूमि पर शुरू होना है, जो दूसरे के क्षेत्र में है और जिसने अभी उसकी अनुमति नहीं दी है। अगर आप अभी इस हालत में वहां जा कर कुछ शुरू करें तो वह दूसरे की भूमि में अनधिकार प्रवेश होगा। नक्शे वगैरह बनाने का जितना काग़ज़ी काम था, वह तो बहुत पहले पूरा किया जा चुका है। अब तो वास्तविक कार्य आरम्भ करना ही बाकी रह गया है। अनधिकार प्रवेश के लिये हम पर मुकदमा भी तो चलाया जा सकता है। पता नहीं नेपाल में ऐसी कोई विधि है या नहीं। लेकिन अनुमति मिलने से पहले, वहां काम शुरू करना मुमकिन नहीं है।

गंगा बांध की योजना सिर्फ पश्चिमी बंगाल की नहीं है। वह तो पूरे देश की योजना है कलकत्ता पत्तन पूरे देश के लिये महत्वपूर्ण है। यदि कलकत्ता पत्तन की बिगड़ती हुई हालत को सुधारा जाये, उसकी खराबियां दूर कर दी जायें, और समुद्री यातायात में पड़ने वाली कठिनाइयां मिटा दी जायें, तो उससे सारे देश का लाभ होगा। इसलिये पश्चिमी बंगाल के माननीय सदस्यों को हमारी इस बात पर पूरा भरोसा होना चाहिये कि हम उसे बंगाल के लिये ही नहीं पूरे देश के लिये महत्वपूर्ण समझते हैं। हम उसे समूचे देश के दृष्टिकोण से देखते हैं।

दूसरी चीज़ यह है कि कलकत्ता पत्तन की हालत १८५३ से बिगड़ती आ रही है; सौ साल से भी ज्यादा से। इसलिये हमें उन कठिनाइयों को दूर करने के लिये जल्दी से जल्दी कुछ करना चाहिये। लेकिन उन कठिनाइयों को दूर करने की जो योजना बनाई गई है, उस की प्रविधिक दृष्टि से छानबीन करने, जांच करने में काफी समय लगेगा। योजना के इस प्रविधिक जांच-पड़ताल का काम डा० हैनसेन को सौंपा गया था। उन्हों ने योजना की जांच करने के बाद एक प्रतिवेदन भी तैयार किया है। मैंने राज्य-सभा में बताया है कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग और कुछ दूसरे इंजीनियरों ने भी उस प्रतिवेदन को पढ़ लिया है। उन को पता चल गया है कि डा० हैनसेन ने कुछ अन्य चीज़ों के बारे में भी कुछ सुझाव दिये हैं। लेकिन डा० हैनसेन ने अपने उन सुझावों की प्रविधिक जांच का काम दूसरों पर छोड़ दिया है। इसलिये, इस हद तक तो प्रविधिक जांच पूरी की जा चुकी है। अब इस अवस्था पर हम कह सकते हैं कि उह योजना में प्रविधि की दृष्टि से कोई भी त्रुटि नहीं है और उसे शुरू किया जा सकता है। यदि अब कोई चीज़ रह गई है, तो सिर्फ यही कि उसे किस ढंग से क्रियान्वित किया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसलिये, यह बात तो साफ़ है कि हम उस योजना का काम शुरू करना चाहते हैं, और यह भी कि उस योजना में कोई त्रुटि नहीं है। कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि भारत सरकार उस योजना को पाकिस्तान के डर से हाथ में नहीं ले रही हैं। डर का तो कोई सवाल ही नहीं। हम ऐसा कोई भी काम नहीं कर रहे हैं जिस से पाकिस्तान के हितों को कुछ चोट पहुंचे। जब हम जानते हैं कि उस योजना से पाकिस्तान के हितों को कोई चोट नहीं लगेगी और हमारा कोई भी वैसा मंशा नहीं है, तब फिर डर का कोई सवाल ही नहीं उठता। हम इस पर सभी दृष्टिकोण से विचार कर चुके हैं। मैं आपको योजना के उद्देश्य बता ही चुका हूं। यह योजना समूचे देश के लिये अत्यन्त महत्व-पूर्ण है।

अब सवाल यह है कि योजना का काम शुरू कब किया जायेगा। मैं सिंचाई तथा विद्युत विभाग में कई साल से हूं। मैं जानता हूं कि हम कभी भी किसी भी योजना को आरम्भ करने की ठीक-ठीक तिथि पहले से नहीं बता सकते। चीज़ सिर्फ यही है कि हम उस की जरूरत को पूरी तौर पर समझते हैं। हम जानते हैं कि वह एक बिलकुल उपयुक्त योजना है, उस में कोई भी त्रुटि नहीं है और हम यथा-शीघ्र उसे हाथ में लेने को तैयार हैं। मैंने पिछली बार कहा था कि जल्दी से जल्दी उसका काम शुरू हो जायेगा। मैं आज फिर वही बात दोहराता हूं। लेकिन इस का यह मतलब नहीं लगाया जाना चाहिये कि भारत सरकार कोई ऐसी बात कह रही है जिस पर असल में उसे यकीन ही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है।

मैं शरावती और गंडक परियोजनाओं की बातें आपको बता चुका हूं।

अब मैं कुछ अन्य प्रश्नों का उत्तर दूंगा। एक माननीय सदस्य ने आगरे की बाढ़ों के बारे में कुछ कहा। मैं ने स्वयं इंजीनियरों के साथ आगरे का दौरा किया है। मैं मथुरा भी गया था। १९५८ में आई बाढ़ के कारण उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिये आवश्यक है कि एक योजना बनाई जाये। मंत्रालय को ग्रूंछी योजना मिली है। ग्रूंछी एक गांव का नाम है। यह योजना गुड़गांव, भरत-पुर, मथुरा आदि से सम्बन्धित है। इस योजना पर विचार किया जा रहा है।

मैं यह भी जानता हूं उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्य योजनायें बना रहे हैं। परन्तु वह योजनायें अभी हमें नहीं मिली हैं। जैसे ही योजनायें हम को मिलेंगी, हम उन की प्रविधिक जांच करेंगे और उपयुक्त होने पर उन पर काम आरम्भ किया जायेगा। इस काम के लिये अर्थात् बाढ़ के लिये आवंटित धनराशि में से, योजना के आकार तथा राज्य की आवश्यकतानुसार धन की व्यवस्था कर दी जायेगी।

दिल्ली नजफगढ़ क्षेत्र के बारे में कुछ कहा गया। गत अवसर पर भारी बाढ़ आने पर एक जांच समिति नियुक्त की गई थी। समिति ने एक योजना बताई थी जिसको क्रियान्वित नहीं किया गया है। संभवतया उस पर प्रविधिक रूप में विचार नहीं किया गया है। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि अगले मानसून से पहले उसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता है। इसी क्षेत्र में नजफगढ़ नाला है जिसमें कितने ही स्थानों पर मिट्टी जम गई है। मिट्टी को हटाने का काम किया जा रहा है और आशा है कि आगामी मानसून से पहले ही काम समाप्त हो जायेगा।

उड़ीसा के सदस्य ने एक प्रश्न उठाया और मुझे खेद है कि जो उत्तर मैं दूंगा उससे मेरे मित्र को बड़ी निराशा होगी, जिसके लिये मैं पहले ही क्षमा चाहता हूं। बिजली संभरण अधिनियम १९४८ के अधीन सभी राज्यों को बिजली बोर्ड बनाना है। मुझे आज ही पता लगा है कि उड़ीसा में ऐसा बोर्ड नहीं बनाया गया है। माननीय सदस्य ने ऐसा ही सुझाव दिया है कि उड़ीसा को ऐसा बोर्ड बनाने से छूट दी जानी चाहिये। मुझे इस का भी पता लगा है कि विधि के अधीन बोर्ड बनाने से पूर्व जो अधिसूचना जारी की जानी चाहिये थी वह जारी कर दी गई है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी भी राज्य को छूट देने की विधि में व्यवस्था नहीं है। अधिसूचना जारी करने का पहला

[हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम]

काम कर लिया गया है लेकिन फिर भी सरकार से छूट देने की आशा व्यक्त की गई है। इस बात का उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है।

उड़ीसा में ट्रान्समिशन लाइनों का प्रश्न उठाया गया। इसके सम्बन्ध में मैं दो तीन लाइनें पढ़ूंगा। एक सौ बत्तीस किलोवोल्ट ट्रान्समिशन लाइन परियोजना उड़ीसा के लिये स्वीकार कर ली गई है तथा उड़ीसा के चीफ इंजीनियर उस के लिये उपकरणों की व्यवस्था कर रहे हैं जबकि केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग उन की सहायता कर रहा है। इस लाइन के द्वार मचकुंड से दक्षिण उड़ीसा में बिजली ले जाई जायेगी।

नागार्जुन सागर परियोजना के लिये धन की और व्यवस्था करने के लिये कहा गया। मैं बताना चाहता हूं कि १९५६-५७ में यद्यपि ३०० लाख रुपये की व्यवस्था आय-व्ययक में की गई थी परन्तु ३९६ लाख रुपया दिया गया। १९५७-५८ में ५५० लाख रुपये की व्यवस्था थी जबकि दिया गया ७०० लाख रुपया। १९५८-५९ में ७०० लाख रुपये की व्यवस्था थी और समस्त राशि दे दी गई। फिर भी यदि धन बढ़ाने की कोई मांग की गई तो हम उस पर विचार करेंगे। संभव हुआ तो उन की मांग मान लेंगे अन्यथा क्षमा चाहेंगे।

अब मैं नहरी पानी विवाद के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में मेरे उत्तर से उन्हें निराश होना पड़ेगा। इस के बारे में समाचार-पत्रों में बहुत सी बातें प्रकाशित होती हैं जिन के बारे में हमें कुछ पता नहीं होता है। हमारा प्रतिनिधि-मंडल इस समय वाशिंगटन में है। तीन महीनों से बातचीत हो रही है परन्तु अब तक कोई निर्णय नहीं किया गया है। उन बैठकों की सभी बातें गुप्त हैं। यह समझौता भारत-पाक-विश्वबैंक में होगा। जब तक समझौता पूरा नहीं हो जायेगा तब तक तीनों का कर्त्तव्य है कि वहां पर हुई किसी बात को कहीं पर न बतायें। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभी कटौती प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस ले लिये गये

सभापति महोदय द्वारा सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
६४	सिंचाई और विद्युत मंत्रालय	२२,२९,०००
६५	बहुप्रयोजनीय नदी योजनायें . .	१,७५,४२,०००
६६	सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के अधीन विविध विभाग और अन्य व्यय	१,५२,५१,०००
१२५	बहुप्रयोजनीय नदी योजाओं पर पूंजी व्यय	२,९६,०७,०००
१२६	सिंचाई और विद्युत मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय . .	७,१६,९४,०००

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, २६ मार्च १९५९/५ चैत्र, १८८१ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

दैनिक संक्षेपिका

सोमवार, २३ मार्च, १९५९

२ चैत्र, १८८१ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर .		३७९७—३८२२
तारांकित प्रश्न संख्या		
१४४५	भूतपूर्व सैनिकों की मंत्रणा समिति . .	३७९७–९८
१४४६	राज्यों में अस्पृश्यता	३७९८–९९
१४४७	लन्दन के वेस्टमिंस्टर बैंक में हैदराबाद का धन . .	३७९९–३८००
१४४८	तेल शोधन उद्योग के लिये प्रशिक्षण स्कूल . .	३८००–०१
१४४९	तेल छिद्रण-कार्य	३८०१—०३
१४५०	युद्ध-सामग्री कारखानों के महानिदेशक . . .	३८०४
१४५२	व्यस्क बहरों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र . . .	३८०४–०५
१४५३	मिलावटी घी	३८०६
१४५४	इंजीनियरिंग कालेजों में दाखिला . . .	३८०७—०९
१४५५	इस्पात बेलन मिलें	३८०९–१०
१४५७	सिंगरेनी कोयला खानें	३८११–१२
१४५८	दिल्ली में भिखारी समस्या . . .	३८१२–१३
१४५९	ऋण सेवा योजना	३८१३
१४६१	निर्वाचनों में अमान्य मतदान पत्रों की संख्या . .	३८१३–१४
१४६४	भारतीय वायु सेना का मरम्मत डिपो, चकेरी . .	३८१४—१६
१४६५	चम्बा का लक्ष्मीनारायण मन्दिर . . .	३८१६–१७
१४६६	युद्ध सामग्री कारखानें	३८१७–१८
१४६७	स्क्रैप का निर्यात	३८१८
१४६८	बोस जाँच बोर्ड	३८१८—२०
१४६९	हिन्दी को सरल बनाना	३८२०–२१
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
११	स्कूली बच्चों को ज़हर देने के बारे में भय . .	३८२१–२२

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर	. . . .	३८२२—२५
तारांकित प्रश्न संख्या		
१४५१	प्रतिलिप्याधिकार का उल्लंघन	३८२२—२३
१४५६	छात्रवृत्तियां	३८२३
१४६०	कच्चे लोहे का उत्पादन	३८२३—२४
१४६२	निदादावोल में खुदाई	३८२४
१४६३	तेल सर्वेक्षण	३८२४
१४७०	भारत–रूस करार	३८२५
१४७१	भारतीय क्रिकेट टीम	३८२५
१४७२	अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिये मैट्रिक से आगे अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां	३८२६
१४७३	आदिम जाति के कल्याण के लिये केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड . .	३८२६
१४७४	द्वारका में दिल्ली के दो छात्रों की मृत्यु .	३८२७
१४७५	इण्डियन स्टील वर्क्स कान्स्ट्रक्शन कम्पनी .	३८२७
१४७६	बिहार तथा पश्चिमी बंगाल में सहकारी ऋण का ढांचा .	३८२७
१४७७	चीनी उद्योग . .	३८२८
१४७८	शिक्षा का विकास	३८२८
१४७९	दुर्गापुर के लिये रेलवे इंजन . .	३८२८
१४८०	भिलाई को चूने के पत्थर का संभरण . .	३८२९
१४८१	पंजाब में सीमेंट कारखानों पर बकाया आय-कर .	३८२९
१४८२	नया विलासपुर नगर	३८२९—३०
१४८३	नागा	२८३०
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२२५६	शक संवत्	३८३०
२२५७	भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा सम्बन्धी परीक्षा.	३८३१
२२५८	अल्प बचत योजना . . .	३८३१
२२५९	पाकिस्तान को कोयला भेजा जाना . . .	३८३१—३२
२२६०	राजनीतिक पीड़ित	३८३२
२२६१	अस्पृश्यता निवारण सम्बन्धी प्रचार . .	३८३२
२२६२	निर्वाचन याचिकायें	३८३२—३३
२२६३	लौह अयस्क . . .	३८३३

विषय **पृष्ठ**

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित

प्रश्न संख्या

२२६४ "छौ नृत्य" ३८३४

२२६५ लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप . ३८३४

२२६६ लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप . ३८३४

२२६७ सहकारिता ३८३५

२२६८ लक्कादीवी द्वीप के लिये प्रकाश स्तम्भ . . ३८३५

२२६९ लक्कादीव द्वीप ३८३५-३६

२२७० नागा विद्रोही . . ३८३६

२२७१ सेवाओं में स्त्रियों का प्रवेश ३८३६

२२७१ नयी दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय ३८३६-३७

२२७३ काश्मीर का भूतत्वीय सर्वेक्षण . . ३८३७

२२७४ भारतीय विवरणिकाओं का पुनरीक्षण ३८३७

२२७५ राष्ट्रीय शिशु शिक्षा समिति ३८३८

२२७६ उप-सचिव तथा अवर-सचिव . ३८३८-३९

२२७७ हिमाचल प्रदेश का चीनी व्यापारी संघ . . . ३८३९

२२७८ युद्ध सामग्री कारखानों में असैनिक डाक्टर . ३८३९

२२७९ युद्ध सामग्री डिपो में असैनिक डाक्टर ३८४०

२२८० युद्ध सामग्री कारखानों में अस्पताल . ३८४०

२२८१ उड़ीसा में 'साहित्यिक कर्मशालाए' . ३८४०

२२८२ रूसी विशेषज्ञों पर किया गया खर्च ३८४१

२२८३ पिछड़े हुए वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां ३८४१

२२८४ व्यय कर ३८४१

२२८५ दिल्ली ग्रामीण क्षेत्र में पुस्तकालय ३८४२

२२८६ हिमाचल प्रदेश में केन्द्रीय पुस्तकालय ३८४२

२२८७ विदेशों में भारतीय विद्यार्थी ८४२-४३

२२८८ आदिम जातियों के सरदार ३८४३

२२८९ इस्पात बेलन कारखानें ३८४३

२२९० बकाया आय कर ३८४३

२२९१ "एम० बी० दभा" ३८४३-४४

२२९२ मद्रास को कोयले का संभरण . . . ३८४४

२२९३ मद्रास में अध्यापकों के वेतन-क्रमों का पुनरीक्षण ३८४४-४५

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२२९४	संघ राज्य-क्षेत्रों में राजनीतिक पीड़ित	३८४५
२२९५	बम्बई में राजनीतिक पीड़ितों को सहायता	३८४५
२२९६	गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा फर्नीचर आदि का क्रय	३८४५–४६
२२९७	निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा	३८४६
२२९८	अपराध उन्मूलन	३८४६
२२९९	दिल्ली में बन्दूकों के लाइसेन्स	३८४७
२३००	भिलाई इस्पात कारखाना	३८४७
२३०१	त्रिपुरा में अध्यापक प्रशिक्षण संस्थायें	३८४७
२३०२	कैम्पस कार्य परियोजनाएं	३८४८
२३०३	भाषाओं का रचना व ध्वन्यात्मक विश्लेषण	३८४८
२३०४	फालतू युद्धकालीन सामग्री का उपयोग	३८४८–४९
२३०५	भारत को परियोजना आधार पर अमरीकी सहायता	३८४९
२३०६	सेनाओं का दूध राशन	३८४९
२३०७	छीलन तथा छिद्रण कवाड़	३८५०
२३०८	नागाओं का आक्रमण	३८५०–५१
२३०९	पालम पर भारतीय विमान बल के डकोटा के साथ दुर्घटना	३८५१
२३१०	पटियाला में तैरने के तालाब में पानी साफ़ करने का संयंत्र	३८५१
२३११	ऋणों पर ब्याज़	३८५१–५२
२३१२	हिमाचल प्रदेश में समाज सेवा शिविर	३८५२–५३
२३१३	असिस्टेंट ग्रेड परीक्षा, १९५७	३८५३
२३१४	दिल्ली में चोरियां	३८५३–५४
२३१५	त्रिपुरा में चक्रवात	३८५४
२३१६	मनीपुर में चौकियां	३८५४
२३१७	पंजाब में विद्यार्थियों के लिये छात्रावास	३८५४–५५
२३१८	अमृतसर में श्रम और समाज सेवा शिविर	३८५५
२३१९	अन्डमान के जहाज	३८५५
२३२०	हिन्दी की पुस्तकें	३८५५
स्थगन प्रस्ताव		३८५६—५८

अध्यक्ष महोदय ने तिब्बत में उपद्रवों के बारे में दो स्थानग प्रस्तावों को, प्रस्तुत करने की जिनकी सूचना सर्वश्री नारायण गणेश गोरे, हेम बरूआ और अटल

स्थगन प्रस्ताव (—क्रमशः) विषय पृष्ठ

बिहारी वाजपेयी ने दी थी, प्रधान मंत्री, (श्री जवाहरलाल नेहरू, द्वारा दिये गये वक्तव्य को देखते हुए अनुमति नहीं दी।

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३८५६-६०

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये :—

(१) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १६५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्न अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, १६५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १४ मार्च, १६५६ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २६८ की एक प्रति।

(दो) भारतीय प्रशासन सेवा (पदाली की संख्या का निर्धारण) विनियम, १६५५ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १४ मार्च, १६५६ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २६६ की एक प्रति।

(२) समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक एक्ट, १६४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क वापसी (नियत दरें) नियम, १६५८ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ७ मार्च, १६५६ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २७३ की एक प्रति। १८७८

(३) समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक ७ मार्च, १६५६ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २७४ की एक प्रति।

(४) इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के व्यय के ढांचे की जांच के लिये सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति

(५) स्त्रियों तथा लड़कियों के अनैतिक पण्य का दमन अधिनियम, १६५६ की धारा २३ की उप–धारा (४) के अन्तर्गत मनीपुर गजट में प्रकाशित दिनांक ४ दिसम्बर, १६५८ की अधिसूचना संख्या जे०, २१/५७ की एक प्रति जिसमें मनीपुर स्त्रियों तथा लड़कियों के अनैतिक पण्य का दमन नियम, १६५८ दिये गये हैं तथा दिनांक २८ जनवरी, १६५६ के उसके शुद्धि-पत्र की एक प्रति।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ३८६०

सचिव ने संसद् की दोनों सभाओं द्वारा वर्तमान सत्र में पारित तथा १६ मार्च, १६५६ को सभा में दी गयी अन्तिम सूचना के बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयकों को सभा पटल पर रखा :—

(१) विनियोग (रेलवे) विधेयक, १६५६

विषय पृष्ठ

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति (क्रमशः)

(२) विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक, १९५९ ।

(३) विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९५९ ।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . ३८६०—६१

श्रीमती इला पालचौधरी ने भारत के साथ सीमावर्ती व्यापार को पुनः आरम्भ करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक बैठक करने के बारे में पाकिस्तान सरकार के कथित इन्कार की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया ।

वैदेशिक-कार्य उप-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) ने उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य । दिया ।

अनुदानों की मांगें . . . . . ३८६१—३९०६

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा समाप्त हुई । मांगें पूरी-पूरी स्वीकृत हुई . . . .

गुरुवार, २६ मार्च, १९५९/५ चेत्र, १८८१ (शक) के लिये कार्यावलि—

स्वास्थ्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा। . .